लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड VI में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची / CONTENTS

अंक 35 सोमवार, 10 जुलाई, 1967 / 19 आषाढ़, 1889 (शक)

No. 35 Monday, July 10, 1967/Asadha 19, 1889 (Saka)

निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obieuary Reference ..	4753-4754

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र संख्या/S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.
1022 ब्रिटेन में बसे हुए भारतीय लोग	Indian Immigrants to Britain	4754.
1024 रूसी नक्शों में भारत–चीन सीमा	India-China Border in Soviet Maps	4756-4761
1025 प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में सिविलियनों के वेतन-क्रम	Pay-Scales of civilians in Defence Establishments	4761-4763
1026 पूर्वी पाकिस्तान में बौद्ध सम्प्रदाय के लोगों पर साम्प्रदायिक आक्रमण	Communal attacks on Budhist Community in East Pakistan ..	4763-4766
1028 सीमावर्ती सड़के	Border Roads	4766-4771
ता० प्र० संख्या 1023 के बारे में	Re: S. Q. No. 1023	4771

अल्प सूचना प्रश्न/S. N. Question

26 नक्सलबाड़ी क्षेत्र में डाक सेवायें	Postal Services in Naxalbari Aria	4772-4775

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

तारांकित प्रश्न संख्या/S. Q. Nos.

1021 भारत और बर्मा के बीच करार	Agreements between India and Burma	4776
1023 भारतीय तथा दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोग	Indians and Coloured People of South Africa	4776-4777
1027 पारपत्र देना	Issue of passports	4777-4778
1029 मास्को रेडियो से भारत विरोधी प्रसारण	Anti Indian Broadcasts from Moscow Radio ..	4778-4779

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/S. Q, Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.			
1030	पाकिस्तानी उच्चायोग की एक 'स्कूटरवान' की तलाशी के बारे में पाकिस्तान द्वारा विरोध-पत्र	Pak-Protest against the search of a Scooter Van of Pak High Commission ..	4779
1031	एशियाई परिषद्	Council of Asia	4779-4780
1032	भारतीय सांख्यिकी संस्था का पुनर्गठन	Reorganisation of Indian Statistical Institute ...	4780
1033	भारत द्वारा नेपाल के लिये बनाये गये हवाई अड्डे तथा पावन-पथ	Aerodromes and Runways Built by India for Nepal	4780-81
1034	अरब देशों के राज्य क्षेत्रों से इसरायल की सेनाओं को हटाने की माँग	Demand for withdrawal of Israeli Forces from Arab territories ..	4781
1035	चीन तथा पाकिस्तान के विद्रोही नागाओं की वापसी	Return of Hostile Nagas from China and Pakistan ...	4781-4782
1036	विदेशी राजनयिकों द्वारा प्रकाशित लेख	Articles published by Foreign Diplomats	4782
1037	उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर	High powered Transmiters ...	4783
1038	उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री बीजू पटनायक का पासपोर्ट	Passport of Shri Biju Patnaik, Former C. M., Orissa ...	4783-4784
1039	एवरो-748	Avro-748 ..	4784
1040	लन्दन से नागा प्रतिनिधि मण्डल की वापसी	Return of Naga delegation from London ...	4784
1041	सीमावर्ती क्षेत्रों में अल्पकालिक सैनिक प्रशिक्षण	Short-term Military Training in Border Areas	4785-4786
1042	चीन द्वारा भारत चीन सीमा पर सैनिक शक्ति का बढाया जाना	China's reinforcement of Army along Indo-China Border	4786

ता. प्र संख्या/ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd			
1043	गाजा में भारतीय सैनिकों की मृत्यु के बारे में जांच	Investigation in the Death of Indian Soldiers in Gaza ..	4786-4787
1044	भारत-पाकिस्तान वार्ता	Indo-Pak. Talks	4787
1045	विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिये पुनर्वास केन्द्र	Rehabilitation Centres for Disabled ex-Servicemen ...	4788-4789
1046	रेडियो पाकिस्तान से श्री टैगोर के गीतों के प्रसारण पर प्रतिबन्ध	Ban on Broadcasting of Tagore Songs from Radio Pakistan ...	4789
1047	चीनी दूतावास द्वारा एक भवन निर्माण फर्म को देय बकाया राशि	Chinese Embassy's Dues to a construction Firm	4789-4790
1048	पाकिस्तान द्वारा अपनी रक्षा व्यवस्था सुदृढ करना	Strengthening of Defence by Pakistan	4790
1049	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (कानपुर डिवीजन) द्वारा यात्री विमानों का निर्माण	Manufacture of Passenger Planes by H. A. L. (Kanpur Division) ...	4790-4791
1050	अश्लील फिल्मों का प्रभाव	Effects of Obscence Films	4791
अतारांकित प्रश्न संख्या/U.S.Q. Nos.			
5052	दिल्ली छावनी के असैनिक क्षेत्र में पानी की सप्लाई	Water Supply in Civil areas in Delhi Cantonment ..	4791-4792
5053	दिल्ली छावनी में झुग्गी तथा झोंपड़ियाँ	Jhuggies and Jhopries in Delhi Cantonment	4792
5054	मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री का रूस तथा हंगरी का प्रस्तावित दौरा	Proposed visit by Madhya Pradesh Chief Minister to the Soviet Union & Hungary	4793
5055	स्वर्गीय प्रधान मन्त्री द्वारा ब्लिटज को लिखा गया पत्र	Letter Written by the Late P. M. to Blitz ...	4793-4794

5056	पारपत्र देना	Issue of Passports	4794
5057	आन्ध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र	A. I. R. Station in Andhra Pradesh ...	4794
5058	आन्ध्र प्रदेश में डोकिनी वात्नसा हवाइे अड्डा	Donkinivalasa Airport, Andhra Pradesh	4795
5059	भारतीय राजदूतों द्वारा विदेश में अर्जित अचल सम्पत्ति	Immovable property acquired by Indian Ambassadors abroad	4795–4796
5060	भारतीय राजनयिकों का विदेशी पत्नियों के साथ विवाह	Marriages of Indian Diplomats with Foreign Wives	4796
5061	सेल्स असिस्टेंट	Sales Assistants	4796
5062	पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन	Ceasefire Violations by Pakistan ..	4797
5064	गोआ, दमण और दीव के वे लोग जिनके पास पुर्तगाली पासपोर्ट है	Persons of Goa, Daman and Diu having portaguese Passports	4797–4798
5067	मंत्रियों की सम्पत्तियाँ	Properties of Ministers	4798
5068	एक्स-रे ट्यूबों का निर्माण	Manufacture of X-Ray Tubes	4798
5069	दिल्ली में सैनिक स्कूल	Sainik School in Delhi ..	4799
5070	प्रधान मन्त्री का सहायता कोष	Prime Ministers Relief Fund	4799
5071	भारतीय समाचार दर्शन	Indian News' Review ..	4799
5072	भारत–चीन सम्बन्ध	Sino-Indian Relations ...	4800
5073	फिलिस्तीनी तथा दक्षिण अरब के लोगों के अधिकारों के लिये भारत का समर्थन	India's Support for the Rights of Palestinian and South Arabian People	4800

5074 विमान दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के दो अधिकारियों की मृत्यु	Death of two I. A F. Officersin Airs Accident	4801
5075 सैनिकों के लिये पेंशन	Pension for Soldiers	4801
5076 परमाणु बिजली घर, तारापुर	Atomic Power project, Tarapore	4802
5077 हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता	D. A. for Employees of H. A. L. Kanpur ...	4802–4803
5078 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में ट्रेक्टरों का निर्माण	production of Tractors at Bharat Earth Movers Ltd. ...	4803
5079 आयुध कारखानों के महा प्रबन्धकों (जनरल मैनेजरों) का सम्मेलन	Conference of General Managers of Ordnance Factories ...	4803–4804
5080 आकाशवाणी से समाचार सेवायें	A. I. R. News Services ...	4804
5081 आकाशवाणी का अगरतल्ला केन्द्र	A. I. R. Station, Agartala ...	4804–4805
5082 केरल के प्रादेशिक समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन	Government Advertisement in Kerala Regional Daily Papers	4805
5083 परमाणु बिजली घर	Nuclear Power plants ...	4805–4806
5084 भूटान में भारतीय लोग	Indians in Bhutan ...	4806
5085 वर्मा सरकार के साथ बातचीत	Negotiations with Burmese Government ...	4806–4807
5086 शैक्षिक टेलीविजन	Educational T. V. ..	4807
5087 पालम हवाई अड्डे से टायरों और ट्यूबों की चोरी	Theft of Tyres and Tubes from Palam Airport ...	4807

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
5088	बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप एण्ड सेन्टर, किर्की, पूना के कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी बनाना	Quasi Permanency of Employees of Bombay Engineering Group and Centre, Kirkee, Poona	4808
5089	बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप एण्ड सेन्टर, किर्की, पूना के कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड	Service Records of Employees of Bombay Engineering Group and Centre, Kirkee, Poona	4808-4809
5090	घाना के स्वास्थय मन्त्रालय द्वारा एक भारतीय चिकित्सक को बरखास्त किया जाना	Dismissal of an Indian Doctor by Ghana Health Ministry	4809
5091	इंस्टीट्यूशन आफ इन्जीनियर्स (इण्डिया) के प्रधान का रेडियो पर भाषण	Broadcast of Speech of the President of the Institution of Engineers (India)	4809-4810
5092	राष्ट्रीय छात्रसेना दल के अफसर प्राध्यापकों की पदोन्नति	Promotion of N. C. C. Officers Lecturers ..	4810
5093	पहियेदार ट्रैक्टरों की खरीद	Purchase of Wheeled Tractors	4810-4811
5094	एक परमाणु वैज्ञानिक द्वारा आत्म हत्या	Suicide by an Atomic Scientist	4811
5095	प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये खेमे गाड़ने के लकड़ी के ठुकन्ने	Purchase of Wooden Tent Mallets for Defence Purposes	4811-4812
5096	आकाशवाणी का पणजी [गोआ] केन्द्र	A. I. R. Panaji, Goa	4812
5097	मूल्य सम्बन्धी बुलेटिन	Price Bulletin	4812-4813
5098	वाशिंगटन तथा अन्य देशों में हिन्दी पढ़ाने वाले भारतीय अध्यापक	Indian teachers teaching Hindi in Washington and other countries	4813

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5099	अविवाहित सैनिक अधिकारियों के माता-पिता को पेंशन	Pension to Parents of Unmarried Military Officers	4813
5100	1950 से नियुक्त जांच आयोगों तथा समितियों की नियुक्ति	Committees and Commissions of Enquiry appointed since 1950	4813–4814
5101	परमाणु वैज्ञानिक	Atomic Scientists ..	4814
5102	प्लूटोनियम	Plutonium ..	4814
5103	विदेशी स्थित भारतीय मिशनों में नियुक्त गैर-भारतीय लोग	Non-Indians employed in Indian Missions abroad	4814–4815
5104	ऋषिकेश - बद्रीनारायण सड़क	Rishikesh-Badrinarayan Road	4815
5105	प्रतिरक्षा मन्त्रालय के अधीन औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings under Defence Ministry	4815–4816
5106	जम्बिया की प्रतिरक्षा सेनाओं के नवीकरण करने में भारत का सहयोग	Indian Cooperation in rationalising Zambian Defence Forces	4816–4817
5107	एवरो विमानों का निर्माण	Manufacture of Avro aircrafts	4817
5108	चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with China ..	4817
5109	युद्धपोतों तथा पनडुब्बियों का निर्माण	Manufacture of Warships and Submarines...	4817–4818
5110	प्रधान मंत्री की टिप्पणी के बारे में पाकिस्तान का विरोध-पत्र	Pak. Protest against P. Ms., remarks	4818
5111	पीकिंग में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के परिवारों को वहां से भारत लाना	Evacuation of Families of Indian Embassy Personnel in Peking	4818–4819

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

5112	विदेशों में नियुक्त भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against I.F.S. Personnel abroad ..	4819
5113	पाकिस्तानी विमानों द्वारा जैसलमेर पर से नीची उड़ाने	Low flights over Jaisalmer by Pakistani Aircrafts	4819
5115	देश में उर्दू के दैनिक समाचार पत्र	Urdu Dailies in the Country ...	4820
5116	भारत में टेलीविजन प्रशिक्षण संस्था	Television Training Institute in India	4820
5117	पाकिस्तान द्वारा बाड़मेर क्षेत्र में भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन	Air Space Violation by Pakistan in Barmer Sector	4820
5118	उत्तर प्रदेश में छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन मान	Salary scales of Cantonment Boards Employees in U. P. ..	4820–4821
5119	चीनी दूतावास के तृतीय सचिव का कलकत्ता का दौरा	Visit of the Third Secretary of Chinese Embassy to Calcutta ..	4822
5120	काहिरा में भारतीय राजनयिकों पर प्रतिबन्ध	Restriction on Indian Diplomats in Cairo ...	4822–4823
5121	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कर्मचारी संघ	National Sample Survey Employees' Union ...	4823
5122	आकाशवाणी का कुड़प्पा (आन्ध्र प्रदेश) केन्द्र	A. I. R. Station, Cuddappa (Andhra Pradesh) ...	4823–4824
5123	तिब्बती लोगों द्वारा भारत में अवैध प्रवेश	Illegal entry into India by Tibetans...	4824
5124	वायु सेना प्रशिक्षण का पुनर्नुस्थापन (रिआरियेन्टेशन)	Re-orientation of Air Force Training ...	4824

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS –Contd.			
5125	आकाशवाणी केन्द्र, औरंगाबाद	A. I. R. Station, Aurangabad ..	4824-4825
5126	काठमांडू हवाई अड्डे पर भारतीय फोटोग्राफर	Indian Photographers at Kathmandu Airport	4825–4826
5128	चैल में पब्लिक स्कूल	Public School at Chail ...	4826
5129	शिमला के लिये ट्रान्स मीटर	Transmitter for Simla	4826-4827
5130	सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के बच्चों का दाखिला	Admission of Children of Armed Forces personnel	4827
5131	दिल्ली में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये मकान	Accommodation for Defence Personnel in Delhi	4827–4828
5132	सिंगापुर और मलयेशिया के लिये सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों का भारतीयों द्वारा प्रशिक्षण	Training of Armed Forces Personnel of Singapore & Malaysia by Indians ..	4828
5133	आकाशवाणी का मथुरा केन्द्र	A. I. R. Mathura	4828–4829
5134	भारत विरोधी प्रचार	Anti India Propaganda	4829
5135	फिल्मों के माध्यम से दृश्य–श्रव्य शिक्षा	Audio Visual Education Through Films ...	4829-4830
5136	फिल्मों के माध्यम से शिक्षा का विकास	Development of Education Through Films	4830
5137	सामाजिक बुराइयों के सम्बन्ध में चल-चित्र	Films on Social Evils	4830–4831
5138	न्यू प्रभात पब्लिकेशन्स अहमदाबाद का अखबारी कागज का कोटा	Newsprint Quota of New Prabhat Publications, Ahmedabad	4831–4832
5139	केन्द्रीय सूचना सेवा	Central Information services	4832–4833
5140	चीन द्वारा भारतीय विमान को पेकिंग जाने की अनुमति न दी	Chinese refusal to permit Indian aircraft to go to Peking ...	4833

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5142	श्रीलंका तथा मलयेशिया में उच्चायुक्तों की नियुक्ति	Appointment of High Commissioners in Ceylon and Malaysia ..	4833
5143	भारतीय सेना के सैनिकों की वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट)	Increment for soldiers of Indian Army	4833–4834
5144	पट्टे पर दी गई प्रतिरक्षा मन्त्रालय की भूमि	Land belonging to the Defence Ministry given on lease ...	4834
5145	गाजा से भारतीय दस्ते के जहाजों से भारत वापस आने के लिये टेंडर	Tenders for Shipping of Indian contingent from Gaza	4834–4835
5146	गाजा से भारतीय दस्ते की विमान द्वारा वापसी	Air lifting of Indian contingent from Gaza ...	4835–4836
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	4836–4838
	लन्दन में श्री फिजो द्वारा नागा समस्याओं पर भारत सरकार के साथ बातचीत पर वक्तव्य देने के समाचार	Reported Statement by Shri Phizo in London regarding talks with Government of India on Naga Problem ..	4836
	श्री क. प्र. सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo.	4836
	श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla	4836
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilage	4838
	"यू. एन. आई. और इंडियन एक्सप्रेस" द्वारा लोक-सभा की कार्यवाही को गलत रूप से छापना	Misreporting of Lok Sabha Proceeding by UNI and Indian Express	4838
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	4838
	प्राक्कलन समिति	Estimate Committee	4839
	कार्यवाही सारांश	Minutes	4839

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

बाट और मांप मानक (जिला—कोहिमा तथा मकोकचुंग पर विस्तारण) विधेयक—पुरस्थापित	Standards of Weights and Measures (Extension of Kohima and Mokokchung Districts) Bill- Introduced	...	..	4839–4840
अनुदानों की मांगें—(जारी)	Demands for Grants –Contd.	...	...	4840
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—जारी	Ministry of Irrigation and Power		..	4840
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bhora		...	4840
श्री मु. क. नाघनूर	Shri M. N. Naghnoor	..	...	4840
श्री दत्तात्रय कुंटे	Shri Dattatraya Kunte	..	...	4841
श्री स. दा. पाटिल	Shri S. D. Patil	...	..	4842
श्री वि. कु. मोडक	Shri B. K. Modak	...	...	4843
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao		..	4844
डा. सुर्य प्रकाश पुरी	Dr. Surya Prakash Puri	...	...	4845
श्री नारायण रेड्डी	Shri M. N. Raddy	...	..	4846
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	..	...	4846
श्री शिवप्पा	Shri N. Shivappa	...	...	4847
श्री कु. ल. राव	Shr K. L. Rao	...	...	4849
संचार विभाग	Department of Communication	...	..	4852
श्री क. प्र. सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo	...	...	4853
श्री शशि रंजन	Shri Shashi Ranjan	...	...	4854
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan	...	...	4856
श्री ना. नि. पाटिल	Shri N. N. Patel	..	...	4857
श्री सुरज भान	Shri Suraj Bhan	...	...	4869
श्री इ. कु. गुजराल	Shri I. K. Gujral			4870
वियतनाम के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Vietnam		...	4873

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	..	4873
श्री उमानाथ	Shri Umanath	..	4873
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla	..	4876
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee		4878
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	...	4878

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 10 जुलाई, 1967/19 आषाढ़, 1889 (शक)
Monday, 10 July, 1967/Asadha 19, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री नौशोर भरूचा के दुःखद निधन की सूचना देनी है जो बम्बई में 59 वर्ष की आयु में 9 जुलाई, 1967 को इस संसार से चल बसे। श्री नौशोर भरूचा दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे। वह लोक सभा तथा संसदीय समितियों की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे।

हमें उनके निधन पर बहुत दुःख है। मुझे विश्वास है कि सभा संतप्त परिवार को अपना संवेदना संदेश भेजने में मेरे साथ है।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं स्वर्गीय श्री नौशीर भरूचा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री भरूचा पांच वर्ष तक इस सभा के सदस्य के रूप में हमारे सहयोगी रहे थे।

उनके बारे में मैं संक्षेप में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वकील, विद्वान आदि जिस रूप में भी उन्होंने कार्य किया पूरी निष्ठा से किया। बम्बई नगर निगम और तत्कालीन बम्बई विधान सभा तथा बाद में इस सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने अपना कर्तव्य बड़ी लगन तथा निष्ठा के साथ निभाया।

हमारे यहां बहुत से विख्यात संसदविज्ञ हुए हैं और मुझे विश्वास है तथा मैं यह आशा करता हूँ कि हमारे देश में महान संसद्विज्ञ जन्मते ही रहेंगे क्योंकि ऐसे निष्ठावान तथा लगन वाले संसद्विज्ञों के सहारे ही यह सभा लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सकेगी । मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ और कोई भी मेरी इस बात को झूठा साबित नहीं कर सकता कि मैंने अन्य कोई ऐसा संसद सदस्य नहीं देखा जो इतना अध्ययन करके बोलता हो चाहे सभा के विचारार्थ विषय छोटा ही क्यों न रहा हो । उनका जीवन बहुत ही नियमित था और उन्होंने अपना संसदीय कार्य बड़े नियमित ढंग से किया था ।

मुझे आशा है कि यह सभा एक निडर समाज-सेवक तथा असाधारण प्रतिभा वाले एक निष्ठावान तथा सच्चे संसद्विज्ञ के निधन पर शोक प्रकट करने में मेरे साथ है ।

श्री रंगा (श्री काकुलम): श्री नाथपाई ने श्री मरूचा के बारे में जो कुछ कहा है में उससे पूर्णतया सहमत हूँ । संविधान में उनकी अटूट निष्ठा थी और वे बड़े अच्छे संसद्विज्ञ थे। उन्होंने इस सभा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य को बड़ी गम्भीरता से निभाया । उनका योगदान बड़ा मूल्यवान रहा । उन्होंने पांच वर्ष तक इस सभा के सदस्य के रूप में जिस ढंग से कार्य किया उससे सभा का गौरव बढ़ा हैऔर उन्होंने एक आदर्श सदस्य का उदाहरण कायम किया है ।

मैं उनके निधन पर खेद प्रकट करने में श्री नाथपाई और अध्यक्ष महोदय के साथ हूं ।

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : श्री नाथपाई तथा श्री रंगा ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं ।

श्री नौशोर मरूचा बम्बई के निवासी थे । इसलिये मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था । मैं श्री नाथपाई से पूर्णतया सहमत हूं कि वे एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे वे एक सादे तथा निरभिमान व्यक्ति थे जिन्हें अपने कर्तव्य की पूरी अनुभूति थी और उन्होंने उसे खूब अच्छी तरह निभाया ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य शोक प्रकट करने के लिये थोड़े समय के लिये चुपचाप खड़े हो जायें ।

(इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे)

(The members then stood in silence for a short while)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटेन में बसे हुए भारतीय लोग

+

***1022. श्री हुकम चन्द कछवाय**

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

श्री ओंकार सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि एक ऐसा गिरोह है जो अस्थायी तौर पर ब्रिटेन में जाकर बसने के इच्छुक लोगों के साथ विवाह करने वाली अंग्रेज लड़कियों को धन देता है ।

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां. तो उन जालसाजी को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) सरकार ने "पीपल" नामक ब्रिटिश समाचार पत्र में इस तरह के इक्के दुक्के मामले की प्रेस रिपोर्ट देखी है । लन्दन-स्थित हमारे हाई कमीशन ने पूछताछ की है और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि यह एक ऐसा मामला है जो साबित नहीं हुआ है और कुछ निहित स्वार्थ रखने वाले लोग इसका उपयोग प्रचार के उद्देश्य से कर रहे हैं । चूंकि सम्बद्ध भारतीय अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कानूनी राय ले रहा है, इसलिये भारत सरकार का कोई कार्यवाही करने का इरादा नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether Government have taken any specific action to stop this sort of attempt at publicity ?

श्री मु० क० चागला : इसे रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जैसा मैंने कहा ऐसा मामला इक्का-दुक्का ही होता है । इस मामले में भी सम्बद्ध व्यक्ति आवश्यक कानूनी कार्यवाही करके अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know how many people have sought such legal opinion and what is the reaction of the Government of India thereto. Have Government given any thought to it that thought such cases may be rare, but they can bring bad name to our country ?

श्री मु० क० चागला : केवल एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है । उसका नाम राजमल सिंह है । उसने उस आरोप का खण्डन किया है । आरोप यह था कि उसने यह लेन देन कराने की कोशिश की थी और उसने कुछ कमीशन प्राप्त किया था और इस लेन देन में उसकी रुचि का यही कारण था । उसने इस आरोप का खन्डन किया है और वह अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिये कानूनी राय ले रहा है ।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी मामले की सूचना नहीं मिली है ।

Shri Yash pal Singh : If the Britsh girls marry Indians, what harm is there in it ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय में इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को पता है कि हाल ही में इंगलैन्ड में भारत विरोधी भावना जोर पकड़ रही है और भारतीयों द्वारा मानव शास्त्र पढ़ाये जाने पर पाबन्दी है क्योंकि उनका कहना यह है कि उनके अंग्रेजी बोलने के ढंग से इंगलैन्ड में शिक्षा का स्तर गिर सकता है ।

श्री मु० क० चागला : मैं भारत विरोधी भावना तो नहीं कहूंगा परन्तु यह अवश्य कहूंगा कि इंगलैण्ड में शायद जातिय भावना जोर पकड़ रही है। वहां की सरकार को इन सब बातों की जानकारी है। उन्होंने एक कानून पास किया है और वे इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मकान की कठिनाई तथा अध्यापन के क्षेत्र में यह भावना दृष्टिगोचर हुई है। यह भारतीयों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह भावना सभी अश्वेत लोगों भले ही वे भारतीय हों, या अफ्रीकी या एशियाई देशों के हो के विरुद्ध काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1023। श्री मधु लिमये. डा० राम मनोहर लोहिया, श्री बनर्जी, श्री फरनेंन्डीज, श्री जोशी उपस्थित नहीं हैं।

श्री नाथपाई : नियम 48 (3) के अन्तर्गत मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : नियम यह कहता है कि इसे बाद में लिया जायेगा, इस समय नहीं। मैं देखूंगा/अगला प्रश्न।

श्री नाथपाई : मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। सभा में यह प्रथा अपनाई जाती रही है। अन्यथा नियम में संशोधन किया जाना चाहिये। नियम 48 (3) में उपबन्धित है।

यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाये या जिस सदस्य के नाम में प्रश्न हो, वह अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष किसी सदस्य की प्रार्थना पर निदेश दे सकेगा कि उसका उत्तर दिया जाये।" इसमें यह उपबन्ध नहीं है कि ऐसे प्रश्न को प्रश्नकाल के अन्त में लिया जायेगा। नियम के आधार पर ही मैं आपसे संरक्षण मांग रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न पुकारा है।

श्री नाथपाई . आपके अगला प्रश्न पुकारने से पहले मैंने यह अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि समय होगा तो मैं देखूंगा।

श्री नाथ पाई : मैं इसे पुनः उठाऊंगा।

India-China Border in Soviet Maps

1024. **Shri K. N. Tiwary :** **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Bibhuti Mishra : **Shri Ram Kishan Gupta :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state.

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item in Arya varat of the 24th April, 1967 published from Patna under the heading "Russia does not recognise Chinese claims on India's frontiers", and the publication of a map of Communist China in the Soviet paper supporting this ?

(b) if so, the special features of this map; and

(c) Government's reaction thereto ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) सीमा के ऊपर चिन्ह (लीजेंड) छाप कर नक्शे में से चीन-भारत सीमा को हटा दिया गया है ।

(ग) सरकार ने यह बात नोट की है कि पहले छपे रूसी नक्शे की तरह उनमें चीन-भारत सीमा को चीनी दावे के अनुसार नहीं छापा गया है, किन्तु इसको दिखाया नहीं गया है ।

Shri K. N. Tiwary : Have Government taken up this matter with the U. S. S. R. Government ? When U. S. S. R. Govt. does not recognise Chines claims on India's boundary, why have they published this kind of map ?

श्री मु० क० चागला : रूस के पहले के रुख में काफी परिवर्तन हुआ है । पहले उनके मानचित्रों में चीन के दावों के अनुसार ही हमारी सीमा दिखाई जाती थी । अब वे सीमा नहीं दिखाते और चिन्ह छाप कर भारत तथा चीन को पृथक पृथक दिखा देते हैं । मुझे आशा है कि इस दिशा में शीघ्र ही और प्रगति होगी । हम रूस के आभारी हैं कि उसने अपना रवैया बदल दिया है और अब वह हमारी सीमाओं पर चीनी दावों को मान्यता नहीं देता ।

Shri K. N. Tiwary : Have Govt. requested Russian Govt. to publish a new map in order to clarify the position ?

श्री मु० क० चागला : रूस भारत तथा चीन के आपसी विवाद से अच्छी तरह परिचित है । रूस की चीन के साथ अपनी समस्यायें हैं । जैसा मैंने कहा हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिये और रूस के अगले कदम की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

श्री रंगा : मन्त्री महोदय ने आज सुबह जो कुछ कहा है उससे रूस की सरकार को अवगत करा दिया जाना चाहिये ।

श्री मु० क० चागला : अवश्य ही ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : इस नक्शे में भूटान तथा सिक्किम को किस रूप में दिखाया गया है ।

श्री मु० क० चागला : मेरी राय में स्थिति वही है । परन्तु मुझे इसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिये । मुझे पक्का पता नहीं है ।

श्री नायनार : क्या मन्त्री महोदय ने इस आशय का एक प्रेस समाचार देखा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के बारे में एक अमरीकी नक्शा प्रकाशित किया है जिसमें सारे कश्मीर को पाकिस्तानी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है ?

श्री मु० क० चागवा : यह वास्तव में इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता परन्तु माननीय सदस्य ने उस नक्शे के प्रकाशन के बारे में जो कुछ कहा है मुझे उसकी जानकारी है ।

Shri Abdul Ghani Dar : The hon. Minister has said that we are thankful to the U. S. S. R. Govt. Is he thankful to the U. S. S. R. for realising that they have published a wrong map which is damaging India or he is thankful for the fact that they will be publishing a correct map after understanding our position ? My second question is this. Will Govt. publish a correct map to country the wrong impression created by the publication of a wrong map, if any, by Pakistan with American collaboration or with the collaboration of anyone else ?

श्री मु० क० च गला : यदि हमारे देश के बारे में कोई गलत नक्शा प्रकाशित किया जाता है, हम तुरन्त उस देश से इसके बारे में कहते हैं और यदि अमरीका द्वारा पाकिस्तान के सहयोग से कोई नक्शा छापा गया हैं जिसमें काश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, तो हम निश्चय ही अमरीकी सरकार के साथ यह मामला उठाएंगे ।

Shri Abdul Ghani Dar : He has not Answered my first question. What for is the hon. Minister grateful to the U. S. S. R. ?

श्री मु० क० चागला : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ कि हमें रूस का आभारी होना चाहिये कि उसने अपने पहले रवैये में परिवर्तन किया है ।

श्री शशिरंजन : बहुत से देशों द्वारा अपने नक्शों में कई बार हमारी सीमाओं को ठीक नहीं दिखाया जाता और ये नक्शे परिचालित किये जाते हैं और सरकार को भी इस बात की जानकारी है । पिछली संसद् में भी यह मामला उठाया गया था । क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसे नक्शे जिनमें हमारी स्थिति ठीक ठीक न दिखाई गई हो परिचालित न होने पाये ? हमें ऐसे देशों को स्पष्टत: बता देना चाहिये कि वे हमारी सीमाओं की सही स्थिति दिखाने वाले नक्शे ही परिचालित करें ।

श्री मु० क० चागला : जी हां, इस मामले को उठाते हैं परन्तु बहुधा ये नक्शे गैर-सरकारी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं । हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि हम भारत में उनके परिचालन पर रोक लगा दें । हम हमेशा ऐसा ही करते हैं ।

Shri Kameshwar Singh : In Russia, there are no private agencies which publishes maps, Inspite of our protest they have not corrected their map, Have we again lodged a protest with them ?

श्री मु० क० चागला : हम विरोध-पत्र क्यों दें ? जैसा मैंने कहा है हम रूस के आभारी हैं । रूस ने अपना रवैया बदल दिया है और अब वह चीन के दावों के अनुसार सीमाएं नहीं दिखाता है ।

श्री पैं० वेंकट सुब्बया : क्या सरकार का विचार मित्र देशों के साथ ऐसी परम्परा कायम करने का है कि वे कोई सीमा सम्बन्धी नक्शा छापने से पहले भारतीय दूतावास या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति से परामर्श कर लें ताकि गलत नक्शों के प्रकाशन से अच्छे सम्बन्धों के खराब होने की गुंजाइश न रहे ?

श्री मु० क० चागला : यह एक सुझाव है, हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री बलराज मधोक : काफी समय से भारत के गलत मानचित्र बनाये जारहे हैं इन मानचित्रों के कारण ही भारत पर आक्रमण हुआ है। कई देशों द्वारा भारत के गलत मानचित्र प्रकाशित किये जा रहे है तथा भारत में भी सरकारी तथा गैर सरकारी एजेन्सियों द्वारा ये मानचित्र बेचे जाते हैं। अतः क्या सरकार भिन्न भिन्न देशों को हमारी सीमाओं को सही दिखाने वाले मानचित्र की एक एक प्रमाणित प्रतिलिपि भेजेगी ? कई मामलों में तो हमारे अधिकारी भी हमारी सीमाओं के बारे में नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी गैर-सरकारी अथवा सरकारी एजेन्सी को ऐसा कोई मानचित्र प्रकाशित न करने देने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये, जो हमारे देश के वास्तविक मानचित्र से न मिलता हो।

श्री मु० क० चागला : मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि किसी भी गैर-सरकारी अथवा सरकारी एजेन्सी को ऐसे कोई मानचित्र प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये जिसमें हमारे देश की सीमाए ठीक-ठीक न दिखाई गई हो। किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी एजेन्सी द्वारा इस प्रकार के मानचित्रों की बिक्री के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई ऐसा मामला बताये तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा। हमारे सभी दूतावास देश की सीमाओं से परिचित हैं। जब कभी हमारी सीमाओं को गलत दिखाने वाला कोई मानचित्र किसी अन्य देश में प्रकाशित होता है, तो इसके बारे में उपयुक्त अधिकारियों से बातचीत की जाती है और उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया जाता कि प्रकाशित मानचित्र भारत का सही मानचित्र नहीं है।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि रूस द्वारा प्रकाशित मानचित्रों में तिब्बत को चीन का भाग दिखाया गया है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : रूस द्वारा प्रकाशित मानचित्रों में न तो मंगोलिया पर और न ही भारत के क्षेत्र पर चीन का दावा दिखाया गया है और रूस द्वारा प्रकाशित नवीनतम मानचित्र में तिब्बत को चीन का भाग नहीं दिखाया गया है। क्या यह संशोधन इसलिये किया गया है कि रूस भारत-चीन सीमा के बारे में हमारे दृष्टिकोण से सहमत है अथवा चीन के साथ शत्रुता के कारण ऐसा किया गया है ?

श्री मु० क० चागला : दूसरी बात की अपेक्षा मैं पहली बात को सच मानने में विश्वास करता हूं कि रूस सीमाओं सम्बन्धी हमारे दावों के औचित्य से संतुष्ट है।

श्री नाथपाई : हमारी स्थिति ?

श्री मु० क० चागला : जी हां; हमारी स्थिति।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether Government have prepared any latest map of India showing our boundaries and whether Government have supplied the copy of this map to all friendly and unfriendly countries and if not, the reasons therefor ?

श्री मु० क० चागला : हम अपने दूतावासों को सही मानचित्र भेजते हैं । उन्हें हमारी सीमाओं के बारे पूरी जानकारी है ।

Shri Bibhuti Mishra : Do our students use the atlas brought out in India ?

श्री अध्यक्ष महोदय : श्री मधोक ने भी यही बात पूछी थी ।

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित स्कूल एटलस देखें । इस एटलस में सीमाएं ठीक-ठीक दिखाई गई है और स्कूलों के बच्चे इसी का उपयोग करते हैं । यह एक बहुत बढ़िया मानचित्र है और स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये बहुत उपयोगी है ।

Shri Bibhuti Mishra : I asked whether Mansarovar and kailash are there in the map, but the minister has pleaded ignorance.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री गणेश घोष ।

श्री गणेश घोष : क्या सरकार की यह नीति है कि हमारे दावे का समर्थन करने वाले देशों द्वारा प्रकाशित मानचित्रों से हमारा दावा तथा अधिकार उसकी तुलना में अधिक सबल होता है जो हम अपने दावों को प्राप्त करने के लिये सीधी वार्ता की पहल करके कर सकते हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य श्री मधोक की इस बात से सहमत हूं कि मानचित्रों में भारत की सीमाओं को गलत दिखाया जा रहा है और हमें भरसक प्रयत्न करके इसका विरोध करना चाहिये । मानचित्र से कोई और अधिक नुकसान नहीं कर सकते हैं । यदि कोई भाग हमारा अपना है, तो अन्य देशों द्वारा मानचित्रों में वह भाग दूसरे देश का दिखा करके हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है । किन्तु फिर भी हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिये और सम्बन्धित देश को बताना चाहिये कि वह भारत का सही मानचित्र नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether the position of Sinkaing is shown doubtful ?

श्री मु० क० चागला : मैं इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं । आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं ।

Shri Tulsidas Jadhav : May I know whether Government of India is consulted while preparing these maps ? For instance a small atlas published by America is in circulation in which Kashmir is not shown as part of India.

श्री मु० क० चागला : भारत में प्रकाशित होने वाले मानचित्रों में भारत के सर्वेक्षण विभाग से परामर्श लिया जाता है और भारत का सर्वेक्षण विभाग यह प्रमाणित करता है कि मानचित्र सही है । जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है, वे हमसे परामर्श नहीं लेते हैं यदि वे हमारे दूतावासों से पूछते हैं, तो उन्हें आवश्यक जानकारी दी जाती है ।

Shri O. P. Tyagi : May I know whether the manner in which India is shown in the map brought out by U. S S. R· indicate that Russia also considers that our boundaries are not final but in dispute and if so, whether this map has been banned in India ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । मैं बता चुका हूं कि रूस हमारी स्थिति को अधिक समझता जा रहा है । वह चीन के दावे के अनुसार सीमाओं को नहीं दिखाता है । इसके विपरीत उसने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दिया है सीमा दिखाये बिना ही केवल मार्ग दर्शन विवरण छापा है ।

Shri O. P. Tyagi : My question has not been answered. I asked whether it has been banned.

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में सिविलियनों के वेतन-क्रम

*1025. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री मधु लिमये :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में सिविलियनों के वेतनमानों की जांच करने के लिये वर्गीकरण न्यायाधिकरण (क्लासीफिकेशन ट्राइबूनेल) जिसकी सिफारिश दूसरे वेतन आयोग ने की थी, नियुक्त कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इतनी असाधारण देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) सरकार के विचार में वर्गीकरण ट्रिबुनल नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जब से 1959 द्वितीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, असंगतियों को दूर करने के लिए या अर्हताओं और अन्तर्ग्रस्त कार्यों को मान्यता देने के लिए रक्षा सिब्बंदियों में असैनिक स्थानों के कई वर्गों के वेतन क्रमों में संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और उस पर विभागीय फैसले किये गए हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : वेतन आयोग ने सर्व सम्मति से यह एक सिफारिश भी की थी कि चूंकि वह प्रतिरक्षा कर्मचारियों की समस्याओं को अच्छी तरह नहीं सुन सका इसलिये एक वर्गीकरण न्यायाधिकरण अथवा विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की जाये । सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया था । जब भूतकाल में दो रक्षा मंत्रियों तथा एक राज्य मंत्री, श्री थॉमस, द्वारा आवश्सन दिये गये थे तो उन्हें पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

श्री स्वर्णसिंह : उन्हें पूरा न करने की कोई बात नहीं है । वेतन आयोग की यह सामान्य सिफारिश की कि जहां वर्गीकरण नहीं किया गया है, वहां वर्गीकरण किया जाये । इन

कर्मचारियों के मामले में सभी वर्गीकरण युक्तिसंगत ढंग से किये गये हैं अतः कोई पृथक आयोग नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय प्रश्न को समझ नहीं पाये हैं। वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि चूंकि उसे विभिन्न आयुध कारखानों के मजूरी ढांचे तथा खंड कार्य प्रणाली पर विचार करने का अवसर नहीं मिला, अतः आयुध कारखानों के मंजूरी ढांचे पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये क्योंकि ये कारखाने खंडशः उत्पादन तथा एक मुश्त उत्पादन करते हैं।

जब अम्बझारी में हुई औद्योगिक परिषद् की बैठक में भी यह निश्चित निर्णय किया गया था तथा आयुध कारखानों के महानिदेशक ने आश्वासन दिया था जिसकी पुष्टि श्री थामस ने की थी कि यह समिति नियुक्ति की जायेगी, तो अब उसे पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझसे पूर्वाधिकारी को माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में एक पत्र भेजा था, जिसका अत्तर उन्हें विस्तारपूर्वक मिल गया था। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया था और यह निर्णय किया गया था कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नये वेतन क्रम कर्मचारियों को उस समय मिलने वाले वेतन के आधार पर निर्धारित किये जाये। बाद में यह निर्णय किया गया कि यदि वेतन क्रम निर्धारण के मामले में यदि बिगाड़ भी पैदा की जाये तो भी विशेषज्ञा समिति नियुक्त करने की आवश्यकत नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि इस समय असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ते निर्वाह व्यय के अनुसार नहीं है। क्या यह वित्त मन्त्री की मजूरी करण नीति अथवा प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा किये गये निर्णय के कारण किया गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले भाग को नहीं मानता हूं और दूसरा भाग पैदा ही नहीं होता।

श्री म० रं० कृष्ण : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि प्रतिरक्षा विभाग में असैनिक कर्मचारियों को विशेषतः रसोइयों को 20 घंटे में अधिक काम करना पड़ता है और उन्हें छुट्टियों की सुविधा नहीं मिलती है ? क्या मन्त्री महोदय इस स्थिति पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त करने के लिए तैयार हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नही है, किन्तु यदि मुझे किन्हीं मामले के बारे में बताया जाये तो में जांच करूंगा ?

श्री मं रं० कृष्ण : मन्त्री महोदय ठीक ठीक उत्तर न देकर सभा को भ्रमित करते हैं। मैंने पूछा था कि क्या रसोईयों को 20 घंटे अधिक काम करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय 'हां' या 'ना' में उत्तर दें।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सही नहीं है ।

श्री नाथपाई : कर्मचारियों के वर्गीकरण के लिये न्यायाधिकरण नियुक्त करने की सिफारिश वेतन आयोग की सर्व सम्मत सिफारिश थी । मन्त्री महोदय ने श्री बनर्जी द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में बताया है कि विवाद पैदा होने पर न्यायाधिकरण नियुक्त करने का निर्णय किया गया है ? क्या इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सरकार स्वयं विवाद पैदा करने की परिस्थितियां पैदा कर रही है ? क्या मन्त्री महोदय इसका अधिक सहानुभूति पूर्ण उत्तर देंगे ? यह तो विवाद पैदा करने का नुस्खा है ।

श्री स्वर्ण सिंह : वास्तव में यह बात वेतन आयोग द्वारा 1959 में अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिश से पैदा हुई । वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न वेतनमान निर्धारित किये जाने थे । उनके बारे में निर्णय किये गये थे । प्रत्येक कार्य का युक्तिसंगत वर्गीकरण किया गया था और सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि न्याय धिकरण स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है इसके बारे में मुझ से पूर्व रक्षा मन्त्री श्री बनर्जी को बता चुके थे । दूसरा प्रश्न जो सामान्य किस्म का है, इससे सम्बन्धित नहीं है । (अन्तर्बाधाएं) ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस पर आधे घंटे की चर्चा चाहे तो में इसकी अनुमति दे सकता हूं ।

पूर्वी पाकिस्तान में बौद्ध सम्प्रदाय के लोगों पर साम्प्रदायिक आक्रमण

\+

***1026. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री समर गुह :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान में चिटगांव में बौद्ध सम्प्रदाय के लोगों पर भारी साम्प्रदायिक आक्रमण किये जाने के बारे में यू० एन० आई० के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि दंगों के दौरान सम्पूर्ण बौद्ध बस्ती को लूटा गया और आग लगा दी गई तथा इसके 250 निवासियों की हत्या कर दी गई तथा कुछ महिलाओं को छोड़ कर सब महिलाओं के साथ बलातकार किया गया है ;

(ख) क्या उन में से कुछ बौद्ध भाग कर भारत आ गये हैं ; और

(ग) क्या इस विषय में सरकार ने कोई पूछताछ की है तथा वहां बौद्ध अल्पसंख्यको की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । सरकार ने पहली अप्रैल 1967 को पूर्व पाकिस्तान में कौक्स बाजार में गम्भीर साम्प्रदायिक झगड़े होने की खबरें

देखी हैं, जिनके अनुसार "बोद्धों के मोहल्ले के सारे मकान लूट लिए गए और उनमें आग लगा दी गई, 25 व्यक्ति मारे गए और कुछ एक को छोड़कर बाकी सभी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया है ।"

(ख) जहां तक हमें मालूम है, इनमें से शायद कोई भी व्यक्ति भारत नहीं आया है ।

(ग) भारत सरकार ने इस बारे में पूछताछ करवाई है और उसके यह विश्वास करने के कारण हैं कि अखबार की खबरें सही हैं । पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार पर है । फिर भी, भारत सरकार ने समय समय पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को परेशान किए जाने के खिलाफ पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है और उन्हें याद दिलाया है कि नेहरु लियाकत संधि की शर्तों के अन्तर्गत उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं ।

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य : क्या इस घटना के पश्चात् पाकिस्तान स्थिति हमारे उप-उच्चायुक्त ने उस क्षेत्र का दौरा किया था, यदि हां, तो उनका प्रतिवेदन क्या है ?

श्री मु० क० चागला : इसका मुझे पता नहीं है कि उन्होंने उस स्थान का दौरा किया अथवा नहीं परन्तु जैसा कि मैंने मुख्य उत्तर में बताया हमारी जानकारी यह है कि समाचार–पत्रों में जो कुछ छपा है वह पर्याप्त रूप से सही है ।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : नेहरू लियाकत अली समझौते में यह उपलब्ध था कि ऐसे मामलों में मन्त्रियों के स्तर पर संयुक्त जांच की जाये । क्या भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को संयुक्त जांच के लिये सुझाव दिया गया था ?

श्री मु० क० चागला : पाकिस्तान नेहरु लियाकत करार के उपबन्धों का पूरी तरह पालन नहीं किया है । हमने जांच के लिए सुझाव दिया था, परन्तु हमारे सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया है । इस विशिष्ट मामले में मुझे नहीं पता है । कि संयुक्त जांच के लिये अनुरोध किया गया था अथवा नहीं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Is the hon. Minister aware that the Saboteurs of to Pakistan. the Pentagon and C. I. A. of America have after working in collusion dislodged the previous Government of E. Pakistan from office which fostered communal harmony and that now a military Government has been installed there, if so, the steps Government propose to take in this regard ?

श्री मु० क० चागला : इसका मुझे पता नहीं है, परन्तु मैं यह अवश्य महसूस करता हूं कि जहां तक लोगों का सम्बन्ध है वे शांति और मित्रतापूर्वक रहना चाहते हैं । प्रायः इस गड़बड़ी के कारण कुछ और ही थे । वे कारण क्या थे, यह हमारे लिये बताना कठिन है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Will the hon. Minister look into it ?

श्री मु० क० चागला : मैं निश्चय ही जांच करूंगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Is the hon. Minister aware of the violence perpetruted on the Budhist and Hindu minorities in East Pakistan and their increasing influx into Indian territory, if so, the what steps have been taken by the Government to check that so that their repercussions in India may be obviated.

श्री मु० क० चागला : मैं भली भांति जानता हूं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोग खुश नहीं हैं परन्तु जहां तक बौद्धों पर किये गये अत्याचारों का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ बौद्ध बर्मा चले गये हैं, परन्तु भारत कोई नहीं आया है। अन्य अल्प संख्यक व्यक्ति के अत्याचारों के कारण भारत आये हैं, परन्तु बौद्ध कोई नहीं आये हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या इस सम्बन्ध में कोई विरोध पत्र भेजा गया था ?

श्री मु० क० चागला : जी हां ।

श्री कंडप्पन : क्या संसार के अन्य देशों को इन अत्याचारों की जानकारी देने के लिये प्रयत्न किया गया है ताकि इनके विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय लोक मत को बनाया जा सके ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां हमने बैंकोक, रंगून और कोलम्बो स्थित अपने आयोगों का ध्यान आकर्षित किया था कि वास्तव में क्या घटनाएं घटी गई हैं क्योंकि पाकिस्तान एक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करना चाहता है और हम चाहते हैं कि बौद्ध देश यह जान जायें कि स्वयं पाकिस्तान में बौद्धों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है ।

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 20 वर्षों में 80 लाख लोगों को इन अत्याचारों द्वारा पाकिस्तान से निकाला गया है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि लाखों अरब शरणार्थियों की खातिर हम संसार भर में बावेला मचाते रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रश्न को उठाते रहे हैं, क्या सरकार बर्मा, थाईलैंड और अन्य देशों के सहयोग से भारत या बर्मा में पाकिस्तान से आगे वाले शरणार्थियों के प्रश्न को उठाना चाहती है ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में बौद्ध मारे गये और उनके मकान लूटे गये, फिर भी हमारे उच्चायुक्त ने उन क्षेत्रों का दौरा करने और सरकार को प्रतिवेदन देने का कष्ट नहीं उठाया । माननीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान नेहरु लियाकत समझौते का आदर नहीं करता है । यह बहुत ही अजीब स्थिति है । फिर हम भविष्य में ऐसी कार्यवाही को रोकने के लिये क्या करने जा रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : हम निरन्तर रूप से पाकिस्तान को 'नेहरु–लियाकत करार' का आदर करने के लिये स्मरण करा रहे हैं । करार के अन्तर्गत पाकिस्तान में अल्प संख्यकों की सुरक्षा के लिये पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है । जब भी वह सरकार अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करती हैं हम उसका ध्यान उस ओर दिलाते हैं ।

श्री मु० क० चागला : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

Shri Prakash Vir Shastri: At the time of Partition Sardar Vallabh Bhai Patel and Pandit Jawahar Lal Nehru had told the people of East Pakistan that it was the moral duty of the Government of India to look to the interests of the minorities in Pakistan. On this very basis Sardar Patel had warned Pakistan either to stop the massacre or face the exchange of population or give enough land for the rehabilitation of the minorities coming from E. Pakistan. May I know if the Government of India drifted from its old policy and if not, whether they have protested to the Pakistan Government in this regard and told the people of the World while acquainting them with the massacre prepet ated in Pakistan that Pakistan has completely failed in giving protection to its minoritie. ?

श्री मु० क० चागला : मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारत सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमारी नीति नेहरू लियाकत करार पर आधारित है और वह नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान को अपने अल्प-संख्यकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिये। यदि वह नहीं निभाता है तो हम विरोध प्रकट करते हैं। जब भी अवसर आता है हम मित्र राष्ट्रों का ध्यान पाकिस्तान में अल्प-संख्यकों पर किये जाने वाले अत्याचारों की ओर दिलाते हैं।

सीमावर्ती सड़कें

\+

***1028. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की सीमाओं की सुचारू रूप से रक्षा के लिये सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) ऐसी सीमावर्ती नई सड़कें कितने मील लम्बी बनाई गई हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यह लक्ष्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) बोर्ड के फोरी कार्यक्रम में आवृत है, 4273 मील नई सड़कों का निर्माण, 2863 मील वर्तमान सड़कों में सुधार और 6394 मील नई निर्मित तथा सुधार की गई सड़कों की घुटाई।

उपरोक्त के विरूद्ध 31-5-1967 तक को हुई प्रगति इस प्रकार है :-

(नई सड़कों की)	3-टन ट्रेक (20 फुट चौड़ी)	2103 मील
विरचना कटाई		
	1-टन ट्रेक (16 फुट चौड़ी)	270 मील
	जीप ट्रेक (8 फुट चौड़ी)	97 मील
		2470 मील

वर्तमान सड़कों में सुधार	सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है। संबंधी प्रगति देना संभव नहीं है।	सुधार कार्यों की लम्बाई
घुटाई	रोड़ी बिछाई	2765 मील
	मेटलिंग	2597 मील
	कोलतार बिछाना	2134 मील

(ग) निर्माण सुधार की जाने वाली सड़कों का कार्यक्रम और प्राथमिकताएं समय समय पर पुनरीक्षित की जाती हैं, और लक्ष्य नियत किया जाता है। वर्तमान प्रत्याशा के अनुसार फोरी कार्यक्रम में शामिल अधिकतम सड़कों की विरचना कटाई और घुटाई और 5 वर्षों में सम्पूर्ण हो जाएगी।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : किन क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों का निर्माण संतोषजनक नहीं है और बन्द है और इसके क्या कारण हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं तो यह नहीं कहूंगा कि किन्हीं क्षेत्रों में कार्यक्रम रुका पड़ा है। यदि माननीय सदस्य के दिमाग में ऐसा कोई क्षेत्र है तो मैं अग्रेतर जानकारी देने के लिये तैयार हूं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : तीन क्षेत्र हैं—राजस्थान, हिमालय की सीमा और छम्ब-जोरिया क्षेत्र।

श्री स्वर्ण सिंह : राजस्थान में 1695 मील लम्बी सड़कों और 27 बड़े और 67 छोटे पुलों के कार्यक्रम में से अब तक 285 मील सड़क और 3 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है।

जम्मू तथा काश्मीर और हिमालय के सीमावर्ती क्षेत्र में अधिकांश कार्य सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : उत्तर में जम्मू तथा काश्मीर, हिमालय सीमा तथा अन्य क्षेत्रों का ब्यौरा नहीं बताया गया।

श्री नाथ पाई : राजस्थान क्षेत्र में हमारी सेना के असंतोषजनक कार्य का मुख्य कारण वहां पर अच्छे संचार साधन और अच्छी सड़कों का न होना था। हमें यह जानकर हैरानी हुई है कि अक्षमता, अकुशलता और भ्रष्टाचार के प्रतीक, अर्थात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सामरिक महत्व की इन सड़कों के निर्माण का काम सौंप दिया गया है। क्या इस महत्वपूर्ण विकास की ओर सरकार का यह रवैया गलत नहीं है ? माननीय मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि 1695 मील लम्बी सड़क में से केवल 285 मील पूरी की गई है। इन सामरिक महत्व की सड़कों के प्रति सरकार के ऐसे दृष्टिकोण का क्या कारण है ?

श्री स्वर्ण सिंह : राजस्थान में सड़कों के विकास को हम महत्व देते हैं और यह विकास कार्य राजस्थान के लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है न कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को।

श्री नाथ पाई ; यह तो और भी बुरा है। मैंने भूल से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का नाम ले दिया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तो बदनाम है ही परन्तु राज्य का लोक निर्माण विभाग उससे भी बुरा है।

श्री रंगा : वह कुछ काम नहीं कर रहा है।

श्री स्वर्ण सिंह : प्रगति का निरीक्षण केन्द्रीय सड़क विभाग द्वारा किया जा रहा है। हमने हाल ही में इस कार्य के लिये अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है और हम स्वयं विकास के लिये बहुत इच्छुक हैं। कार्यक्रम और निष्पादित कार्य के सम्बन्ध में मैं पहले ही आंकड़े दे चुका हूं।

श्री बलराज मधोक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सीमा सुरक्षा सम्बन्धी यह प्रश्न इस सभा में कई बार उठाया गया है और हर बार माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया कि प्रत्येक कार्य ठीक और संतोषजनक रूप से चल रहा है। परन्तु अब वह कह रहे हैं कि 1695 मील परियोजित सड़कों में से केवल 285 मील लम्बी सड़क का निर्माण किया गया है। क्या सभा को इस महत्वपूर्ण मामले में बार-बार गुमराह नहीं किया गया है और यदि हां, तो आप इस मामले में हमारी रक्षा करें ?

श्री स्वर्ण सिंह : गुमराह करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या मिजो पहाड़ी जिलों में सड़कों का निर्माण पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो यह कब पूरा होगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : उस जिले के लिये रखे गये लक्ष्य इस प्रकार हैं :

ऐजल चम्पई : 75 मील

ऐजल तुईपावड़ी : 70 मील

लुंगलेह-तुईपांग : 100 मील

ये लक्ष्य किस हद तक पूरे किये गये हैं, इसकी पूरी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : चाहे राजस्थान क्षेत्र हो, चाहे आसाम का आदिम जातीय क्षेत्र, इन सड़कों का निर्माण कार्य बहुत धीमा चल रहा है। पिछली लड़ाई में बाड़मेर क्षेत्र में हमें काफी हानि उठानी पड़ी थी और अब भी प्रगति बहुत धीमी है। अब राजस्थान के लोक निर्माण विभाग की निन्दाजनक कार्यवाहियों के समाचार आ रहे हैं। यह पता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि क्या राजस्थान लोक निर्माण विभाग काम को शीघ्रता सुचारु रूप से और ईमानदारी से करने में लगा हुआ है और यदि नहीं, तो काम को अपने हाथ में लेने तथा प्रगति को तेज करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : राजस्थान सरकार ने हमेशा दावा किया है कि वह सुगठित है और यह आरोप.....

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या वे देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को दोष देने में हमें संकोच होना चाहिए । मैं माननीय सदस्य के आरोप को स्वीकार नहीं करता ।

श्री सु० कु० तापड़िया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने गड़बड़ होने के समाचार प्राप्त होने के बारे में पूछा था । वह कहते हैं कि राजस्थान सरकार कहती है कि सब ठीक है । क्या उन्होंने इसके बारे में जांच की है ? वे क्या कार्यवाही करने वाले हैं ? उन्हें राजस्थान सरकार पर निर्भर नहीं करना चाहिए ।

श्री स्वर्ण सिंह : गड़बड़ होने का कोई समाचार नहीं आया है और जांच करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिजो पहाड़ियां न केवल उपद्रवग्रस्त क्षेत्र हैं अपितु पाकिस्तान की गतिविधियों का लक्ष्य भी हैं, क्या वे मिजो पहाड़ियों में भूस्खलन आदि के कारण इस समय असंतोषजनक संचार व्यवस्था की ओर ध्यान देंगे ?

श्री हेम बरुआ : 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान यह पता चला है कि सीमा सड़क डिवीजन के अन्तर्गत नेफा में जो सड़कें बननी चाहिये थी, वे केवल कागजों में बनी थी । वास्तव में नेफा में उनका नामोनिशान नहीं था । इसके कारण हमें मात खानी पड़ी थी । यह भी पता चला था । क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों में, जैसे नेफा में सड़कें वस्तुतः बने न कि केवल विभाग की फाइलों अथवा कागजों में रहें ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि यह सरकार का मौलिक कर्त्तव्य है कि यह देखें कि जो कुछ हम दावा करते हैं, उसका अस्तित्व होना चाहिए ।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने उत्तर से बचने का प्रयास किया है । इस सभा में सरकारी प्रवक्ता द्वारा भी चीनी आक्रमण के दौरान स्वीकार किया गया था कि वास्तव में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था । चीन द्वारा अपनी सेना जमा किये जाने के कारण हमें देश की सुरक्षा में दिलचस्पी है । उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : प्रस्तावित 4,273 मील लम्बी सड़कों में से केवल 2,470 मील लम्बी सड़कें बनी हैं । जहां तक उत्तरी सीमा का सम्बन्ध चीन के साथ पांच वर्ष पहले संघर्ष हुआ था । क्या पिछले पांच वर्षों में उत्तरी सीमा में सड़कें पूरी हो गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि उत्तरी हिमालय क्षेत्र में हमारी सड़क संचार व्यवस्था असंतोषजनक थी । इसी विशिष्ट कारण से एक विशेष एजेंसी सीमा सड़क विकास बोर्ड बनाया

गया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश और नेफा के क्षेत्रों में नई सड़कों का योजनाबद्ध निर्माण आरम्भ किया है और काफी उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारी संचार व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी है।

श्री क० लकप्पा : ठेकेदार अधिकारियों से मिलकर सड़कें बनाये बिना बहुत सा धन खा गये हैं। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भी यह बताया गया है। क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा। यदि कोई खास मामला हो, तो आप मुझे बतायें।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि चीनी आक्रमण के दौरान टस्कर एण्ड कम्पनी नाम ठेका फर्म थी और क्या कुछ सड़कों का निर्माण भारत सेवक समाज को सौंपा गया था तथा उसने अन्य लीगों की अपेक्षा अधिक घोटाला किया; यदि हां, तो क्या यह काम वापस ले लिया गया है या नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : अनेक वर्षों पहले क्या हुआ, यह मैं बिना पूर्व सूचना के नहीं बता सकता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी : भारत सेवक समाज सड़कें बना रहा है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को जानकारी नहीं ?

श्री रंगा : आसाम में लुशाई, गारों तथा अन्य आदिम जातीय क्षेत्रों में, जो पाकिस्तान सीमा के पास हैं, सड़कें बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या राजस्थान में इस सीमा सड़कों का निर्माण-कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग पर निर्भर न रह कर जो स्पष्ट ही सौंपा गया कर्त्तव्य निभाने में असफल रहा है, सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि आदिम जातियों क्षेत्रों में, उदाहरण के लिये मिजो पहाड़ियां, कुछ सड़कें सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत हैं। अन्य के बारे में सुझाव है, सो मैं विचार करूंगा।

Shri Abdul Ghani Dar : On a point of order, Sir. The hon. Minister stated just now in reply to Appa Saheb and Shri Banerjee that specific instances should be cited. They said that the Auditor General has pointed out that no roads have been constructed. Has the hon. Minister got a right to say.....

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर भाषण करना उचित नहीं है।

श्री शशि रंजन : मंत्री महोदय द्वारा दी गई रिपोर्ट में भी यह दिखाया गया है कि सीमा सड़कों के बारे में राजस्थान में प्रगति बहुत धीमी हुई है, 1600 में से केवल 200 मील।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत से सदस्य कह चुके हैं, आप केवल इसे दोहरा रहे हैं ?

श्री शशि रंजन : नेफा में इसी कारण से हमारी हार हुई थी। सभा बहुत इच्छुक है कि इस काम को मंत्रालय स्वयं संभाले परन्तु मंत्री महोदय अब भी कह रहे हैं कि राज्य का लोक निर्माण विभाग अच्छी तरह काम कर रहा है। इसे स्वयं संभालने में और सड़कों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने में मंत्री महोदय को क्या कठिनाई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस पर विचार करूंगा। श्री रंगा ने यह प्रश्न उठाया था और मैंने कहा है कि यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : इस रिपोर्ट, उस रिपोर्ट और इस सरकार, उस सरकार पर निर्भर करने की अपेक्षा क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि वे इस मामले की स्वयं जांच करेंगे तथा सभा को एक रिपोर्ट देंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सड़कों का शीघ्रता से निर्माण करने तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिये प्रत्येक कदम उठाया जायेगा।

श्री स० चं० सामन्त : जिस बोर्ड को सीमा सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया है, क्या उसमें परिवहन तथा लोक निर्माण विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सीमा सड़क विकास बोर्ड में परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि पहले से ही हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 1023 के बारे में

RE : S. Q. No 1023

Dr. Ram Manohar Lohia : I had thought that I will able to come here by the time the question No. 1023 regarding coloured Indians and South Africans, which was but down for to-day, is reahcd but unfortunatlly it did not happen....

अध्यक्ष महोदय : बहुत से प्रश्न है, जो नहीं लिये जा सके। प्रश्न काल समाप्त हो गया है। अब क्या किया जा सकता है ?

श्री नाथ पाई : अपने पद के पूर्ण प्राधिकार और सत्यनिष्ठा से आपने मुझे कहा था कि मेरी प्रार्थना पर.....

श्री अध्यक्ष महोदय : और भी प्रश्न हैं उन सबको छोड़कर कोई प्रश्न विशेष, जो माननीय सदस्य चाहते हैं, कैसे ले सकता हूं ? यदि आज हम कोई प्रथा बना दें, तो माननीय सदस्य इस प्रकार प्रश्नों को लेने के लिये कहेंगे और इससे गडबड़ी पैदा होगी।

अल्प सूचना प्रश्न

Short Notice Question

नक्सलबाड़ी क्षेत्र में डाक सेवायें

+

अ. सू० प्र० *26. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में चिट्ठियों, तारों तथा मनीआर्डरों को बांटने में विलम्ब हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को उस क्षेत्र में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

ग) उस क्षेत्र में डाक का शीघ्र ही बंटना सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) डाक व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हुई थी, किन्तु वह बहुत ही सीमित पैमाने पर हुई थी ।

(ख) उपद्रव की स्थिति होने के कारण नक्सलबाड़ी डाकघर का एक डाकिया 14-6-67 से 29–6–67 तक पांच गावों में नहीं जा सका था ।

(ग) उपर्युक्त पांचों गांवों की डाक-वस्तुएं डाकिये ने खुद नक्सलबाड़ी के बाजार के इलाके में ही ग्रामवासियों को बांट दी थी, जो कि वहां डाक-वस्तुएं लेने आए थे । इन गांवों के लिए कोई तार या मनीआर्डर प्राप्त नहीं हुए थे । डाकिये ने अब इन गांवों में जाना शुरू कर दिया है ।

Shri D. N. Tiwari : The area of Naxalbari is quite large and disturbed. The hon. Minister stated that only 5 villages have been effected. May I know whether the post offices were functioning properly and whether the people used to visit the post office for posting their letters etc.

Dr. Ram Subhag Singh : Some difficulty was experienced in all postal facilities concerning cash handlings and money orders etc. due to disturbed conditions in Naxalbari, All Post Offices in the area faced this difficulty from 14 th to 29 th June 1967.

Shri D. N. Tiwary : Is it a fact that some postal employees were attacked and this resulted in dislocation of their work ?

Dr. Ram Subhag Singh : In fact they were not attacted but they had to confine themselves to post offices.

श्री हेम बरुआ : नक्सलबाड़ी में डाक सेवाओं में गड़बड़ी हुई है, ये भी समाचार हैं कि नक्सलबाड़ी से नेपालियों को बलपूर्वक निकाले जाने के कारण नेपाल विरोध प्रकट करने वाला है । इन सब बातों से स्पष्ट है कि उस विशेष क्षेत्र में गड़बड़ी है, मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे क्या कदम उठाने जा रही हैं ताकि सामरिक महत्व के इस क्षेत्र में डाक

व्यवस्था अथवा अन्य सामान्य संचार व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न हो ? वे हमेशा इस बारे में मौन रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता यदि कोई उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या सरकार नक्सलबाड़ी क्षेत्र में डाकियों को सशस्त्र रक्षक प्रदान करने पर विचार करेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि उनकी जान को खतरा हुआ, तो स्वाभाविक है कि हम सशस्त्र रक्षक देने के लिये राज्य सरकार को कहेंगे ।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री स्पष्ट रुप से यह स्वीकार कर चुके हैं कि नक्सलबाड़ी में जहां अब गड़बड़ है, अराजकता फैली हुई है । क्या सरकार ने राज्य के मुख्य मंत्री के साथ, वे यहां आये थे, इस बारे में बातचीत की थी ?

डा० राम सुभग सिंह : बिल्कुल इस विषय पर तो नहीं, परन्तु हमने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि वे देखेंगे कि वहां पर असुरक्षा की स्थिति न रहे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Did the pro-peking elements threaten or terorise the postmen not to distribute the mail ?

Dr. Ram Subhag Singh : If any postman is attacked by Chinese elements we will meet the challeange.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस क्षेत्र में अब स्थिति सामान्य हो गई है ?

डा० राम सुभग सिंह : मूल उत्तर में मैं कह चुका हूं कि अब डाकिये वहां जाने लगे हैं ।

श्री हेमराज : डाक सेवाओं के अस्तव्यस्त हो जाने के कारण क्या हैं और सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या नक्सलबाड़ी क्षेत्र में डाक से भेजी गई वस्तुओं के वितरण में इतनी अधिक अव्यवस्था हुई कि सरकार ने इस ओर पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ा ? क्या किसी डाकिये अथवा डाकघर की सुरक्षा को खतरा हुआ था अथवा किसी डाकघर पर हमला किया गया था अथवा किसी डाकघर को जलाया गया था ? क्या गत आन्दोलन में ऐसी कोई घटना हुई थी ?

डा० राम सुभग सिंह : यह एक लम्बा प्रश्न है, लेकिन यह ठीक ठीक नक्सलबाड़ी के बारे में है क्योंकि हमें हमेंशा रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल से प्राप्त होती है । लेकिन अन्य मामलों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था; एक बड़े डाकघर को दो महीने पहले जला दिया गया था ; वहां दंगा हुआ था और लगभग 1,000 रूपये के मूल्य की सम्पति, जिसमें फाइलें भी थी, नष्ट कर दी गई थी ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मन्त्री के वक्तव्य से पता चलता है कि उस क्षेत्र में चार पांच दिन तक अथवा कुछ भी अवधि रही हो, दंगा हुआ था, क्या इस समय उस क्षेत्र में कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई दंगा नहीं है और क्या उस क्षेत्र में सभी चपड़ासी, डाक कर्मचारी आदि निशंक होकर जा आ सकते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में मैंने इस क्षेत्र विशेष के बारे में डाकघरों के काम करने के बारे में कहा था ; आपको मालूम हुआ होगा कि इस समय मनीआर्डर आदि नहीं मिल रहे हैं और आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्यों नहीं मिल रहे हैं । मैंने भी कहा कि डाकिया 14 से 29 जून तक नहीं जा सका । वे सब बातें कुछ असुरक्षा की स्थिति की ओर संकेत करती हैं ;

Dr. Ram Manohar Lohia : Why does not the hon. Minister go and see the conditions prevailing there for himself ?

Dr. Ram Subhag Singh : I shall go.

Dr. Ram Manohar Lohia : But go without police.

Dr. Ram Subhag Singh : I will go alone but if Dr. Lohia want I can also take him with me.

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister just now stated that the postal articles are not being delivered there. Does the hon. Minister intend to pay on the spot visit there for a factual assessment of the situation and report back to us ?

Dr. Ram Subhag Singh : Mr. Speaker, whenever I consider it necessary, I will go there with your permission. I have not gone there so far because all the postmen are doing their job.

श्री स० कुण्डू : माननीय मन्त्री ने अव्यवस्था की बात कही । यह अव्यवस्था किस प्रकार की थी जिसके कारण डाकिये इन गांवों में नहीं जा सके और डाक नहीं बांट सके ? क्या 14 और 29 जून के बीच मन्त्री महोदय ने डाकियों को पुलिस की सुरक्षा प्रदान करने के लिए तुरन्त पश्चिम बंगाल सरकार से कहा था ताकि वे डाक बांट सकें और यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार का क्या उत्तर था ?

डा० राम सुभग सिंह : सरकार को उस क्षेत्र में विद्यमान स्थिति की पूरी जानकारी है, मैंने कहा भी है कि दो अन्य डाकघरों से सारी नकदी नक्सलबाड़ी ले जाई गई थी क्योंकि यह स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा बड़ा है । इसलिये असुरक्षा की स्थिति तो होनी ही है ।

Shri Paraksh Vir Shastri : Recently there were reports that bridges on small roads connecting the main road were blown to prevent the entry of police into those villages. It is quite obvious that the movement of mail would have been stopped when police could not reach there. What arrangements have been made to ensure the despatch of postal articles to there and other nearby villages ?

Dr. Ram Subhag Singh : The entire arrangement has been dislocated but people are informed through chowkidar that they have got a letter, or mondey order or telegram, which they may collect.

Shri Sheo Narain : Posts and Telegraphs is a Central subject and army is also a central subject. Since police help was refused, what steps are being taken by the Union Government to ensure the delivery of postal articles there ?

Dr. Ram Subhag Singh : The suggestion of the hon, Member will be considered.

श्री नाथ पाई : मैं यह जानने का इच्छुक हूं कि क्या डा० लोहिया और डा० राम सुभग-सिंह की नक्सलबाड़ी की ऐतिहासिक यात्रा के लिये कोई तिथि नियत की गई है ? क्या उन्हें कोई शिकायतें मिली हैं कि नक्सलबाड़ी में बांटी गई डाक के कुछ मामलों में टिकटों पर डाक विभाग की मोहर के स्थान पर एक नई मोहर अंकित की गई थी, जिसमें 'जय माओं' और 'जय माओंत्से-तुंग' के नारे लिखे हुए थे ?

डा० राम सुभग सिंह : पहले प्रश्न के पहले भाग के बारे जब भी मुझे दो दिन का समय मिलेगा, मैं इस क्षेत्र का दौरा करूंगा डा० लोहिया का स्वागत है। डाक टिकटों पर मोहर के बारे में हम कभी भी अपने डाकघरों में इसकी इजाजत नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा हुआ है ? वह यह जानना चाहते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : जी नहीं, ऐसा होने नहीं दिया जा सकता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the hon. Minister let us know, since the cash was looted from the post offices and they were set on fire and you discussed the matter with the Chief Minister of west Bengal, who or his Government does not want to make such arrangements, what steps you going to take for their security ? Have you received any suggestions from your west Bengal Unit; if so, the nature thereof ?

Dr. Ram Subhag Singh : I have stated that I had not discussed Naxalbari, it was a general discussion on difficulties in routine working, that too two months before this looting when police and railway protection force personnel were attacked. All these things were dicussed.

Shri Kanwar Lal Gupta : I had asked if they do not extend their help, what are you going to do ?

Dr. Ram Subbg Singh : The question of help does not arise as with the cooperation of both the situation is to be controlled.

Dr. Ram Manohar Lohia : I presume that Dr. Ram Subhag Singh will go there without police. It is a dangerous thing to go with a Minister in a disturbed area but Joined Dr. Ram Subhag can prove to be a good shield. If he fixes a date within a week, I may accept it in advance. But there should be no police.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत और बर्मा के बीच करार

*1021. **श्री क० नारायण राव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बर्मा मैत्री संधि, 1951 के अनुच्छेद 5 के अनुसरण में व्यापार, सीमा-शुल्क, सांस्कृतिक सम्बन्ध, संचार, अपराधियों की प्रत्यर्पण, आप्रवजन अथवा प्रत्यावर्तन तथा दोहरी राष्ट्रिकता के बारे में भारत और बर्मा के बीच कोई करार हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) भारत और बर्मा की सरकारों ने 24 दिसम्बर 1962 को व्यापार एवं वाणिज्य करार पर हस्ताक्षर किए जो तीन वर्ष के लिए वैध हैं। बर्मा सरकार इसकी शर्तों और व्यवस्थाओं को उस समय तक व्यवहार में निरन्तर लागू करने के लिए राजी हो गई है जब तक कि दोनों सरकारों के बीच एक नया करार संपन्न नहीं हो जाता है। जहां तक संचार का संबंध है, भारत और बर्मा, दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ के सदस्य हैं और पत्राचार, बीमाशुदा पत्रों के विनिमय आदि का नियमन अंतर्राष्ट्रीय डाक अभिसमय की व्यवस्थाओं से नियमित किया जाता है। चुंगी, सांस्कृतिक सम्बन्ध, अपराधियों के प्रत्यर्पण, आप्रवासन और पुनर्देशावर्तन और दोहरी राष्ट्रिकता के बारे में बर्मा के साथ कोई औपचारिक करार नहीं है ; इन क्षेत्रों में जो कोई समस्याएं उठ खड़ी होती है, उन पर मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना से कार्यवाई की जाती है।

भारतीय तथा दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लाग

*1023. **श्री मधु लिमये** :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/संयुक्त राष्ट्र संघ को भारतीय तथा दक्षिणी अफ्रीकी के अश्वेत लोगों के लिये न्याय प्राप्त कराने में कुछ सफलता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा 1946 से प्रायः प्रतिवर्ष ही दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की जाती भेद की नीति की निंदा करते हुए प्रस्ताव स्वीकार करती रही है। 1962 में इसमें एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था जिसमें इसने घोषणा की कि जातिभेद से अंतर्राष्ट्रीय शांति

और सुरक्षा को खतरा है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से कहा कि वे दक्षिणी अफ्रीका की सरकार से राजनयिक संबंध तोड़ लें। दक्षिणी अफ्रीका के ध्वज वाले सारे जहाजों के लिए अपने-अपने बंदरगाह बंद कर दें ; दक्षिण अफ्रीका के साथ हर तरह के व्यापार का बायकाट कर दें ; और दक्षिण अफ्रीकी विमानों को अपने देश पर उतरने या गुजरने की इजाजत न दें। महासभा ने सुरक्षा परिषद से भी यह प्रार्थना की कि दक्षिण अफ्रीका से महासभा के प्रस्तावों पर अमल करवाने के लिए वह समुचित उपाय करे जिनमें नाकेबंदी भी शामिल है। 1965 में महासभा ने एक और प्रस्ताव पास किया जिसमें अन्य बातों के अलावा जाति भेद के शिकारों और उनके परिवारों की सहायता के लिए एक 'संयुक्त राष्ट्र न्यास कोष' भी स्थापित किया गया। इसी तरह का एक और प्रस्ताव 1966 में फिर स्वीकार किया गया। दक्षिणी अफ्रीका अब तक जातिभेद की अपनी नीति बदलने में असमर्थ रहा है।

पारपत्र देना

*1027. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री ओंकार सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारपत्र देने की प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो नई प्रणाली की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस नई प्रणाली से पारपत्र लेने वाले लोगों को किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

विदेश मन्त्री (श्री सु० क० चागला) : (क) और (ख) कोई प्रस्ताव तत्काल सामने नहीं है क्योंकि सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की पद्धति की पहले ही जांच कर ली है और जून 1966 में उसे सरल बनाया है। जो सरलीकरण किया गया है, उसकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं ;

1. सम्बन्धियों और मित्रों के निमंत्रण पर अथवा डाक्टरी इलाज के लिए विदेशों का जानेवाले आवेदकों को संप्रेरक घोषणा–पत्र और डाक्टरी प्रमाण-पत्र देने की अब जरुरत नहीं है।

2. यूनाइटेड किंगडम, आस्ट्रेलिया आदि जाने वाले लोगों को अब प्रवेश परमिट देने की जरुरत नहीं है।

3. आयकर अथवा संपत्ति कर देने वाले आवेदक को वित्तीय गारंटी देने की अब जरूरत नहीं है।

4. जिस अर्जी के साथ प्रथम श्रेणी के वृत्तिक मजिस्ट्रेट अथवा उप सचिव के अथवा उससे ऊपर के दर्जे के अधिकारी का सत्यापन प्रमाण-पत्र हो उसे तमाम अर्जियों के ऊपर प्राथमिकता मिलती है और पासपोर्ट तत्काल जारी कर दिया जाता है।

5. जब अर्जी के साथ सत्यापन-प्रमाण-पत्र न हो लेकिन उसके साथ शपथ-पत्र हो तो उसे भी समुचित प्राथमिकता दी जाती है और चंद हफ्तों में पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है।

मास्को रेडियो से भारत विरोधी प्रसारण

*1029. श्री स्वेले :
श्री आत्म दास :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री मरंडी :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री प्र० न० सलंकी :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री कार्तिक ओराओं :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री शिकरे :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री जुल्फिकार अली खां :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री पीलु मोदी :
श्री स० कुण्ड :
श्री वेद्यर बेहेरा :
श्री सेझियान :
श्री कंडप्पन :
श्री निहाल सिंह :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सेक्वीरा :
श्री म० अमरसे :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री भा० सुन्दरलाल :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मास्को रेडियो अपनी विदेश सेवा 'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस' के माध्यम से भारत, भारत सरकार तथा भारत के राजनैतिक नेताओं की खुले रूप से तथा बहुत ज्यादा आलोचना कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार इसे अपने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं समझती ; और

(ग) क्या इसके बारे में रूस सरकार से विरोध प्रकट किया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री म० क० चागला) : (क) सरकार को उन प्रसारणों के बारे में मालूम है जो सोवियत संघ से संचालित बताए जाने वाले 'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस' से किए गये हैं और जिनमें भारत के कुछ राजनीतिक नेताओं की आलोचना की गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने इस मामले को सोवियत संघ के नई दिल्ली स्थित प्रतिनिधियों के साथ उठाया है तथा मास्को स्थित अपने राजदूतावास के माध्यम से सोवियत अधिकारियों के साथ भी।

पाकिस्तानी उच्चायोग की एक 'स्कूटरवान' की तलाशी के बारे में पाकिस्तान द्वारा विरोध-पत्र

*1030. श्री कामेश्वर सिंह : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने 15 जून, 1967 को चीनी दूतावास से निकल रही अपने उच्चायोग की एक स्कूटरवान के कथित तलाशी लिए जाने के बारे में भारत से विरोध प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने भी भारत से चीनी राजनयिकों को निकाले जाने के समय पाकिस्तान द्वारा चीन को सहायता किये जाने के बारे में पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजा है ; और

(ग) यदि नहीं तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चीनी राजदूतावास द्वारा भारत सरकार के असम्मान के प्रदर्शन में नई दिल्ली-स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसके साथ एकता का जो प्रदर्शन किया है, उस पर भारत सरकार को चिन्ता से उसे अवगत कर दिया गया है।

एशियाई परिषद

*1031. श्री रा० बरुआ :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री श्रीधरण :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री क० लकप्पा :
श्री न० कु० सांघी :
श्री देव व्रत बरुआ :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण-पूर्व एशिया के रीजन के देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एशियाई परिषद बनाने के प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ;

(ग) क्या उस रीजन के देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

विदेश मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार के अध्ययन के आधार पर एशिया परिषद ने उस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढावा देने का एक परीक्षात्मक विचार रखा था। अन्य देशों की प्रतिक्रिया और विचारों को ध्यान में रखते हुए इस पर आगे विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : हमने परीक्षण के तौर पर जो विचार सामने रखे हैं उन पर राजनयिक सूत्रों के जरिये कुछ उत्तर मिले हैं लेकिन इस स्थिति में उन प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी देना उचित न होगा क्योंकि वे गोपनीय हैं। इस विषय का निरन्तर अध्ययन किया जा रहा है लेकिन यह कहना कठिन है कि उस तरह के प्रस्तावित संगठन का निर्माण करने और अगर उचित हुआ तो उसे शक्ल देने में कितना समय लगेगा क्योंकि यह सब कुछ क्षेत्र के अन्य देशों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

भारतीय सांख्यिकी संस्था का पुनर्गठन

*1032. **श्री समर गुह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सांख्यिकी संस्था का बिलकुल पुनर्गठन करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्यतया भारतीय सांख्यिकी संस्था के और विशेषतया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, नौकरी लगातार बनाये रखने तथा सेवा की शर्तों को कायम रखने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) भारतीय सांख्यिकी संस्था के पुनर्गठन के ऐसे उपाय करते समय क्या सरकार 'संगठन तथा प्रबन्ध' के सम्बन्ध में पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें लागू करने को प्राथमिकता देगी ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) सरकार संस्थान की सलाह से पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

भारत द्वारा नेपाल के लिये बनाये गये हवाई अड्डे तथा पावन-पथ

*1033. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा नेपाल के लिये अब तक बनाये गये हवाई अड्डा तथा पावन पथों की संख्या कितनी है, उनके नाम क्या हैं और उन पर कितनी राशि व्यय हुई है ;

(ख) क्या ये हवाई अड्डे तथा पावन-पथ भारत सरकार को हमारे विमानों के प्रयोग के लिए उपलब्ध किये जायेंगे ; और

(ग) इन हवाई अड्डों तथा पावन पथों का निर्माण नेपाल के साथ की गई किन शर्तों के अन्तर्गत किया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री सु० क० चागला) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें यह सूचना दी गई है । [पुस्तकालय में रखा, गया देखिये संख्या एल० टी० 968/67]

अरब देशों के राज्य क्षेत्रों से इसराईल की सेनाओं को हटाने की मांग

*1034. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० न० सौलंकी :
श्री भरंडी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब देशों के राज्य क्षेत्रों से इसराईल की सेनाओं को बिना शर्त हटाने की मांग करने के लिये संयुक्त प्रयास करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटों से असम्बद्ध देशों को संगठित करने का कोई प्रयास किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस उद्देश्य के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटों से असम्बद्ध देशों का साथ देने के लिये सहमत है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत ने अन्य 17 देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव का मसौदा रखा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ इसराईल से यह भी कहा गया कि वह अपनी सारी सेनाएं 5 जून 1967 से पहले के ठिकानों पर हटा ले । इस प्रस्ताव को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं प्राप्त हो सका ।

Return of Hostile Nagas From China and Pakistan

*1035. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri J. H. Patel :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the hostile Nagas, who had escaped into China and Pakistan a few days back, have returned to India after obtaining weapons and training in guerilla warfare from there ; and

(b) if so, the steps taken by Governments to stop such in the inter ference by the Government of China and Pakistan in the internal affairs of India ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. According to reports available to the Government of India some underground Nagas who had crossed over to China via Burma are reported to have returned to Nagaland. We have no information about the quantum of assistance received by them.

(b) All possible measures within the limits of our resources in men and funds are being taken.

विदेशी राजनयिकों द्वारा प्रकाशित लेख

*1036. श्री क० लकप्पा :
श्री ओंकारण :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस आशय के आक्षेप लगाये गये हैं कि कुछ देशों के राजनयिक प्रतिनिधि ऐसे लेख प्रकाशित कर रहे हैं, जिनमें से कुछ लेख भारत के लिए अपमानजनक हैं हैं तथा भारत के हितों के लिए हानिकारक हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित दूतावासों के साथ इस मामले पर बातचीत करेगी ; और

(ग) क्या सरकार दूतावासों को इस मामले में आचार संहिता स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां, इस तरह के आरोप हैं ।

(ख) जी हां, भारत सरकार सम्बद्ध राजनयिक मिशनों के साथ इस मामले को उठाएगी ।

(ग) सरकार ने भारत स्थित सभी राजनयिक, कोंसली और व्यापार मिशनों को सूचित किया है कि इस तरह की कोई प्रचार सामग्री प्रचारित अथवा वितरित करने की इजाजत नहीं है ; जो

(एक) भारत के आंतरिक कानूनों के स्पष्टतया विरुद्ध हो ;

(दो) भारत के प्रति शत्रुता अथवा अमैत्रीपूर्ण हो अथवा ऐसी हो जिससे भारत सरकार या भारत की जनता के विरुद्ध दुर्भावना उत्पन्न होती हो ;

(तीन) भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों में दुर्भावना जागृत करने वाली हो ;

(चार) ऐसी जिससे किसी तीसरे देश के प्रति, जिसके साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हों, दुर्भावना उत्पन्न होती हो अथवा उसका ऐसा असर पड़ सकता हो ।

उच्च शक्ति वाले ट्रान्समीटर

*1037. श्री वी० चं शर्मा : क्या सूचना तथा प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विरुद्ध चीन तथा पाकिस्तान के प्रचार का खण्डन करने के लिये उच्च शक्ति वाले रेडियो ट्रांसमिटर लगाने की योजना सरकार ने क्रियान्वित की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अपने उद्देश्य में यह कहां तक प्रभावी सिद्ध हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) ट्रांसमिटरों के इस वर्ष के अन्त तक या अगले वर्ष के प्रारम्भ में प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । पर, ये निश्चित ही प्रभावी होंगे ।

Passport of Shri Biju Patnaik, Former C. M., Orissa

*1038. Shri Y. S. Kushwah :
Shri K. P. Si gh Deo :
Shri C. Muthusami :
Shri H. Ajmal Khan :
Shri Sequeira .
Shri Yashpal Singh :
Shri P. K. Deo :
Shri A. Dipa :
Shri M. C. Majhi :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to extend the period of the passport of Shri Biju Patnaik, former Chief Minster of Orissa ;

(b) whether it is also a fact that the present Chief Minister and the Union Home Minister had urged the Ministry of External Affairs not to extend the period of the passport ;

(c) when the application for the renewal of the passport was submitted and when it was renewed ; and

(d) whether Government of Orissa had urged the Ministry of External Affairs not to extend the period as they intend to file a suit against Shri Patnaik on corruption charges ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. The Central Government decided on 19th May, 1967, to renew the passport of Shri Bijoyanand Patnaik.

(b) The correct position is that a request was received by the Central Government from the State Government of Orissa that Shri Patnaik's passport should not be renewed.

(c) An application for the renewal of the passport of Shri Patnaik was received by Regional Passport Officer, Calcutta, on March 28. 1967, and it was renewed on 20th May, 1967.

The Government of Orissa informed the Central Government that they intended to appoint a Commission of Inquiry to investigate certain alleged charges against the former Ministers of that State and requested that Shri Patnaik's passport should not be renewed on that ground.

एवरो-748

*1039. श्री चं० चु० देसाई :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री रा० की० अमीन :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान एवरो-748 विमान पुराना पड़ चुका है और जब हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, कानपुर के साथ किया गया वर्तमान करार 9 वां विमान मिलने पर पूरा हो जायेगा, जिसमें संभवतः लगभग दो वर्ष लग जायेंगे, क्या यह एवरो–748 किस्म का विमान सर्वथा पुराना हो जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसा विमान खरीदे जाने और चलाये जाने के क्या कारण हैं, जो गति, क्षमता, उड़ान की लागत तथा सुरक्षा की दृष्टि से पुराना हो चुका है ;

(ग) क्या यह सच है कि एवरो विमान की उत्पादन क्षमता का शत प्रतिशत उपयोग नहीं किया जा रहा और इसे चलाने में व्यापारिक दृष्टि से हानि होगी ; और

(घ) यदि हां, तो प्रति एवरो विमान प्रतिमास कितनी हानि होगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) एच० ए० एल० (कानपुर डिवीजन) को प्राप्त एच० एस० 748 विमानों का आर्डर आर्थिक दृष्टि से लाभकर उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं है । परन्तु आई० ए० सी० को केवल समतुल्य विमान की आयात लागत एच० ए० एल० को अदा करनी होती है । जैसा कि फोकर फ्रेंडशिप पर आई० ए० सी० का अनुभव है ; 60 प्रतिशत लोड फैक्टर पर, एवरो 748 को चलाने की लागत फोकर फ्रेंडशिप का लगा खा सकती है ।

लन्दन से नागा प्रतिनिधि मण्डल की वापसी

*1040. श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम राज :
श्री अद्वाकर सूपकार :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री द० चं० शर्मा :
श्री आत्म दास :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दो सदस्यीय नागा प्रतिनिधि मण्डल लन्दन में विद्रोही नागा नेता, श्री फिजो से मिलने के बाद भारत में वापस आ चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिनिधि मण्डल ने सरकार को श्री फिजो का कोई सन्देश दिया है अथवा उनके साथ हुई बातचीत का ब्योरा बताया है और यदि वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, तो क्या वह निष्कर्ष सरकार को बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों ने बताया था कि उन्हें छिपे नागाओं ने भेजा है और नागालैंड पहुंचकर वे उन्हीं को रिपोर्ट पेश करेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में अल्प-कालिक सैनिक प्रशिक्षण

***1041. श्री गु० सि० ढिल्लों** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब के सीमावर्ती जिलों के लोगों को इस सामान्य मांग को पूरा करने के लिये किसी योजना का विचार कर रही है कि गुरदासपुर, फीरोजपुर तथा अमृतसर जिलों में भारत पाकिस्तान सीमा के 15 मील अन्दर तक के क्षेत्रों के सभी समर्थ शरीर वाले व्यक्तियों को अल्पकालिक सैनिक प्रशिक्षण दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले इन अल्पकालिक प्रशिक्षणार्थियों को किसी आपातकाल की स्थिति के समय शस्त्र देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) आम लोगों को सैनिक प्रशिक्षण अथवा गोली बारूद और हथियारों के प्रयोग में प्रशिक्षण देने के लिये विभिन्न योजनाएं प्राप्य हैं । इनमें शामिल है ।

1. छात्रों के लिए एन० सी० सी० ।

2. प्रादेशिक सेना ।

3. गृह मंत्रालय की असैनिकों के लिए राईफल प्रशिक्षण की योजना ।

4. होम गार्डीज ।

इनके अतिरिक्त सीमावर्ती गांवों के लिए स्थानीयत: सुरक्षा उपलब्ध करने में विशेष सहायता देने के लिए अभिकल्पित होम गार्डज के विशेष सीमावर्ती पक्ष के लिए एक योजना गृह मन्त्रालय के विचाराधीन है ।

गुरदासपुर, फिरोजपुर और अमृतसर के जिले उपरोक्त चारों योजनाओं द्वारा आवृत्त है, और होम गार्डज़ के विशेष सीमावर्ती पक्ष के लिए योजना द्वा । विशेषत: और अधिक आवृत्त हो जाएंगे ।

चीन द्वारा भारत चीन सीमा पर सैनिक शक्ति का बढ़ाया जाना

*1042. **श्री सो० सिं० बसी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि भारत–चीन सीमा पर सभी स्थानों पर चीन अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीन नेफा–चीन सीमा पर अपने लाल रक्षक बड़ी संख्या में जमा कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या अनुमान लगाया है और इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्ट देखी है कि चीन लाल गार्ड तिब्बत के साथ लगते उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र के साथ-साथ इन महीनों में सक्रिय हो उठे हैं ।

(ग) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि चीनी गार्ड तिब्बतियों को आतंरिक्त करते रहे हैं और धर्मस्थानों में विभिन्न उत्पात करते रहे हैं । यद्यपि इसका अपने देश की सुरक्षा पर सीधे प्रभाव नहीं पड़ता, इन अभिवर्धनों का जो अपनी सीमाओं के उस पार परिप्लुत स्थितियों के द्योतक हैं, अन्य तथ्यों जैसे कि सैनिकों का विन्यास, जिनका हमारी सुरक्षा पर सीधे प्रभाव प्रड़ता है, ध्यान रखा जा रहा है । अपनी सुरक्षा और प्रादेशिक एकता की रक्षा के लिए उचित प्रतिकर उपाय किए जा रहे हैं ।

गाजा में भारतीय सैनिकों की मृत्यु के बारे में जांच

*1043. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री सेक्वीरा :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया है, जिनमें गाजा क्षेत्र में हमारे सैनिक अधिकारी और जवान मारे गये ;

(ख) क्या यह सच है कि कप्तान विजय सच्चर जो इस क्षेत्र में शहीद हुए थे, अपने साथियों को निकालते समय उनकी जीप एक बारूदी सुरंग पर आ जाने के कारण मारे गये थे; और

(ग) यदि हां, तो ये बारूदी सुरंग संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा बिछाई गई थी अथवा इसराईल द्वारा और कप्तान सच्चर के साथ कितने व्यक्ति मारे गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जांच-पड़ताल जारी है ।

(ख) और (ग) केप्टेन सच्चर के साथ अन्य रैंको के दो भारतीय भी मारे गए थे । इस बारे में और दूसरे मामलों में जांच–पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है ।

भारत–पाकिस्तान वार्ता

***1044. श्री आत्म दास :**
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काश्मीर विवाद सहित सभी अवशिष्ट विवादों पर विस्तार से वार्ता करने के प्रस्ताव के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री से उत्तर प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) मेरे 6 मई 1967 के पत्र का पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो उत्तर भेजा है, उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 969/67] सरकार इस पत्र पर सावधानी पूर्वक विचार कर रही है । हथियारों की कमी के सवाल पर मैंने 6 मई 1967 के अपने पत्र में पाकिस्तान सरकार को सरकार का रुख साफ तौर से समझा दिया है । जहां तक दोनों देशों के बीच सिविल हवाई उड़ानों और दूर-संचार को फिर से शुरू करने पर बातचीत करने के प्रस्ताव का संबंध है, हमने पाकिस्तान सरकार को सुझाव दिया था कि हमारी बातचीत का आकार व्यापक कर देना चाहिये जिससे कि उसमें अन्य निकट संबद्ध मामले भी शामिल किये जा सकें । पाकिस्तानी विदेश मंत्री के पत्र में हमारे सुझाव का कोई निश्चित जवाब नहीं है । बहरहाल, राजनयिक कोशिशें जारी हैं ।

विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिये पुनर्वास केन्द्र

*1045. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युद्ध में घायल अथवा विकलांग होने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिये देश में कितने पुनर्वास केन्द्र हैं;

(ख) इनमें से कितने केन्द्रों की देखभाल रेड क्रास सोसाइटी द्वारा की जाती है;

(ग) विकलांग सैनिकों को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(घ) इन भूतपूर्व सैनिकों को कितनी पेंशन तथा/अथवा भत्ते मिलते हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग) आर्मी मेडिकल रिहेबिलिटेशन की 2 यूनिटें हैं–एक किरकी (पूना) में और दूसरी लखनऊ में जहां निर्योग्य, सेवाओं के सेविवर्ग सैनिक अस्पतालों में अपना उपचार समाप्त कर लेने पर दाखिल किये जाते हैं, और उन्हे बेरकों के कमरों के वातावरण में, जो निर्योग्यता के स्तर के आधार पर, उनके लिए विशेष तौर पर उपयुक्त होता है, ऐसे प्रतिकर व्यायाम अभ्यास और खेल दिये जाते हैं, और व्यवसायों जैसे कि बढ़ई के काम, बुनाई इत्यादि में व्यवसायिक प्रशिक्षण । औद्योगिक या व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करने के अन्य जिन पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों का उपयोग किया जा रहा है, वह है—

1. क्वीन मेरी तकनीकी स्कूल किरकी (पूना) ।

2. वयस्क अंधों के लिए देहरादून का प्रशिक्षण केन्द्र ।

3. वयस्क बहरों के लिए हैदराबाद का प्रशिक्षण केन्द्र ।

4. विभिन्न राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं ।

निर्योग्य सैनिकों को उनकी शिक्षा योग्यता और अवशेष क्षमता के आधार पर दरजी के काम, बढ़ई के काम, वेल्डिग, इलेक्ट्रिशियन पाठ्यक्रम इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जाता है । बंगलोर में रेडक्रास होम नाम की एक संस्था है, जो भारतीय रेडक्रास द्वारा चलाई जाती है, और जहां पैरों के फालिज ग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों को रखा जाता है, और उनकी देखभाल की जाती है ।

(घ) साधारण दरों से उच्च दर पर निर्योग्यता पेन्शन उन भूतपूर्व सैनिकों को देय है जो पाकिस्तान के विरुद्ध हाल की संक्रिया में घावों के कारण सेवा से इन्वेलिड किए गए थे। इसके अतिरिक्त 100 प्रतिशत निर्योग्यता वालों के लिए साधारण दरों पर निरन्तर सहायक भत्ता भी दिया जाएगा, अगर निर्धारित शर्तें पूरी हो जाएं।

Ban on Broadcasting of Tagore Songs from Radio Pakistan

*1046. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Y. S Kushwah :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Atam Das :**
Shri Raghuvir Singh Shastri : **Shri M. L. Sondhi :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Radio Pakistan has banned the broadcasting of Tagore Songs from there ; and

(b) if so, the reaction of the Government of India in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. The Government have seen reports in newspapers that the Central Information and Broadcasting Minister of Pakistan, Khwaja Shahabuddin stated in the National Assembly on June 22nd that in future songs by Raibindra Nath Tagore which were against Pakistan's cultural values would not be broadcast over Radio Pakistan and the use of other songs would also be reduced. This statement has created a controversy in Pakistan. Articles and editorials have appeared in the Pakistani press expressing resentment against this decision. Various cultural organisations and poets, painters, educationists and writers in Pakistan have strongly protested against this decision. Several political leaders of Pakistan, including Maulana Bhasani, leader of the National Awami Party, have also objected to this move.

(b) The decision of the Pakistan Government will no doubt cause surprise and pain to the many admirers of Rabindra Nath Tagore all over the world. The admiration of Tagore who was closest to the Universal Man is not confined to the Bengali speaking population of the Indian sub-continent and extends to many thousands of intellectuals in various countries who will no doubt be shocked at the Pakistan decision. Since the dicision primarily concerns the people and Government of Pakistan, it is to be hoped that wiser counsels will prevail.

चीनी दूतावास द्वारा एक भवन निर्माण फर्म को देय बकाया राशि

*1047. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या एक भवन निर्माण फर्म ने सरकार से प्रार्थना की है कि चीनी दूतावास के कर्मचारियों को तब तक दिल्ली से जाने की अनुमति न दी जाये जब तक वे उनकी बकाया राशि का भुगतान न कर दें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : जी हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

पाकिस्तान द्वारा अपनी रक्षा–व्यवस्था सुदृढ करना

***1048. श्री मरंडी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान फाजिल्का क्षेत्र में पश्चिम पंजाब सीमा के साथ–साथ अपनी रक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर रहा है और बंकर बना रहा है;

(ख) क्या ये ताशकंद घोषणा की शर्तों का उल्लंघन नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान द्वारा ताशकंद समझौते के बारम्बार उल्लंघन की और अन्य देशों का ध्यान दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी; और

(ङ) पाकिस्तान से खतरे का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) पाकिस्तान की सैनिक तैयारी जो स्पष्टतः भारत के विरुद्ध उद्दिष्ट है, ताशकन्द घोषणा की भावना के अनुरूप नहीं है । उस घोषणा के पाकिस्तान द्वारा बार बार के उल्लंघन मित्र देशों के नोटिस में लाये गये हैं, और इस सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण को प्रायः सराहा गया है ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (कानपुर डिवीजन) द्वारा यात्री विमानों का निर्माण

***1049. श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर स्थित कारखाने में यात्री विमान एच० एस०–748 का निर्माण आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्षमता, रफ्तार और उड़ान की ऊंचाई कितनी है;

(ग) यह विमान गुण और उत्पादन कला में एवरी-748 विमान से किस प्रकार भिन्न है; और

(घ) कानपुर स्थित इस कारखाने में तथा समस्त देश में प्रति वर्ष ऐसे कुल कितने यात्री विमानों का निर्माण किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) एच० एस० 748 विमान की क्षमता 40 यात्री बिठाने की है और 25000 की ऊंचाई पर, रफ्तार 230 नाट्स।

(ग) एच० एस० 748 एवरों 748 से भिन्न नहीं है। यू० के० में यह विमान ए० रो० तथा कम्पनी द्वारा होकर सिडडली एविएशन लिमिटिड से उसकी समष्टि पर निर्मित किया गया था, 1-7-63 से विमान का नया नाम एच० एस० 748 रखा गया था।

(घ) विमान केवल एच० ए० एल० (कानपुर डिवीजन) में उत्पादित किया जाता है। यांत्रिक विमानों के लिए वर्तमान आर्डर 14 के लिए है जिसे डिलिवर करने की निम्न प्रायोजना बनाई गई है:—

1967-68	4
1968-69	5
1969-70	5

Effects of obscene Films

***1050. Shri Bibhuti Misra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that dut to the increase in the production of obscene cinema films, the moral and social standards of the children and youngmen of the country are deteriorating ; and

(b) if so, the remedial measures which Government propose to take in the matter ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K K. Shah) : (a) and (b) It is not a fact that there has been an increase in the production of obscene cinema films.

दिल्ली छावनी के असैनिक क्षेत्र में पानी की सप्लाई

5052. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में असैनिक क्षेत्रों को पीने के पानी की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो रही है और पानी का दबाव भी पर्याप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली छावनी की सैनिक इंजीनियरी सेवा को दिल्ली छावनी में सैनिक तथा असैनिक दोनों क्षेत्रों की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिये दिल्ली नगर निगम से पानी का पूरा कोटा मिल रहा है ; और

(घ) असैनिक क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त तथा निरन्तर सप्लाई बनाये रखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) छावनी बोर्ड की सैनिक इंजीनियरी सेवा असैनिक क्षेत्र को बराबर पानी सप्लाई कर रही है। हां, कुछ क्षेत्रों में पानी का दबाव पर्याप्त नहीं है।

(ख) और (ग) छावनी बोर्ड द्वारा गोपीनाथ बाजार और सदर बाजार में क्रमशः 25000 गेलन की क्षमता की एक ऊंची टंकी और इतनी ही क्षमता की एक हौदी बनवाई जा रही है। ये शीघ्र ही चालू हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त, छावनी बोर्ड एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि सदर बाजार के क्षेत्र में 50000 गेलन की क्षमता की एक और ऊंची टंकी बनायी जाये। इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है कि कुछ थोथी दिवारें और ऊंची टंकियां बनाई जायें जिनमें डीजल और बिजली के पम्प लगे हों जिनसे उन गांवों को पानी दिया जाये जहां नलों द्वारा पानी नहीं दिया जाता है। उस उपाय से निश्चय ही हालत सुधर जायेगी।

(घ) जी, हां।

दिल्ली छावनी में झुग्गी तथा झोंपड़ियां

5053. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी में कितनी झुग्गी झोंपड़ियां हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन झुग्गी निवासियों को दिल्ली झुग्गी झोंपड़ी योजना में शामिल करने का है ;

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इन लोगों को 80 वर्ग गज के प्लाटों के नियतन के अतिरिक्त कुछ नकद राजसहायता देने का है ; और

(घ) यदि भाग (ख) और (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो दिल्ली संघ राज्य के विभिन्न स्थानों के झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के बीच भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) लगभग 1000।

(ख) झुग्गी–झोंपडी हटाने सम्बन्धी योजना का छावनी के क्षेत्र में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस योजना को दिल्ली छावनी के क्षेत्र में लागू न करने का मुख्य कारण यह है कि हमारे पास भूमि और वित्त अल्प मात्रा में उपलब्ध है।

मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री का रूस तथा हंगरी का प्रस्तावित दौरा

5054. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री का विचार नर्मदा घाटी परियोजना के लिये विदेशी सहायता के बारे में बातचीत करने तथा उससे प्राप्त करने हेतु रूस तथा हंगरी जाने का है।

(ख) क्या अब राज्य सरकारें विदेशों के साथ सीधी बातचीत कर रही है ;

(ग) क्या गुजरात राज्य सरकार ने नर्मदा घाटी परियोजना का अपना हिस्सा पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से पूछे बिना ही अमरीका से सीधी सहायता प्राप्त कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो विदेशों के साथ राज्यों द्वारा इस प्रकार सीधी बातचीत की जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) हंगरी की सरकार ने, भारत के विदेश मन्त्रालय के जरिए, मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री को हंगरी आकर वहां के जीवन और तकनीकी कौशल की एक झांकी देखने का निमंत्रण दिया था। इस निमंत्रण पर मुख्य मन्त्री महोदय नहीं जा सके क्योंकि वे अपना राज्य छोड़कर बाहर जाने में असमर्थ थे। सोवियत संघ की यात्रा की बात कभी नहीं उठी।

(ख) जी नहीं। लेकिन, राज्य सरकारों और सोवियत विशेषज्ञों के बीच नर्मदा प्रायोजना के लिए विदेशी सहायता के बारे में बातचीत हुई है। आवश्यक कार्रवाई के लिए इस बातचीत के परिणाम से भारत सरकार को अवगत करा दिया गया है।

(ग) गुजरात राज्य सरकार को नर्मदा प्रायोजना के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई अमरीकी सहायता नहीं मिली है।

(घ) इस प्रकार की सहायता केंद्र सरकार को बताए बिना ले लेने का सवाल ही नहीं उठता। न तो राज्य सरकारों ने और न विदेशी मिशनों तथा विदेशों ने ही कोई अनुचित कार्य किया है।

स्वर्गीय प्रधान मन्त्री द्वारा ब्लिटज़ को लिखा गया पत्र

5055. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बेरुत के एक समाचार पत्र 'अज जमान' में छपी इस आशय की खबर की और जो 'मार्च आफ़ दी नेशन के 25 मार्च, 1967 के अंक में

प्रकाशित हुई थी, दिलाया गया है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बम्बई के एक साप्ताहिक पत्र 'ब्लिटज' को लिखा गया पत्र, जो उस पत्र के 8 जनवरी 1966 के अंक में छापा था, जाली था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार के पास ऐसे कारण नहीं हैं जिससे इस पत्र की प्रामाणिकता पर सन्देह किया जाए ।

पारपत्र देना

5056. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले ऐसी प्रथा थी जनता को राजनैतिक कारणों से और विशेषता साम्यवादी दल तथा द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्यों को पारपत्र नहीं दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार 1966-67 में साम्यवादी तथा द्रविड़ मुनेत्र कषगम दोनों दलों के सदस्यों को दिये गये पारपत्रों तथा उनकी अस्वीकृति के पृथक पृथक आंकड़े बतायेगी ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं । सिर्फ राजनीतिक संबंधों के कारण ही पासपोर्ट देने से इनकार नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र

5057. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में आकाशवाणी के कुल कितने केन्द्र हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार विशाखापतनम और कौडापली के रिले स्टेशनों की शक्ति बढ़ा कर 20 कि० वा० करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) आन्ध्र प्रदेश में आकाशवाणी के चार केन्द्र हैं-हैदराबाद विजयवाड़ा, विशाखापतनम् और कुडप्पा ।

(ख) विशाखापतनम् और कुडप्पा के रिले केन्द्रों की शक्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसमिटर यहां लगे हुए हैं वे इन क्षेत्रों के लिये पर्याप्त हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

आन्ध्र प्रदेश में डोकिनीवालसा हवाई अड्डा

5058. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में डोकिनीवालसा (श्रीकाकुलम जिला) हवाई अड्डे का बहुत समय से उपयोग नहीं हो रहा है ;

(ख) इसके निर्माण पर कितना धन व्यय हुआ था ;

(ग) इस हवाई अड्डे को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगवत) (क) से (घ) हवाई अड्डा 'बोबीली' हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है और डोकिनीवालसा स्टेशन के निकट स्थित है। इसका निर्माण दूसरे महायुद्ध के समय हुआ था। इसके निर्माण के सम्बन्ध में इस समय कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब यह एक परित्यक्त हवाई अड्डा है, अतः इसकी देखभाल नहीं की जाती। हवाई अड्डे पर छावन पथ, टैक्सी–पथ, पक्के आधार और विकिरण को आपत्तकाल के लिये बनाये रखा गया है।

भारतीय राजदूतों द्वारा विदेश में अर्जित अचल सम्पति

5059. श्री चं० चु० देसाई : क्या **बैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राजदूतों अथवा उच्चायुक्तों ने किसी देश में अपने कार्यकाल में वहां पर खरीद अथवा पट्टे पर अचल सम्पत्ति अर्जित की ;

(ख) क्या यह सच है कि स्वर्गीय श्री रउफ ने भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम करते हुए कनाडा में सम्पत्ति अर्जित की थी और दूसरे क्या यह बात भारत सरकार को मालूम थी और फिर भी इस सौदे को रोकने अथवा रद्द करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ; और

(ग) क्या सरकार विदेशों में काम करने वाले राजनयिक कर्मचारियों को निदेश देगी कि विदेशों में काम करते समय वे वहां पर अचल सम्पत्ति का अर्जन न करें ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) कनाडा में भारत के भूतपूर्व हाई कमिश्नर, स्वर्गीय डाक्टर एम० ए० रऊफ की पत्नी ने अपने लड़कों की कमाई से अचल सम्पत्ति खरीदी थी ; कनाडा में हाई कमिश्नर के कार्यकाल में उनके ये लड़के वहां काम करते थे।

(ख) जब सरकार को इसके बारे में मालूम हुआ तो समुचित कदम उठाए गए और अंततः यह सम्पत्ति स्वर्गीय राजदूत के दोनों पुत्रों के नाम कर दी गई जो कि कनाडा में रहते हैं।

(ग) लागू नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिनमें विदेशों में सेवा करने वाले राजनयिक कर्मचारी भी शामिल हैं, यह जरुरी है कि कोई अचल सम्पत्ति लेने से पूर्व वे सरकार की अनुमति ले लें।

भारतीय राजनयिकों का विदेशी पत्नियों के साथ विवाह

5060. **श्री चं चु० देसाई :**
श्री रामचरण :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री निहाल सिंह :
श्री शिवपूजन शास्त्री :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में नियुक्त भारतीय राजनयिकों के विदेशी पत्नियों के साथ विवाह के मामले में कोई निश्चित नियम नहीं है और इस सम्बन्ध में प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न ढंग से व्यवहार किया जाता है जिससे भेदभाव उत्पन्न होती है ; और

(ख) क्या सरकार कोई दृढ़ नीति बनायेगी जो सभी मामलों पर लागू होगी और जिस के अन्तर्गत कोई ऐसा मामला सरकार के स्वविवेक नहीं छोड़ा जायेगा ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। इस बारे में साफ़ नियम हैं।

(ख) नवम्बर, 1964 से यह निश्चय किया गया है कि भारतीय विदेश सेवा के किसी सदस्य को किसी विदेशी से शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का अब भी यही विचार है कि अगर भारतीय विदेश सेवा का कोई अधिकारी किसी विदेशी से शादी करता है तो उसे इस सेवा में नहीं रहने दिया जाएगा। केवल वे मामले अपवाद हो सकते हैं जहां विदेशी होते हुए भी वधू भारतीयमूल की हो।

Sales Assistants

5061. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of Sales Assistants running the counters in the Ministry of Information and Broadcasting and its attached and subordinate offices ;

(b) the total sales proceeds realised during 1966–67 on these sales-counters;

(c) the total profit earned on that sale;

(d) whether Government propose to wind up those counters which are running in a loss; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) (a) Six

(b) Rs. 25, 732. 21P

(c) to (e) : No profits are being earned on these counters. The Sales Counters have been set up to provide facilities to the public to buy Government publications and are primarily run in the interest of publicity and not for earning profit. There is, therefore, no proposal to close down any of them.

पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन

5062. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने कितनी बार और किन स्थानों में ताशकन्द में हुए युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन किया है ;

(ख) उन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत ने कितनी बार पाकिस्तान के इन उल्लंघनों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में विरोध प्रकट किया हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) 1965 की भारत-पाक युद्ध स्थिति के पश्चात्, ताशकन्द घोषणा से पूर्व, भारत-पाक सेना के बीच 23 सितम्बर, 1965 को युद्ध बन्द हुआ। जम्मू और कश्मीर में पहले अतिक्रिमण के समय युद्ध स्थिति को समाप्त करने के सम्बन्ध में हुआ 1949 का करांची युद्ध बन्दी समझौता अभी भी विद्यमान हैं। हमने संयुक्त संघ प्रेक्षकों को सूचित किया है कि ताशकन्द उद्घोषणा के पश्चात् पाकिस्तान ने 1949 में हुए कराची समझौते का 2082 बार उल्लंघन किया है। यह उल्लंघन जम्मू और कश्मीर युद्ध विराम रेखा पर विभिन्न स्थानों पर किये गये हैं। जब भी आवश्यक समझा गया, सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिये उचित कार्यवाही की गई है।

गोआ, दमण और दीव के वे लोग जिनके पास पुर्तगाली पासपोर्ट हैं

5064. **श्री शिंकरे** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ दमण और दीव में अभी तक हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास पुर्तगाली पासपोर्ट हैं, और परिणामतः जिनकी राष्ट्रीयता पुर्तगाली है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि गोआ, दमण और दीव के अफ्रीका और यूरोप में बसे हुए हजारों लोगों ने पुर्तगाली राष्ट्रीयता अपना रखी है और उनकी सम्पत्तियां भारत में भी हैं ;

(ग) यह विषय स्थिति कब तक चलती रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकतर लोग दोहरा लाभ उठाते हैं और संरक्षण प्राप्त करते हैं ; और

(घ) उनके लिये कोई ऐसी अवधि निर्धारित करने, जिसके अन्दर ये दोनों राष्ट्रीयताओं में से एक राष्ट्रीयता रखें और जो लोग पुर्तगाली राष्ट्रीयता रखें उनकी सम्पत्तियों के बारे में विदेशी लोगों पर लागू होने वाले सब नियम तथा विनिमय उन पर लागू करने का सरकार का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री सु० क० चागला) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है ऐसे लोगों की संख्या 564 है ।

(ख) और (ग) : संबद्ध सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(घ) 19-1-1963 आखिरी तारीख निश्चित की गई थी । अन्य सबद्ध सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Properties of Ministers

5067. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether all the Members of the Council of Ministers have submitted details regarding their assets: and

(b) if so, whether the same would be laid on the Table of the House ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) All Ministers have submitted their statements except two, who will be sending theirs shortly.

(b) No. Sir, because the statements of assets and liabilities furnished by Ministers constitute information of a personal and private nature which they forward to the Prime Minister, in confidence, in accordance with the Code of Conduct.

एक्स-रे ट्यूबों का निर्माण

5068. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 7 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एक्स-रे ट्यूबों के निर्माण में विदेशी सहयोग के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड तथा मैसर्स साइमन, पश्चिमी जर्मनी के बीच एक सहयोग समझौता हुआ था ।

Sainik School in Delhi

5069. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating to open a Sainik School in Delhi;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c) : The Government are not contemplating opening of a Sainik School in Delhi at present. They have already instituted a scheme for award of scholarships to boys belonging to Union Territories for studying in existing Sainik Schools which is considered adequate for present needs.

Prime Minister's Relief Fund

5070. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Onkar Singh : **Shri Y. S. Kushwah :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the amount collected for the Prime Minister's Relief Fund from the function held in Delhi on 9th April, 1967, in which film actors had participated;

(b) the amount spent on organising this function ; and

(c) the net amount saved after deducting the expenditure ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) According to the interim accounts of the Organising Committee, the total estimated collection from the function held on 9th April, 1967, is Rs. 2, 57, 318/-, out of which a sum of Rs. 2 lakhs has so far been remitted to the Prime Minister's Drought Relief Fund ; expenses have amounted to Rs. 43, 446, 20P, leaving net collections of Rs, 2, 13, 871. 80P.

भारतीय समाचार दर्शन

5071. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री रवि राय :**
श्री सं० चं० सामन्त : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों को ये हिदायतें दी गई हैं कि वे ऐसी घटनाओं को भारतीय समाचार दर्शन में शामिल करने का आग्रह न करें जिनसे केवल मंत्रियों का ही प्रचार होता हो ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन हिदायतों की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) क्या उन हिदायतों पर उनके मन्त्रालय ने अमल किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) क्योंकि 'भारतीय समाचार दर्शन' अर्थात 'साप्ताहिक न्यूजरील' जो कि फिल्म डिवीजन रीलीज करता है, मुख्य रूप से समाचारों का एक माध्यम है, विभिन्न सरकारी विभागों को ये हिदायतें जारी की गई हैं कि जहां तक बन पड़े, बैठकों और रस्मी-समारोह; जैसे कि उद्घाटन, नींव रखना जैसे समारोहों को न फ़िल्माया जाए; जब तक कि उनका कुछ सामाचारिक महत्व न हो और उन्हें उद्देश्यपूर्ण न समझा जाए ।

(ख) यह जरूरी नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

Sino-Indian Relations

5072- **Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Hardayal Devgun : **Shri Jagannath Rao Joshi:**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have tried to ascertain the latest political situation in China arising out of the mutual difference of the Chinese leaders; and

(b) if so, the effect it would have on the Sino-Indian relations ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Government have been carefully studying various reports on the political situation in China.

(b) It is primarily an internal struggle for power in which foreign policy issues have only minor relevance.

फिलिस्तीनी तथा दक्षिण अरब के लोगों के अधिकारों के लिये भारत का समर्थन

5073. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने फिलिस्तीनी तथा दक्षिण अरब की जनता के स्वतन्त्रता संघर्ष में उनके अधिकारों के समर्थन की घोषणा की है; और

(ख) क्या भारत द्वारा यह घोषणा भारत सरकार की पिछली नीतियों के अनुकूल है ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार ने फिलिस्तीन के उन शरणार्थियों के अधिकारों के लिए समर्थन व्यक्त किया है जो अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं । सरकार ने दक्षिण अरब के लोगों के स्वाधीनता के अधिकारों का निरंतर समर्थन किया है ।

(ख) जी हां ।

Death of 2 I. A. F. Officers in air Accident

5074. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Officers of the I. A. F. died in an air accident near Pathankot on the 12th April, 1967;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the total loss suffered by I. A. F. as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) The accident was caused due to mid-air collision between two I. A. F. aircraft which were on an operational training sortie.

(c) Approximately Rs. 28.19 lakhs.

Pension for Soldiers

5075- **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that when a soldier is placed in 'reserve', he is given a monthly pension of rupees ten;

(b) whether it is also a fact that when a soldier is released after 15 years of service he is given a monthly pension of Rs. 20;

(c) if so, the reasons for not giving a monthly pension of Rs. 20 to the soldiers, who have been placed in reverve after 15 years of service or who have completed 15 years of service ; and

(d) the number of reserve soldiers at persent who have completed 15 years' service and the amount of monthly pension paid to them ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) A soldier who is placed in the reserve is given a retaining fee of Rs. 20- p. m., which is in addition to the service pension if any, which he may be in receipt of for his colour service.

(b) A soldier who is discharged (or is placed in the reserve) after at least 15 years' colour service is given a service pension depending on his rank and group, subject to a **minimum** of Rs. 25 p. m. inclusive of **ad-hoc** increase of Rs. 5/- p. m. If a soldier not entitled to service pension is discharged after 15 year's service partly in the colours and partly in the reserve, he is granted a reservist pension ranging from Rs. 10/- p. m. to Rs. 12/- p. m. plus **ad-hoc** increase of Rs. 5/- p. m. (or, at his option, a gratuity in lieu ranging from Rs. 750/- to 1000/-) provided that he has completed the prescribed combined colour and reserve service.

(c) Does not arise, in view of what is stated in reply to parts (a) and (b) above.

(d) It will not be in public interest to give information in regard to the number of soldiers in the reserve.

Atomic Power Project, Tarapore

5076. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Prime Minister be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 16 on the 20th March, 1967 and state the amount given to 100 families of Pada Nagla by Government as compensation for acquiring their land for the construction of the Atomic Power Project at Tarapore (Maharashtra) and for rehabilitating them elsewhere ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : Compensation for the land has not yet been awarded. The Government of Maharashtra have however, sanctioned Rs. 6.02 lakhs for the construction of alternative residential accommodation and provision of civic amenities for the families displaced from Delovdi Pada (not Pada Nagla as stated by the Hon'ble Members). Out of the above sum, Rs. 1.6 lakhs will be borne by the Government of India.

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता

5077. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री गजेन्द्रगढकर की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये मंहगाई भत्ते आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर में क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रतिवेदन को क्रियान्वित कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) श्री गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये मंहगाई भत्ते आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट केवल केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू होती है । इंजीनियरिंग उद्योग, जिनमें वायुयान उद्योग भी शामिल है, के मजदूरी ढांचे और मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में पुनरीक्षण करने तथा जांच करने के लिये सरकार ने एक मजदूरी बोर्ड की स्थापना की है । मजदूरी बोर्ड के रिपोर्ट की प्रतिक्षा है । मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के पश्चात ही सरकार निर्णय द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते नियमित करेगी । उनकी अन्तिम रिपोर्ट और मजदूरी बोर्ड द्वारा दिये गये अन्तरिम पंचाट के प्राप्त होने तक हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० ने हिन्स्दुस्तान एयरोनॉटिक्स कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों में यह समझौता किया है कि 1 अप्रैल, 1966 से उनके मंहगाई भत्ते में तदर्थ बृद्धि कर दी गई है ।

1. मूल वेतन 109 रुपये तक	9 रुपये प्रतिमास
2. मूल वेतन 110 और 149 रुपये के बीच	7.50 प्रतिमास

3. मूल वेतन 150 और 399 रुपये के बीच 6.00 प्रतिमास

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० कानपुर ने यह समझौता पहले ही लागू कर दिया है।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में ट्रैक्टरों का निर्माण

5078. **श्री शारदा नन्द :**
श्री जि० ब० सिंह :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स में ट्रैक्टर बनने शुरू हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष में कितने ट्रैक्टर बनाये जायेंगे;

(ग) क्या ट्रैक्टर बनाने वाले कारखाने का और विस्तार किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो विस्तार के साथ संयत्र की क्षमता कितनी हो जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) क्रालर ट्रैक्टर का निर्माण करने वाली भारत अर्थ मूवर्स लि० का कोलर कारखाना निर्माणाधीन है। 1967-68 में प्राप्त सुविधाओं के अनुसार नियमित उप्पादन का पहले से ही अनुमान लगाकर उसमें देशी अंश अधिक प्रयोग कर क्रालर ट्रैक्टरों इकट्ठा किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

(ख) 1967-68 के दौरान लगभग 200-220 ट्रैक्टर तैयार किये जायेंगे। कोलर कारखाने की ट्रेक्टर उत्पादन करने की निर्धारित वार्षिक योजना 500 ट्रैक्टरों की है।

(ग) इस समय इस सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुध कारखानों के महा-प्रबन्धकों (जनरल मैनेजर) का सम्मेलन

5079. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों के महाप्रबन्धकों का सम्मेलन अप्रैल, 1967 में अरारं-काडू (नीलगिरी) में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या क्या निर्णय किये गये थे;

(ग) क्या आयुध कारखाने में गोला बारुद का अधिक उत्पादन करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो कितने नये हथियार बनाये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० बगत) : (क) और (ख) इस वर्ष का वार्षिक सम्मेलन उटकमंड में हुआ था। वार्षिक सम्मेलन में उत्पादन, समन्वय, भर्ती, प्रशिक्षण, स्टोर व्यवस्था, इंजीनियरिंग व्यवस्था तथा प्रशासन सम्बन्धी विषयों पर चर्चा की गई।

(ग) जी, हां।

(घ) अतिरिक्त नये हथियारों के उत्पादन के विषय में चर्चा नहीं की गई।

A. I. R. News Services

5080. Shri Sidbeshwar Prasad : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some years back All India Radio has utilised the news services of **Hindustan Samachar** on an experimental basis;

(b) if so, whether the news-service was found to be satisfactory; and

(c) if so, the reasons for not taking a final decision in this connection so far ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) A very small number of items were used by three of the six All India Radio stations to which these were supplied for one fortnight 17 to 30 April, 1961.

(b) No.

(c) All India Radio ceased to use the news agency after this experience. On a recent request from the Agency, the Agency is being considered for a second trial.

आकाशवाणी का अगरतला केन्द्र

5081. श्री बाबूराव पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के अगरतला केन्द्र में बार बार प्रसारण बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ख) प्रसारणों के कब तक बन्द होते रहने की संभावना है;

(ग) क्या अगरतला केन्द्र अपने कार्यक्रमों के लिए स्थानीय कलाकार नियुक्त नहीं करता है;

(घ) कलकत्ता से रिले होने वाले कार्यक्रमों के अतिरिक्त यहां से केवल पुराने रिकार्ड बजाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या त्रिपुरा के श्रोताओं ने इस संबंध में आकाशवाणी के अगरतला केन्द्र के विरुद्ध शिकायतें की है;

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) आकाशवाणी के अगरतला सहायक केन्द्र में बार बार खराबी होने का मुख्य कारण बिजली की सप्लाई का फेल हो जाना है ।

(ख) इन अवरोधों की तब तक सम्भावना है जब तक राज्य बिजली बोर्ड की बिजली की सप्लाई पद्धति में सुधार नहीं हो जाता ।

(ग) क्योंकि अगरतला एक सहायक केन्द्र है, यहां मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित नहीं होता । अतएव, इस केन्द्र के द्वारा स्थानीय कलाकारों की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) नया केन्द्र होने के कारण, ताजे ग्रामोफोन रिकार्ड बजाये जाते हैं, परन्तु श्रोताओं की मांग पर, पुराने रिकार्ड भी बजाये जाते हैं ।

(ङ) त्रिपुरा के श्रोताओं से कोई शिकायतें नहीं मिली है ।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते ।

केरल के प्रादेशिक समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन

5082. श्री नायनार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965–66 में केरल के प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्रों को केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिये कितनी रकम दी गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने 1965–66 में केरल के प्रादेशिक (मलयालम) दैनिक समाचार पत्रों को जो विज्ञापन दिये वे कुल मिलाकर 3,06,917 रुपये के थे ।

परमाणु बिजली घर

5083. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार का विचार कुछ परमाणु बिजली घर स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना अवधि में ऐसे कितने बिजली घर स्थापित करने का विचार है तथा उनके कहां कहां पर स्थापित किये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में एक दूसरे 220 मेंगावाट युनिट को राजस्थान परमाणु बिजली घर में जोड़ना है, जो निर्माणाधीन है, और मद्रास में कलपाक्कम स्थान पर

400 मैगवाट क्षमता का एक परमाणु बिजली घर स्थापित करना है तथा और दूसरे प्लान्टों की स्थापना किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

भूटान में भारतीय लोग

5084. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 29 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 749 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में अब जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्री (श्री मू० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) यह मालूम हुआ है कि दुर्भाग्य से यह घटना अंधविश्वास पर आधारित एक अफवाह के बड़े पैमाने पर फैलने और लोगों द्वारा उसे मान लेने के कारण हुई। इससे प्रभावित होकर कुछ मजदूरों ने भूटान सेना के एक सैनिक पर हमला बोल दिया और उसे मार डाला। यह सैनिक अपने अन्य साथियों के साथ मजदूरों की बस्ती के नजदीक से होकर गुजर रहा था। कुछ भूटानी सैनिकों ने, जो अपने एक साथी के मारे जाने पर स्पष्टतया जोश में आ गए थे, कानून अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने एक या दो प्रतिनियुक्त भारतीय अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जो इन मजदूरों के कार्य की देखभाल करते थे। जाहिर है कि भूटानी सैनिकों ने यह सोचा कि भारतीय अधिकारी उन मजदूरों के निष्कासन में रुकावट डाल रहे हैं जिसका आदेश भूटान सरकार ने दिया था। कानून की प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसा मालूम होता है कि मामले को आगे चलाना कठिन है, क्योंकि शिकायत करने वाला व्यक्ति भूटान छोड़ कर चला गया है और इसलिए जवाब तलब करना या उसका पूरा बयान लेना संभव नहीं है। लेकिन यह पता चला है कि थिम्फू का ट्रिम्पन (जिलाधीश) उस घटना का गवाह है थिम्फू शाही राजधानी है। जहां घटना घटी थी और उसके किसी सैनिक द्वारा राइफल के कुन्दे से एक भारतीय अधिकारी को पीटते देखकर रिपोर्ट की है और उसके बाद उसने भारतीय अधिकारी के हाथों के बांधे जाने को भी देखा था। भूटान सरकार इस पर विचार कर रही है कि ट्रिम्पन के बयान और गवाही के आधार पर दोषी सैनिक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। सिक्किम तथा भूटान में हमारे राजनीतिक अधिकारी को भूटान सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि दोषी अधिकारी या अधिकारियों को कानून की सीमा में दंड दिया जाएगा और तब ही यह मामला समाप्त होगा।

बर्मा सरकार के साथ बातचीत

5085. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री स० कुण्डू :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री म० माझी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 29 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 147 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार द्वारा जब्त की गई भारतीयों की आस्तियों को वापस दिलाने के संबंध मे बातचीत पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं !

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बातचीत इस समय नाजुक दौर में है और यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा कि अभी किन किन विषयों पर दोनों सरकारों में विचार विनिमय हो रहा है ।

शैक्षिक टेलीविजन

5806. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 29 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 726 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारस्परिक सहयोग से टेलीविजन से शिक्षा देने की अग्रिम परियोजना की संभावना पर भारत सरकार तथा यूनेस्को से विचार विनिमय चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस समय इस मामले की क्या स्थिति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मामला अभी यूनेस्को के विचाराधीन है ।

पालम हवाई अड्डे से टायरों और ट्यूबों की चोरी

5087. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 29 मार्च, 1967 के अतरांकित प्रश्न संख्या 732 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायरों और ट्यूबों की चोरी के सम्बन्ध में की जा रही जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) इस मामले में जांच अभी जारी है ।

(ग) 3-6-1967 को असैनिक पुलिस द्वारा एक भूतपूर्व वायु सैनिक पकड़ा गया था और बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था । प्राप्ति, वितरण और शेष माल से सम्बन्धित वाउचरों दस्तावेजों की तारीखवार जांच में काफी समय लग रहा है ।

बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप एण्ड सेंटर, किर्की, पूना के कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी बनाना

5088. **श्री चक्रपाणि :**
श्री एस्थोस :
श्री उमानाथ :
श्री अब्राहम :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अनिरुद्धन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप एण्ड सेंटर, किर्की, पूना के अधिकारियों को ऐसी हिदायतें जारी की गई हैं कि वे अपने ऐसे सभी कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी घोषित कर दें जिनकी तीन साल से अधिक समय तक सराहनीय सेवा रही हो;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी किया गया है;

(ग) शेष कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यह अनुमान लगाया जाता है कि हजिर नौकरी (कलर सर्विस) के अभिप्राय विशेषक सेवा से है। 1949 की प्रतिरक्षा सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियमों के अनुसार जिन नागरिकों की प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को तीन वर्ष से अधिक की अस्थायी सेवा हो जाती है वे अर्धस्थायी होने के योग्य हैं, बशर्ते वह निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। बम्बई और केन्द्र के प्राधिकारियों को इन उपबन्धों को क्रियान्वित करना है ।

(ख) से (घ) बम्बई इंजीनियरिंग समूह के 736 असैनिक कर्मचारियों में से 333 को अर्द्ध स्थायी बनाया गया है। 151 कर्मचारियों के मामले विचाराधीन है। बाकी बचे कर्मचारियों को या तो तीन वर्ष से कम की सेवा थी या वह नियमों के अन्तर्गत अर्द्धस्थायी बनने के योग्य नहीं थे।

बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप एण्ड सेन्टर, किर्की, पूना के कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड

5089. **श्री राममूर्ति :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री भगवान दास :
श्री चक्रपाणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप एण्ड सेन्टर किर्की पूना-3 के अधिकारियों ने उन कर्मचारियों के सेवा वृत (सर्विस रिकार्ड) उनके अपने अपने एककों में भेज दिये हैं जो फालतू होने के कारण अन्य संस्थाओं में नियुक्त कर दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) अभिलेखा जांच, सामयिक वेतन, वृद्धियों को अन्तिम रूप दिये जाने और हिसाब खातों की जांच आदि के लिये कुछ सेवावृत रोक लिये गये हैं।

(ग) बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप एण्ड सेन्टर के कमांडैंट द्वारा ये सेवा-वृत शीघ्रता से पूरे किये जा रहे हैं और तत्पश्चात ये सम्बन्धित एककों को भेज दिये जायेंगे।

घाना के स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा एक भारतीय चिकित्सक का बरखास्त किया जाना

5090. **श्री नम्बियार :**
श्री प० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री नायनार :
श्री चक्रपाणि :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि घाना के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक भारतीय स्त्री-रोग चिकित्सक को बरखास्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस चिकित्सक के बरखास्त किये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) घाना के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रोगी की शिकायत पर एक भारतीय डाक्टर को, जो कि स्त्री रोगों का विशेषज्ञ था, मुहत्तिल कर दिया था। एक जांच कमीशन बैठाया गया और आरोप साबित न किये जा सके। भारतीय डाक्टर को नौकरी से मुअत्तिल करने का आदेश रद्द कर दिया गया है और उसे मुअत्तिली के दौरान की पूरी तनखा और पूरी ग्रेचुइटी देने का आदेश दिया गया है। उसकी नौकरी घाना सरकार और उसके बीच हुए करार की व्यवस्थाओं के अनुसार खत्म की गई है। उसका और उसकी पत्नी का हवाई यात्रा का प्रबंध कर दिया गया है और वे जल्दी ही अक्रा से रवाना हो जाएंगे।

(ग) अक्रा स्थित हमारे हाई कमीशन ने अपने राष्ट्रिक के हितों की रक्षा करने के लिए हर तरह की सम्भव सहायता दी है।

इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के प्रधान का रेडियो पर भाषण

5091. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री रबि राय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के अध्यक्ष द्वारा दिये गये भाषण के, जो कि 24 फरवरी, 1967 को इस संस्था के 47वें वार्षिक सम्मेलन की पूर्व संध्या को प्रसारित किया गया था, कुछ अंशों को आकाशवाणी, बम्बई के स्टेशन निदेशक ने निकाल दिया था; और

(ख) यदि हां, तो भाषण के उक्त अंशों को किन नियमों के अन्तर्गत निकाला गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी, हां ।

(ख) भाग लेने वालों द्वारा रिकार्ड किया गया परिसंवाद क्योंकि नियत समय से अधिक था, अतएव, उनके भाषण को सम्पादित करके छोटा करना पड़ा, ताकि कार्यक्रम निश्चित समय के अन्दर पूरा हो सके ।

राष्ट्रीय छात्रसेना दल के अफसर-प्राध्यापकों की पदोन्नति

5092. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री मधु लिमये :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन प्राध्यापकों की, जो राष्ट्रीय छात्रसेना के अफसर हैं, शीघ्र प्रगति योजना को प्रोत्साहन नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय छात्रसेना दल के अफसरों के रूप में उनकी पदोन्नति के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है; और

(ग) राष्ट्रीय छात्र सेना दल की उन्नति तथा उनकी पदोन्नति के लिये उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग) राष्ट्रीय छात्रसेना के वरिष्ठ डिवीजन के राष्ट्रीय छात्र-सेना के अधिकारियों की पदोन्नति सम्बन्धी नियम संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 970/67]** इन नियमों के अधीन उन प्राध्यापकों को, जो राष्ट्रीय छात्रसेना के अधिकारी हैं, वे सब पदोन्नतियां प्राप्त होंगी, जिनके लिये उन्हें शैक्षिक योग्यता प्राप्त है ।

पहियेदार ट्रैक्टरों की खरीद

5093. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार श्री जाजोड़िया की मारफत, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने प्रतिरक्षा मंत्रालय को खराब टायरों की सप्लाई की थी, ढाई करोड़ रुपये के मूल्य के 80/100 पहियेदार ट्रैक्टर खरीदने के लिये बातचीत कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ई० एम० ई० अधिकारियों द्वारा पूना में फिएट पहिये वाले ट्रैक्टरों की विस्तृत जांच की जाने की बात उनको खरीदने के लिये जोरदार सिफारिश की जाने के बावजूद, उनका मंत्रालय जाजोड़िया द्वारा बेचे जाने वाले मोनकालवी पहिये वाले ट्रैक्टर खरीदना पसन्द करता है, हालांकि पूना की ई० एम० ई० ने जांच पड़ताल करने के बाद इन ट्रैक्टरों को अस्वीकार कर दिया था, और

(ग) यदि हां, तो यह सौदा तय हो जाने से पहले सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) ऐसी कोई बात-चीत नहीं चल रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित पहियेदार ट्रैक्टरों की जांच की जा रही है तथा जांच के निष्कर्ष प्राप्त हो जाने के बाद निर्णय किया जायेगा ।

एक परमाणु वैज्ञानिक द्वारा आत्म हत्या

5094. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री पं० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री चक्रपाणि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सुन्दरनगर स्थित अटॉमिक मिनरल्स डिवीजन कैमिकल लेबोरेटरी के 24 वर्षीय वैज्ञानिक अधिकारी श्री आर० कोठनदरमण ने मई, 1967 के आरम्भ में किन कारणों से आत्महत्या की थी;

(ख) इस युवक वैज्ञानिक की किन संदेहपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हुई, क्या इसकी न्यायिक जांच कराने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा परमाणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) विभाग के मुख्य सतर्क अधिकारी द्वारा मामले की परिस्थितियों की अभी तक जांच की जा रही है ।

(ख) से (घ) मुख्य सतर्क अधिकारी की जाँच पूरी हो जाने के बाद यह प्रश्न उठेगा कि इस मामले में न्यायिक जांच की जाये अथवा नहीं ।

प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये खेमे गाड़ने के लकड़ी के ठुकन्ने

5095. **श्री श० ना० शुक्ल :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन/शिकायत अथवा सूचना प्राप्त हुई है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये खेमे गाड़ने के लकड़ी के मध्यम दर्जे के ठुकन्नों को साधारण मूल्य से दुगने से अधिक मूल्य पर खरीदने से और निदेशक (डी० आर० एंड डी० जनरल), प्रतिरक्षा निरीक्षण संगठन, नई दिल्ली के निदेश पर आई० जी० एस०, उत्तर भारत, नई दिल्ली के निरीक्षक अधिकारियों द्वारा घटिया किस्म का माल स्वीकार किये जाने से सरकार को कई लाख रुपये की भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन/शिकायत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों की मुख्य बातें यह है कि इस प्रयोजन के लिये दो ठेके किये गये थे, इसमें से एक ठेके में दूसरे ठेके की तुलना में सप्लाई की दर बहुत अधिक है और ऊंची दरों पर की गई सप्लाई नमूने के अनुसार नहीं थी तथा निरीक्षण कार्य सन्तोष जनक नहीं था। एक शिकायत में यह कहा गया था कि ऊंची दर सामान्य दरों से 300 प्रतिशत अधिक थी।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

आकाशवाणी का पणजी (गोआ) केन्द्र

5096. **श्री शिंकरे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रमों के नियतन में कोंकणी भाषा के समर्थकों अथवा उससे सहानुभूति रखने वाले लोगों के पक्ष में गायकों, लेखकों, संगीतज्ञों तथा अन्य कलाकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किये जाने के कारण आकाशवाणी पणजी-गोआ केन्द्र के कुछ स्थानीय कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इन स्थानीय कर्मचारियों के साथ इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण बहुत से प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों को, जो कोंकणी को मराठी की ही एक उपभाषा समझते हैं, न कि एक भिन्न भाषा, इन केन्द्र में काम अथवा कार्यक्रम नहीं मिलते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में एक विस्तृत जांच कराने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) भेद भाव पूर्ण व्यवहार का जो आरोप लगाया गया है उसके बारे में कोई शिकायतें नहीं हैं, परन्तु यदि कुछ विशिष्ट मामले सरकार के सामने रखे जाए तो सरकार उनकी छानबीन करने के लिये तैयार है।

Price Bulletin

5097. **Shri Nihal Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2139 on the 12th June, 1967 and state :

(a) the date by which the question of making improvement in the broadcast of price bulletins by A. I. R. would be finalised; and

(b) the difficulties on account of which Government have not been able to make any improvements so far in the nature of these broadcasts ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) The whole matter is under consideration.

Indian Teachers Teaching Hindi in Washington and other Countries

5098. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian teachers teaching Hindi in the schools in Washington and in South Asia and South-East Asian countries;

(b) whether those teachers have been deputed by Government; and

(c) the amount of foreign exchange being spent on them per year ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c) The information is being collected.

Pension to Parents of Unmarried Military Officers

5099. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to grant pension to the parents of those unmarried Military Officers who are killed in action;

(b) if so, the number of such Military Officers whose parents are getting such pension;

(c) whether Government propose to grant pension to the families of the dead soldiers also; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) A provision for the grant of dependant's pension, subject to certain conditions, to the parents of unmarried Military officers who are killed in action etc. already exists in the Military Pension Regulations. Government have recently increased the maximum rate of dependant's pension to the parents of unmarried Military Officers killed in action in the operations as a result of the Chinese agression in 1962. In the operations against Pakistan in 1965 and in certain other oprations on or after 16-9-66.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

1950 से नियुक्त जांच आयोगों तथा समितियों की नियुक्ती

5100. श्री प्र० र० ठाकुर : क्या **प्रधान मंत्री** वर्ष 1950 से लेकर पिछले 16/17 वर्षों में सामाजिक तथा वेतन समेत आर्थिक मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये

आयोगों तथा समितियों की एक सूची सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी, जिनमें प्रत्येक आयोग/समिति के सभापति का नाम, उसके द्वारा प्रतिवेदन पेश किये जाने में लगा समय, उनके कुल सदस्यों की संख्या, उनमें संसद सदस्यों की संख्या तथा तकनीकी कर्मचारियों समेत सचिवालय कर्मचारियों की संख्या दर्शायी गई हो ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

परमाणु वैज्ञानिक

5101. श्री समर गुह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या परमाणु शक्ति आयोग के परमाणु कार्यों से सम्बद्ध भारतीय वैज्ञानिकों को निम्न कार्यों की तकनीकी जानकारी है;

(1) शोधित परमाणु ईंधन के क्रांतिक आकार तक विखंडन की तकनीक;

(2) विखंडनीय ईधन की इसके क्रांतिक समूह में जोड़ने की यान्त्रिकी (मैकेनिक्स); और

(3) परमाणु ईंधन को उसकी सीमित करने की मात्रा में बराबर विखंडन के लिये अपेक्षित रूपरेखा (ब्ल्यू प्रिंट) तैयार करना ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (एक) से (तीन) जी, हां ।

प्लूटोनियम

5102. श्री समर गुह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिएक्टरों से उप-उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम प्राप्त किया जाता है;

(ख) क्या ऐसा प्लूटोनियम पृथक किया जाता है और क्या उसका स्टाक जमा किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो किस कार्य के लिये और यदि नहीं तो ऐसा कीमती परमाणु ईंधन क्यों बर्बाद किया जाता है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्लूटोनियम बर्बाद नहीं किया जाता है । परमाणु शक्ति का शान्ति के लिये उपयोग करने में इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है ।

विदेश-स्थित भारतीय मिशनों में नियुक्त गैर-भारतीय लोग

5103. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे विदेश स्थित मिशनों में कितने गैर-भारतीय लोग काम कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनके स्थान पर भारतीयों को भेजने का है ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) लंदन-स्थित भारतीय हाई कमीशन को छोड़ कर, जोकि स्वतंत्रता के पहले ही से है, विदेश स्थित मिशनों में ड्राइवर, माली, मैसेन्जर जैसे छोटे-छोटे पद और स्वागत अधिकारी, अनुवादक/दुभाषिए, क्लर्क/टाइपिस्ट अदि जैसे पद, जिनमें स्थानीय भाषा के ज्ञान की जरूरत होती है, गैर-भारतीयों द्वारा भरे जाते हैं । ऐसा प्रमुख रूप से स्थानीय भाषा और परिस्थितियों की जरुरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है; दूसरे इसमें बचत भी होती है । लेकिन, सरकार ने जहां-जहां सम्भव है भारत आस्थानी दुभाषिए/अनुवादक भेजना शुरु कर दिया है । लंदन–स्थित भारतीय हाई कमीशन में कुछ गैर–भारतीय अधिकारी और कर्मचारी हैं, लेकिन सरकार की नीति यह है कि ये पद गैर–भारतीयों द्वारा जब भी खाली होंगे उनपर भारतीयों को रखा जाएगा ।

Rishikesh-Badrinarayan Road

5104. Shri Onkar Lal Berva : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have constructed a road near the Tibet border connecting Rishikesh and Badrinarayan after the last conflict with China.

(b) if so, whether the entire work was done as per the original estimate:

(c) if so, the amount spent thereon; and

(d) the names of the firms who were awarded contracts therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c) The development of a road from Rishikesh to Mana via Joshimath and Badrinath is included in the immediate programme of the Board. Formation cut upto Badrinath has been completed. Surfacing and protective works are in progress. The road up to Badrinath is open for 3 Ton traffic. The total expenditure incurred during the period from May, 1960 to March, 1967 is Rs. 581.62 lakhs as against the original estimate of Rs. 398.91 lakhs for the whole work.

(d) The works were executed from May, 1960 to August, 1963 through the agency of the State P. W. D. Thereafter the development of the road was entrusted to Central Reserve Engineer Force (a civilian departmental construction force) under Director General Border Roads. The work is being done departmently but certain items of protective works e. g. construction of breast walls, retaining walls, culverts were executed through petty contractors available locally. No Contractor or Firm from outside was given any contract.

Industrial Undertakings Under Defence Ministry

5105. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of the industrial undertaking under his Ministry and the outlay in respect of each of them;

(b) the names of the industrial undertakings proposed to be set up during the Fourth plan period and the proposed outlay for each of them; and

(c) whether Government propose to set up any of these undertakings in Rajasthan in order to remove un-employment there and to bring its backward economy at par with that the other States ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) The names of the six undertakings under the Ministry of Defence and paid up share capital in respect of each of them is given below :

Sl. No.	Name of the Undertaking	Investment in Share capital as on 31-3-1967 (Rs in lakhs)
1	2	3
1.	Hindustan Aeronautics Ltd.	3.853.00
2.	Bharat Electronics Ltd.	521.25
3.	Mazagon Dock Ltd.	268.00
4.	Garden Reach Workshops Ltd.	120.00
5.	Praga Tools Ltd.	210.54
6.	Bharat Earth Movers Ltd.	813.80

(b) No new Public Sector Industrial Undertaking is at present proposed to be set up under the Ministry of Defence during the 4th Plan period. The Expansion Plan of the existing undertakings, however, include in the case of Bharat Electronic Ltd. the setting up of one electronic factory for the manufacture of micre wave and rader equipment at an estimated total capital cost of about Rs. 12 crores; in case of Garden Reach Workshops Ltd., a Unit for the manufacture of Marine Diesal Engines at a capital cost of Rs. 3.63 crors; and in case of Hindustan Aeronautics Ltd. the manufacture of Aircraft Accessories at an estimated capital cost of about Rs. 4.5 crors.

(c) There is no proposal at present to set up any undertaking under the Ministry of Defence in Rajasthan.

जम्बिया की प्रतिरक्षा सेनाओं के नवीकरण करने मे भारत का सहयोग

5106. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **वैदेशिक–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्बिया की सरकार ने अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं का नवीकरण करने में भारत सरकार से सहयोग मांगा है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने जम्बिया सरकार द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार कर ली है ?

विदेश मंत्री श्री (मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : जम्बिया की सरकार ने इस सम्बन्ध में सहायता देने के लिए कहा है और दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है।

एवरो विमानों का निर्माण

5107. श्री देवकीनन्दन पाटौदिया :
श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में देश के अन्दर एवरो विमानों के निर्माण का कार्यक्रम तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (कानपुर डिवीजन) का लक्ष्य 1967–68 के दौरान 5 विमान तैयार करने का है ।

चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध

5108: श्री रान कृष्ण गुप्त : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन की सरकार की ओर से भेजे गये हाल ही के टिप्पण को देखते हुये जिसमें पीकिंग में भारतीय दूतावास का घेरा डाले जाने के कारण बताये गये हैं, क्या सरकार ने भारत के साथ राजनयिक संबन्ध बिगाड़ने के लिये चीनी सरकार द्वारा हाल में की गई कार्यवाहियों के सम्भावित कारणों का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : जी हां । भारत सरकार सावधानीपूर्वक इस बारे में विचार कर रही है कि ऐसे समय में भारत के साथ जान-बूझ कर संकट खड़ा करने में चीनियों का क्या उद्देश्य हो सकता है ।

(ख) : इस पर अभी किन्ही निश्चित निष्कर्षों पर नहीं पहुंचा जा सकता । वर्तमान संकट चीन की भारत–विरोधी नीतियों का ही एक नया अंग है जिस, पर कि वह हाल के वर्षों में बराबर चलता रहा है ।

युद्धपोतों तथा पनडुब्बियों का निर्माण

5109. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को युद्धपोत बनाने के लिये अभी तक विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो भारत को किन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत पनडुब्बियां बनाने की स्थिति में है; और

(घ) यदि हां, तो किस गोदी प्रांगणों (डाकयार्डों) में पनडुब्बियां बनाई जाती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) (क) और (ख) जी हां; भारत के आधुनिक युद्धपोत का निर्माण करने के लिये विदेशी सहायता आवश्यक है। इस समय लीन्डर टाइप फ्रीगेट निर्माण करने के सम्बन्ध में ब्रिटेन की जहाज बनाने वाली दो कम्पनियों से सहयोग देने का समझौता हुआ।

(ग) और (घ) इस समय भारत में पनडुब्बियां निर्माण करने की कोई योजना नहीं है।

प्रधान मंत्री की टिप्पणी के बारे में पाकिस्तान का विरोध-पत्र

5110. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री सेक्वीरा :
श्री निहाल सिंह :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बिकापुर में प्रधान मंत्री द्वारा की गई कथित टिप्पणी के बारे में सरकार को पाकिस्तान का विरोध पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस विरोध पत्र में क्या लिखा है, और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पाकिस्तान के विरोध-पत्र और उस पर हमारे उत्तर की एक एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 971/67]**

पीकिंग में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के परिवारों को वहां से भारत लाना

5111. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री राम सेवक यादव :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री आत्म दास :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीकिंग में भारतीय दूतवास के कर्मचारियों के परिवारों को वहां से भारत से जाया गया है ।

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) यह निर्णय किया गया है कि पीकिंग स्थित राजदूतावास में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों के परिवारों को थोड़ी थोड़ी संख्या में वापस लाया जाय; इसलिए बच्चों सहित परिवारों के 16 सदस्य इस महिने भारत वापस आ जायेंगे ।

Complaints Against I. F. S. Personnel Abroad

5112. Shri Ram Charan : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of the Indin Foreign Service personnel abroad against whom compt-aints have been received for accepting bribes and gifts such as cameras, diamonds, wathces, typewrtiers etc. during the last five years; and

(b) the number of officials out of them against whom action has been taken and the details of the action taken ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) Two.

(b) Out of the two officials one has been administered a reprimand for improper conduct. As regards the other, departmental enquiry is in progress. Action, if considered necessary, will be taken against him on the conclusion of the enquiry.

Low Flights Over Jaisalmer By Pakistani Aircraft

5113. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has started making very low flights over the Jaisalmer border areas ever since the construction of roads was started in that area; and

(b) if so, the steps taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) : There was only violation of Indian air-space over Jaisalmer border since 1st January, 1966. The violation took place on 5th Aprial, 1966. A protest was lodged with the Government of Pakistan against this violation.

देश में उर्दू के दैनिक समाचार पत्र

5115. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**
श्री अब्दुल गनी डार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश में उर्दू के कितने दैनिक समाचार पत्र छपते हैं तथा उनमें से कितने समाचार पत्रों को मान्यता दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : 31 दिसम्बर, 1966 को देश में उर्दू दैनिकों की संख्या 76 थी। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा उन्हीं समाचार पत्रों को मान्यता दी जाती है, जिसके संवाददाताओं का मुख्य कार्यालय राजधानी में है। ऐसे 15 दैनिकों के संवाददाताओं को मान्यता प्रदान की गई है।

भारत में टेलीविजन प्रशिक्षण संस्था

5116. **श्री ओंकार लाल बैरवा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टेलीविजन प्रशिक्षण संस्था खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब और कहां खोला जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख)फिलहाल टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान खोलने की कोई योजना नहीं है; इस पर तब विचार किया जायगा, जब और अधिक टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना हो जाएगी।

पाकिस्तान द्वारा बाड़मेर क्षेत्र में भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

5117. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सीमा पर बाड़मेर क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा के उल्लंघनों की संख्या इस वर्ष के आरम्भ से ही बहुत बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो 1967 में प्रत्येक मास में कितनी बार इस प्रकार का उल्लंघन किया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जनवरी, 1967 से अब तक राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में पाकिस्तान ने केवल एक बार भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया है। यह घटना 6 जनवरी, 1967 को घटी थी। इस वायु सीमा उल्लंघन के बारे में पाकिस्तान सरकार को एक विरोध पत्र भेज दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन मान

5117. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में छावनी बोर्ड के कर्मचारियों का मूल वेतन लगभग वही है जो पिछले दस वर्ष पहले था; और

(ख) यदि हां, तो अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य इस समय अधिक होने के तथ्य को देखते हुए सरकार ने उनके वेतनों में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) (क) जी नहीं ; राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, बम्बई द्वारा दिये गये पंचाट के अनुसार समस्त भारत के छावनी के कर्मचारियों की उपलब्धियों को जिसमें मूल वेतन भी शामिल है, 1 अप्रैल, 1959 से दोहराया गया है ।

इसके अतिरिक्त डाक्टरों, इन्जीनियरों और अध्यापकों के मूल वेतनों का भी इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की ऐसी श्रेणी की पुनरीक्षण के आधार पर 1 अप्रैल से पुनरीक्षण किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी राज्य सरकार और उससे लगी नगरपालिकाओं द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली वृद्धि को ध्यान में रखकर छावनी बोर्ड के कर्मचारियों की उपलब्धियों में वृद्धी की जाती है ।

उर्पयुक्त वृद्धि में यह शामिल हैं ।

1. 1 अप्रैल, 1964 से राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू मंहगाई भत्ते की दरें ।

2, उत्तर प्रदेश के अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1965 से दी जाने वाली मंहगाई भत्ते में अन्तरिम छूट ।

3. उत्तर प्रदेश के छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार निर्धारित राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाली दरों, शर्तों और नियमों के अनुसार आवास भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता और ऊंचाई पर रहने का भत्ता 1 अगस्त, 1965 से ।

4. जहां साथ वाली नगरपालिकाओं ने इसी प्रकार की वृद्धि की मन्जूरी अपने कर्मचारियों को दी है वहां 1 जून, 1966 से 5 रुपये प्रतिमास तर्दथ सहायता ।

5. राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली दरों पर 1 अगस्त, 1966 से पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता ।

6, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली दरों पर 1 जनवरी, 1967 से अन्तरिम मंहगाई भत्ता सहायता ।

चीनी दूतावास के तृतीय सचिव का कलकत्ता का दौरा

5119 **श्री हेम बरुआ :**
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री समर गुह :
श्री बलराज मधोक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में चीनी दूतावास का भूतपूर्व तृतीय सचीव श्री सोह-चेन हाओ 22 मई, 1967 को कलकत्ता गया था और 25 मई, 1967 तक वहां ठहरा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उसने कलकत्ता में एक खास राजनैतिक दल के नेताओं से भेंट की थी और उन्हें चीन के क्रांतिकारी साहित्य से अवगत कराया था; और

(ग) क्या यह सच है कि उस भारतीय राजनैतिक दल के सांस्कृतिक विभाग ने 23 मई, 1967 को आगन्तुक चीनी कामरेड के सम्मान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जिसका मुख्य आकर्षण उत्पल दत्त द्वारा 'अजेय वियतनाम' नामक नाटक था ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) से (ग) : जी हां ।

काहिरा में भारतीय राजनयिकों पर प्रतिबन्ध

5120. **श्री मरंडी :**
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य ने हमारे राजनयिकों को सलाह दी है कि वे बिना विशेष अनुमति के नगर की सीमा से बाहर न जायें :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार भारत में संयुक्त अरब गणराज्य के राजनयिकों के लिए भी इसी प्रकार की कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री मु०क० चागला) : (क) से (ग) : संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य-स्थित मिशनों के राजनयिक और अ-राजनयिक, सभी कर्मचारियों से कहा है कि वे खासतौर से इजाजत लिए बिना काहिरा शहर की सीमाओं के बाहर न जाए। ऐसा करने का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन स्पष्टतः यह सुरक्षा के कारणों से किया

गया है । शहर की सीमाओं से बाहर जाने के लिए बिना किसी कठिनाई के परमिट दिए जा रहे है । इस तरह के प्रतिबन्ध लगाना पूरी तरह संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार के अधिकार में है क्योंकि वह समझती है कि उसकी सुरक्षा को खतरा है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) भारत में संयुक्त अरब गणराज्य के राजनयिकों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से जवाब में ऐसे ही प्रतिबन्ध लगाने की जरुरत नहीं है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कर्मचारी संघ

5121. श्री उमानाथ : **श्री चक्रपाणी :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री अनिरुद्धन :**

क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे ; कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के कर्मचारियों ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कर्मचारी संघ, पटना के माध्यम से सरकार को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कर्मचारी संघ, पटना ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मुख्य निदेशक को मई, 1966 में एक मांग पत्र प्रस्तुत किया था ।

(ग) कर्मचारियों की उचित कठिनाईयों पर हमेशा ध्यान दिया जाता हैं, चूंकि यह संघ मान्यता प्राप्त नहीं है । अतः इस अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

आकाशवाणी का कुड़प्पा (आन्ध्र प्रदेश) केन्द्र

5122. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कुडप्पा (आन्ध्र प्रदेश) प्रसारण केन्द्र का दर्जा बढाने का प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है: और

(घ) इस प्रयोजन के लिए आवश्यक इमारतों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) से (घ) : तकनीकी अर्थ में, जैसा कि विभाग में इसे समझा जाता है, आकाशवाणी के कुडप्पा स्टेशन के दर्जे को ऊंचा करने का कोई

प्रस्ताव नहीं है, परन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ऐसा प्रस्ताव है कि कुडप्पा केन्द्र को रिले केन्द्र से रिले तथा मूलरूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाला केन्द्र बना दिया जाए।

तिब्बती लोगों द्वारा भारत में अवैध प्रवेश

5123. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री आत्मदास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 तिब्बती लोग तिब्बत से भागकर अवैध रूप से भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे तिब्बत से भाग आने के कारणों का पता लगाया गया हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और इस बारें में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं। यह तो पूछताछ करने पर ही पता चलेगा जो कि अभी की जा रही है ?

(ग) : अभी यह प्रश्न नहीं उठता।

वायु सेना प्रशिक्षण का पुनर्नुस्थापन (रीओरियेनटेशन)

5124. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव :
श्री म० माझी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के भारत–पाकिस्तान संघर्ष में प्राप्त हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वायु सेना प्रशिक्षण के पुनर्नुस्थापन की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब. रा. भगत) : (क) गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के परिणामों को ध्यान में रख कर वायु सेना प्रशिक्षण में आवश्यक सुधार कर लिये गये हैं।

(ख) यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है।

आकाशवाणी केन्द्र, औरंगाबाद

5125. **श्री राऐ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के औरंगाबाद केन्द्र को बन्द करने के क्या कारण है ;

(ख) क्या आकाशवाणी का औरंगाबाद केन्द्र बन्द होने के पश्चात् मराठवाड़ा में एक नया रेड़ियो स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव था;

(ग) यदि हां, तो इसे न खोले जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार का विचार औरंगाबाद में पुनः रेड़ियो स्टेशन खोलने के लिए पुनः विचार करने का है, जहां कि अब विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के. के. शाह) : (क) औरंगाबाद का रेडियो स्टेशन, जो भूतपूर्व हैदराबाद रियासत से अप्रैल, 1950 में लिया गया था, नवम्बर 1953 में बन्द किया गया; क्योंकि यह पाया गया कि इस स्टेशन पर जो कमशक्ति वाले ट्रांसमिटर काम कर रहे थे उनसे प्रसारणक्षेत्र बहुत कम था और उसके अनुपात में स्टेशन को चलाने का खर्चा अधिक था ।

(ख) और (ग) भरथवाडा के परभानी स्थान पर एक ट्रांसमिटर केन्द्र स्थापित किया जा रहा है । कार्यक्रम के अनुसार यह केन्द्र इस वर्ष चालू हो जायेगा ।

(घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे में औरंगाबाद/जलगांव में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की व्यवस्था है । आवश्यक स्रोतों और विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने पर, इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने का काम हाथ में लिया जाएगा ।

काठमांडू हवाई अड्डे पर भारतीय फोटोग्राफर

5126. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांठमांडू में नेपाल के हवाईअड्डे के प्राधिकारियों ने भारतीय फोटोग्राफरों को भागते छोड़कर जाने वाले चीनी अधिकारियों की फोटो लेने के लिये जंगले से आगे नहीं जाने दिया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो चीनी लोग उन लोगों के स्वागत के लिये हवाई अड्डे पर आए हुए थे उन्होंने भारतीय फोटोग्राफरों को जंगले से भी फोटो लेने से रोक दिया तथा पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में लाचारी व्यक्त की ;

(ग) क्या इसके बारे में नेपाल सरकार के साथ बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला हैं ?

विदेश मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : काठमांडू में गौचर हवाई अड्डे पर चहार-दीवारी के भीतर बिना इजाजत फोटोग्राफ लेने के लिए मना हीं है ।

(ख) : जी नहीं । चीनियों ने भारतीय पत्रकारों के फोटोग्राफ खींचने में रुकावट डालने की कोशिश की थी, लेकिन 24 जून, 1967 को वे अपनी इस गैर-कानूनी कार्रवाई में सफल

नहीं हो सके क्योंकि नेपाली पुलिस ने बीच में पड़ कर झगड़ा बचा दिया। उस दिन भारतीय पत्रकारों ने कई फोटोग्राफ लिए। दूसरे दिन भारतीय पत्रकार अपने कैमरे हवाई अड्डे पर नहीं ले गए।

(ग) ओर (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

चैल में पब्लिक स्कूल

5128 **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैल स्थित पब्लिक स्कूल पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करता है और नवयुवकों को सेना में प्रवेश पाने के लिए तैयार करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसे वहां से हटा कर पंजाब अथवा हरयाना में ले जाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब.रा. भगत) (क) जी, नहीं सैनिक (जो पहले के.जी.) स्कूल जिसमें चैल स्थित स्कूल भी शामिल है, उपर्युक्त जूनियर कमीशन आफिसरों ओ. आर, एस, जिनके लिए 60 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे गये हैं, बच्चों को मुख्यतः पब्लिक स्कूल के तरीके की शिक्षा देने के लिए है। उनमें केवल किसी विशेष क्षेत्र के विद्यार्थीयों को ही प्रवेश नहीं दिया जाता।

(ख) और (ग) सेवकगणों के यह कहने पर, कि उनके लिए चैल स्थित परिस्थितियों में काम करना कठिन है। चैल स्थित स्कूल को मैदानों में स्थापित करने का प्रश्न उठाया गया था, परन्तु उचित स्थान के उपलब्ध न होने के परिणाम स्वरूप यह मामला अवलम्बित है।

शिमला के लिये ट्रांन्समीटर

5129. **श्री हेमराज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर में सीमावर्ती क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार का विचार शिमला में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का है :

(ख) यदि हां, तो यह अब तक क्यों नहीं लगाया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब यह ट्रांसमीटर हरयाना में लगाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) और (ख) : देरी उचित स्थान न मिलने के कारण हुई है। एक पहाड़ी चोटी इस काम के लिए चुन ली गई थी, परन्तु तब भी वहां पर ट्रांसमीटर लगाने के बहुत अधिक खर्चे के कारण कठिनाई सामने आ रही है। शिमला में ट्रांसमीटर लगाने के निर्णय पर अटल रहने का तब तक पूरा प्रयास किया जा रहा है जब तक कि परिस्थितियां इसके बिलकुल विपरीत न हो।

(ग) और (घ) ; जी, नहीं। हरयाना में हिमाचल प्रदेश में लगने वाले ट्रांसमीटर के अलावा एक अतिरिक्त ट्रांसमीटर लगेगा।

सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के बच्चों का दाखिला

5130. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण उनके बच्चों को दिल्ली, नई दिल्ली तथा अन्य स्थानों में प्रवेश लेने में बहुत कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रवेश के मामले में इन सैनिक कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता देने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पब्लिक तथा अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं में प्रवेश पाने में कठिनाई जब होती है जब वहां स्थान सीमित हो या किसी स्कूल में मध्यावधि में स्थान उपलब्ध न हो।

(ख) सरकार ने राज्य सरकारों, केन्द्रीय प्रशासनों और पब्लिक स्कूल अधिकारियों को यह लिख दिया है कि प्रवेश के मामले में सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दें। स्थानान्तरणीय केन्द्रीय कर्मचारियों जैसी सशस्त्र सेना के कर्मचारियों की सुविधा और लाभ के लिए सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बहुत से केन्द्रीय स्कूलों की स्थापना की है। रेजिमेंट स्टेशनों पर स्थापित केन्द्रीय स्कूलों में रक्षा कर्मचारियों के बच्चों को सर्व प्राथमिकता दी जाती है। दिल्ली में एक केन्द्रीय स्कूल रामाकृष्णपुरम में है तथा दूसरा दिल्ली छावनी में है।

दिल्ली में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये मकान

5131. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेना में मेजर तथा उससे बड़े पद के अधिकारियों को उनके दिल्ली में स्थानान्तरण पर मकान मिलने में बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भागत) (क) मेजर, ब्रिगेडियर और समान पदों वाले पदाधिकारियों को दिल्ली से स्थानान्तरण के पश्चात विवाहित पदाधिकारियों को मिलने वाले मकानों को दिये जाने में लगभग 9 महीने लगते हैं। विवाहित पदाधिकारियों

को जिन्हें विवाहित पदाधिकारियों के मिलने वाले मकान नहीं दिये गये हैं, एक कमरे का मकान बिना किराये और मुफ्त बिजली और पानी की सुविधाओं के प्राप्त करने का अधिकार है।

मेजर जनरल और इससे ऊपर या समान पदों के विवाहित और अविवाहित दोनों ही पदाधिकारियों को मकान प्राप्त करने की कठिनाई नहीं है।

(ख) जिन पदाधिकारियों के दिल्ली में अपने मकान हैं उन्हें अपने मकानों में रहने की अनुमति है और वे तत्संगत नियमों के अनुसार, दूसरी प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। कुछ सीमित पदाधिकारियों को भी यह अनुमति दी गई हैं कि वे गैर सरकारी मकानों को किराये पर ले सकते है, और तत्संगत नियमों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। विवाहित पदाधिकारियों के लिए कुछ मकान निर्माणाधीन हैं। उन पदाधिकारियों के परिवारों के लिये जिनकी नियुक्ति दिल्ली के बाहर ऐसे क्षेत्रों में हुई है जहां परिवारों के रहने की व्यवस्था नहीं है और उन मामलों में जहां परिवार दिल्ली में रहना चाहते हैं, के लिये वैकल्पिक निवास की व्यवस्था की गई है। काम करने वाले पदाधिकारियों को प्राप्त होने पर मकान एलाट कर दिए जायेंगे।

Training of Armed Forces Personnel of Singapore & Malayasi By Indian

5132. **Shri Raghuver Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. S, Kushwah:
Shri Atam Das :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of India have proposed to Singapore and Malaysia for sending Instructors and experts to train their armed forces personnel at their establishments; and

(b) if so, the reasons therefor and full details in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) Yes, Sir, In view of the friendly relations subsisting with these countries, the matter was discussed in broad terms with the Malaycian and Singapore suthorities during the recent visit of our defence delegation to these countries. No definite proposal has yet emerged

A. I. R. Mathura

5133. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Das :

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the programmes of Mathura Station of the all India Radio are not received clearly in all the areas of Braj region;

(b) if so, whether any action is being taken to make improvement in the said station of the All India Radio;

(c) whether it is also a fact that devotional songs are not broadcast in the morning where the Station starts its broadcasts; and

(d) whether Government propose to make any chang3 in the programme in this connection, if so, by when ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K.Shah): (a) Yes, Sir. Mathura has only a low powar trans nitter and its coverage is restricted to Mathua district only.

(b) There is no proposal at present to put up a more powerful transmitter at Mathura most of the Braj area is already covered by a high power transmitter at Delhi which carries a special Sarvice in Braj-Bhasha.

(c) Mathura station does not have a morning transmission. Devotional music is broadcast daily from Mathura in the evening transmission.

(d) No change in the present programme pattern is considered neccssary.

भारत विरोधी प्रचार

5134. श्री क० लकप्पा : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों में किये जा रहे भारत विरोधी प्रचार के बारे में जानकारी एकत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से देश भारत-विरोधी प्रचार कर रहे हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेशी मन्त्री श्री मु० क० चागला : (क) जी, हां ।

(ख) पाकिस्तान और चीन;

(ग) जब कभी आवश्यक हुआ है, पाकिस्तान और चीन के अधिकारियों के पास भारत विरोधी प्रचार के खिलाफ विरोध-पत्र भेजे गए हैं और ऐसा निरन्तर किया जाता रहेगा । विदेश स्थित हमारे मिशनों को निदेश दिए गए हैं कि वे स्थानीय रूप में सामूहिक सम्बन्ध के सुलभ साधनों के जरिये इस प्रकार के भारत-विरोधी प्रचार का प्रतिकार किया करें ।

फिल्मों के माध्यम से दृश्य-श्रव्य शिक्षा

5135. श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्में किशोरावस्था से बालक व बालिकाओं की दृश्य-श्रवण शिक्षा का अच्छा माध्यम है: और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनेक बाल-चित्रों अथवा वृत्त-चित्रों की एक चित्र-शाला आरम्भ करने का है जिनमें हमारी प्राचीन संस्कृति तथा देश के सभी धर्मों के महान व्यक्तियों के जीवन का चित्रण किया गया हो ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म डिवीजन ने पहले ही भारत की सांस्कृतिक देन और महान पुरुषों के जीवन पर वृत चित्र और बच्चों के लिये फिल्में बनाई हैं । उन विषयों पर कुछ और फिल्में फिल्म डिवीजन के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल हैं । बाल–चित्र समिति भी बच्चों के लिये फीचर तथा छोटी फिल्में बना रही है । इनकी एक सूची सभा पटल पर रखदी गई है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 972/67]**

फिल्मों के माध्यम से शिक्षा का विकास

5136. श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्मों से शिक्षा का बहुत विकास हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्रमानुसार इन शीर्षकों के अन्तर्गत फिल्में बनाने का है, जैसे लोकतन्त्र, भारत की स्वाधीनता, वैज्ञानिक विकास, औद्योगीकरण, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञान का प्रचार, कल्याणकारी संगठन के रूप में एक पारमाणु युग आदि ।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न में बताये गये विषयों पर फिल्म डिवीजन ने पहले ही फिल्में बनाई हैं, और इनमें से अधिकांश विषयों पर कुछ और फिल्में फिल्म डिवीजन के 1967-68 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल हैं । इनकी एक सूची सभा पटल पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 973/67]**

सामाजिक बुराइयों के सम्बन्ध में चल–चित्र

5137. श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक मत का निर्माण करने में चल-चित्र बहुत अच्छा साधन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चोर बाजारी, मद्यपान, खर्चीला रहन सहन जैसी सामाजिक बुराइयों अथवा अच्छी नागरिकता, मद्यनिषेध, मितव्ययिता, बचत, शिक्षा तथा सामुदायिक रहन सहन के बारे ये क्रमवार चल-चित्र बनाने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म डिवीजन के प्रश्न में बताये गये विषयों पर पहले ही कई फिल्में बनाई हैं। इन विषयों में से कुछ विषयों पर कुछ और फिल्मों का निर्माण का कार्यक्रम फिल्म डिवीजन् के इस वर्ष निर्मित होने वाली फिल्मों के कार्यक्रम में शामिल है।

इसकी एक सूची सभा पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये एल० टी० 974/67**]

न्यू प्रभात पब्लिकेशन्स, अहमदाबाद का अखबारी कागज का कोटा

5138. श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि न्यू प्रभात पब्लिकेशन्स, अहमदाबाद दैनिक 'प्रभात' की झूठी बिक्री, दैनिक 'प्रभात' का एक कल्पित जनता संस्करण तथा एक कल्पित साप्ताहिक 'नवराष्ट्र' की 18,000 प्रतियों की झूठी बिक्री दिखा कर अखबारी कागज का बहुत बड़ा कोटा लेते रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच इन प्रकाशनों का अखबारी कागज का कोटा रद्द कर दिया है अथवा वह अभी जारी है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में न्यू प्रभात पब्लिकेशन्स के विभिन्न समाचार पत्रों, साप्ताहिकों को अखबारी कागज का कितना कोटा दिया गया; और

(घ) क्या अखबारी कागज प्राप्त करने के लिये झूटी बिक्री दिखाने और कल्पित संस्करण बताने के कारण न्यू प्रभात पब्लिकेशन्स के विरुद्ध सरकार ने कोई मामले दर्ज किये है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के०शाह) : (क) सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि न्यू प्रभात पब्लिकेशन्स, अहमदाबाद ने अपने, अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले गुजराती दैनिक 'प्रभात' के नियमित तथा जनता संस्करण की और गुजराती साप्ताहिक 'नव सौराष्ट्र' की बिक्री संख्या को बढ़ा-चढ़ा कर दिखा कर अखबारी कागज प्राप्त किया था।

(ख) इन समाचार पत्रों का कोटा रद्द नहीं किया गया, परन्तु यह कम कर दिया गया है और 1962 और 1965 में प्रचार संख्या के जांच करने वाले दलों की जांच के परिणाम स्वरूप जो प्रचार संख्या निश्चित हुई थी, उसके आधार पर समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार ने इसे समंजित कर दिया है ।

(ग) पिछली पांच वर्षों के दौरान इन समाचार पत्रों को नीचे दी गई मात्रा में अखबारी कागज एलोट किया गया:—

1962-63	82.48	मीटरी टन
1963-64	204.65	मीटरी टन
1964-65	91.13	मीटरी टन
1965-66	129.71	मीटरी टन
1966-67	134.57	मीटरी टन (चुनाव सबन्धी कोटा मिलाकर)

(घ) जी, नहीं। इन प्रकाशनों को अखबारी कागज का जो अधिक कोटा दिया गया था उसको संमजित करने के लिये विभागीय कार्यवाही की गई, जैसा कि इसी प्रकार के अन्य मामलों में किया जाता है।

केन्द्रीय सूचना सेवा

5139. श्री स० कुण्डू :
श्री म० माझी :
डा० सूर्यप्रकाश पुरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सूचना सेवा में विभिन्न संवर्गों के वेतन-क्रमों को युक्तसंगत बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सूचना सेवा के वर्ग चार के वर्तमान वेतन-क्रमों तथा दर्जे में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) केन्द्रीय सूचना सेवा में विभिन्न संवर्गों के वेतन-मान को युक्तिसंगत बनाने के सम्बन्ध में चन्दा समिति की सिफारिशों को कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(घ) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा में वर्ग चार तथा अन्य वर्गों में पदोन्नति किये गये कर्मचारियों को नई दिल्ली स्थित जन-संचार संस्था (इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन) में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) आजकल एक छोटी विभागीय समिति केन्द्रीय सूचना सेवा के वेतन और ग्रेडों के ढांचे से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, चन्दा समिति की सम्बद्ध सिफारिशों का ध्यान रखते हुए, सम्भव सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए, कर रही है।

(घ) केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड चार के, जो इसका निम्नतम ग्रेड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति संघीय लोक सेवा आयोग के मार्फत सीधी भर्ती द्वारा की जाती है, न कि पदोन्नति के द्वारा। इस ग्रेड के और सेवा के अन्य अधिकारियों को भारतीय जन सम्पर्क संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाता है ?

चीन द्वारा भारतीय विमान को पेकिंग जाने की अनुमति न देना

5140. श्री हेम बरूआ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने एक भारतीय विमान को पेकिंग जाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था; जबकि यह विमान हमारे राजनयिक कर्मचारियों की पत्नियों तथा बच्चों को भारत वापस लाने के लिए जा रहा था ।

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी अधिकारियों ने इसकी अनुमति न देने के कोई कारण बताये हैं यदि हां, तो वे कारण क्या हैं;

(ग) क्या भारत को पेकिंग में उपर्युक्त कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई गारन्टी दी गई है; और

(घ) इस पूरी समस्या के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) चीनियों ने इनकारी का जो कारण बताया, वह यह था कि पीकिंग में कोई भी भारतीय कर्मचारी घायल नहीं हुआ जिसे डाक्टरी इलाज के लिए भारत भेजना जरूरी होता ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक, चीन सरकार पीकिंग स्थित भारतीय राजदूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है ।

(घ) चीन सरकार के रवैये को देखते हुए भारत सरकार ने भारत भेजे जाने वाले चीनी जहाज को उतरने की इजाजत नहीं दी ।

श्री लंका तथा मलयेशिया के उच्चायुक्तों की नियुक्ति

5142. श्री सम्बन्धन : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका और मलयेशिया में उच्चायुक्तों की नियुक्ति के बारे में मद्रास के मुख्य मन्त्री से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Increment for Soldiers of Indian Army

5143. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the soldiers of the India Army get an increment of Rs. 2.50 after completing five years service;

(b) whether it is also a fact that the Officers in the Army get increments annually; and

(c) if so, the reasons for this discrimination ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Non-Commissioned Officers and sepoys in the Army are entitled to increments of pay at the rate of Rs. 2.50 p. m. after every 5 years man's service, subject to two such increments in the case of non-commissioned officers and four such increments in the case of sepoys. Naib-Subedars, subedars and Non-Combatants (Enrolled) are entitled to annual increments.

(b) Officers in the Army get increments annually or biennially.

(c) The pay structure of Army personnel below commissioned officer rank does not consist of simple time-scales of pay with periodical increments which alone will automatically accrue as length of service increases; but increases are also given on advancement in classification and rank/appointment, besides goed service pay for NCOS the rates of which have recently been increased. Advancement in classification is made dependent on increase in skill as well as acquisition of educational qualifications which are judged through periodical tests. From a broader point of view, this position is of benefit both to the State and to the individual. These factors are not applicable in the case of Army Officers.

Land Belonging to the Defence Ministry Given on Lease

5144. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the acreage of land in the country belonging to the Mintstry of Defence which has been given on lease so far; and

(b) the annual income to the Ministry from the land given on lease ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) There are approximately 12800 acres of defence woned land fetching an annual rent of approximately Rs. 19 lakhs to the Defence Ministry.

गाजा से भारतीय दस्ते के जहाजों से भारत वापस आने के लिये टेन्डर

5145. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री मधु लिमये :**
श्री जे० एच० पटेल : **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के हटा लिये जाने के बाद गाजा पट्टी में भारतीय सैनिकों को भारत वापस लाने के लिये भारतीय तथा/अथवा विदेशी जहाजरानी कम्पनियों से टेंडर मांगे गये थे;

(ख) कितने टेंडर प्राप्त हुए थे और कितना किराया मांगा गया था;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत सी जहाजरानी कम्पनियों ने उस क्षेत्र में युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना के कारण हमारे सैनिकों को भारत वापस लाने की व्यवस्था करने से इन्कार कर दिया था; और

(घ) भारतीय दस्ते को वापस लाने के लिये कौन से जहाजों का प्रयोग किया गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) भारतीय जहाजरानी कम्पनियों से पूछताछ की गई थी। इनमें से दो ने जून 1967 के दौरान उपयुक्त यात्री जहाज को देने में असमर्थता प्रकट की थी। अतः कोई दर नहीं बताई है, तीसरी कम्पनी ने निम्नलिखित दरें बताई हैं:—

(1) भारतीय मुद्रा में प्रति कुलभार टन 55 स्टर्लिंग प्रतिमास (30 दिन) है। चार्टड जहाज की कुल भार क्षमता 8130 टन है।

(2) केबिन यात्रियों के खाने के लिये प्रति व्यक्ति 16.50 अतिरिक्त है।

(3) शिपिंग लाइन के यात्री स्टाफ की मजदूरी चार्टरअवधि के लिये ले जाई जायेगी।

(4) समझौते के दौरान यात्रियों को जहाज में पेय, औषधि और स्टोर का समान सप्लाई करने की सब कीमतें।

(5) जहाज को चार्टर के लिये जैसे तेल, स्वेजनहर को देने वाली राशि, टगो को किराये पर लेना इत्यादि विभिन्न खर्चे।

(घ) भारतीय दस्ते को वापिस लाने के लिये 'एस एस मोहामेदी' का प्रयोग किया गया था।

गाजा से भारतीय दस्ते की विमान द्वारा वापसी

5146. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त अरब गणराज्य के कहने पर जब गाजा पट्टी से संयुक्त राष्ट्र आपात सेना को अधिकृत रूप से हटा लिया गया था, तब क्या सरकार ने वहां से भारतीय सैनिकों को विमान द्वारा भारत वापिस लाने के लिये संयुक्त राष्ट्र महासचिव से लिखित अनुरोध किया था।

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध कब किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासचिव का उत्तर क्या था;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय सैनिकों को अपने खर्चे पर विमानों द्वारा वापस लाने का प्रस्ताव रखा था;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे; और

(ङ) भारतीय सैनिकों को विमान द्वारा भेजने का खर्च अन्त में किसने दिया और इस सम्बन्ध में कितनी राशि खर्च हुई ?

विदेश मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ङ) 30 मई को महासचिव से पूछा गया था कि क्या गाजा क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को हवाई जहाज से लाया जा सकता है ? लेकिन महासचिव ने हवाई जहाज से सैनिकों को बाहर निकालने में अपनी असमर्थता जाहिर की । उन्होंने संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना कमांडर द्वारा प्रस्तुत निष्क्रमण अनुसूची का हवाला दिया जिसे इकतरफा तरीके के प्रबन्ध के द्वारा और महासचिव की पूर्व अनुमति लिए बगैर नहीं बदला जा सकता था । चूंकि संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना की भारतीय टुकड़ी पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र के कमान में थी, इसलिए भारत सरकार सैनिकों का तत्काल निष्क्रमण कराने का सुझाव देने के अलावा कुछ और कर सकने की स्थिति में नहीं थी और वह सुझाव दे दिया गया था ।

भारतीय सैनिकों को हवाई जहाज से ले आने की वित्तीय जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र पर थी, इसलिए इसकी लागत सुलभ नहीं है । लेकिन यह सूचना मांगी जा रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

लन्दन में श्री फिजो द्वारा नागा समस्याओं पर भारत सरकार के साथ बातचीत पर वक्तव्य देने के समाचार

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:-

"लन्दन में श्री फिजो द्वारा नागा समस्याओं पर भारत सरकार के साथ बातचीत में किन्हीं शर्तों पर शामिल होने के समाचार के बारे में वक्तव्य"

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : भारत सरकार का ध्यान लन्दन की अखबारी रिपोर्ट की ओर खींचा गया है कि श्री फिजो ने एक प्रेस संवाददाता के साथ इन्टरव्यू में यह बताया था कि वह भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए भारत वापस आना चाहते हैं, बशर्ते की छिपे नागा लोग उनकी उपस्थिति आवश्यक समझते हों और भारत सरकार उनकी 'सुरक्षा' का आश्वासन दे ।

भारत सरकार से न तो फिजो ने और न छिपे नागाओं ने ही 'सुरक्षा के लिए लिखा-पढ़ी की है ।

जैसा कि सदन को मालूम है, भारत सरकार का हमेशा यह रुख रहा है कि भारतीय संघ के ढांचे में रहकर शांतिपूर्ण समाधान खोजा जाये। यही कारण है कि हमने 6 सितम्बर, 1964 को लड़ाई-बन्दी पर सहमति करना स्वीकार किया और हम छिपे नागाओं से बातचीत करते रहे हैं। इस नीति के अनुसार हमने छिपे नागा नेताओं के अनुरोध पर उनके प्रतिनिधियों की लन्दन जाने और श्री फिजो से सलाह-मशविरा करने की अनुमति दी थी।

छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों को श्री फिजो द्वारा व्यक्त किए गए विचार भारत सरकार को न तो छिपे नागाओं ने और न उनके प्रतिनिधियों ने, जो लन्दन गए थे, बताए हैं। हाल में श्री फिजो ने जो वक्तव्य दिए हैं और जो अखबारों में छपे हैं, उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता और सरकार का उनपर कार्रवाई करने का इरादा नहीं है।

श्री फिजो अब ब्रिटिश नागरिक हैं और इसलिए वह बिना वीज़ा के भारत की यात्रा कर सकते हैं; लेकिन अगर उन्होंने गिरफ्तारी के वारंट के अन्तर्गत बाकायदा कानून की प्रक्रिया का पालन न करना चाहा जो उन्हें सरकार द्वारा 'सुरक्षा' देने की आवश्यकता होगी। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट 1956 से है। अगर इस तरह की कोई प्रार्थना की गई तो भारत सरकार नागालेंड राज्य सरकार तथा संबद्ध अन्य अधिकारियों से सलाह-मशविरा करके उस पर विचार करेगी। इस अवसर पर मैं नागालैंड सरकार के उन प्रयत्नों की जोरदार प्रशंसा करना चाहूंगा जो उन्होंने राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियों में की है और इसकी भी, उन्होंने आर्थिक दृष्टि से नागालैंड का विकास करने में आगे प्रगति की है। नागालैंड के लोग शांति, सुरक्षा, प्रगति और विकास चाहते हैं और भारत सरकार राज्य सरकार को इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर तरह का समर्थन दे रही है।

श्री क० प्र० सिंह देव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नागालैंड के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि चूंकि श्री फिजो एक वैदेशिक नागरिक है इसलिये उन्हें नागा समस्या के संदर्भ में यहां नहीं लाया जाना चाहिये, क्या सरकार उनके (श्री फिजो) के साथ चोरी छिपे नागालैंड सरकार को बताये बिना बातचीत करेगी ?

श्री मु० क० चागला : नागालैंड की गठित सरकार को बिना बताये कुछ भी न करने का हमारा विचार है। यदि श्री फिजो यहां आना चाहेंगे तो हम कोई भी निर्णय करने से पहले उस राज्य की सलाह लेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Since Phizo is a British citizen and keeping this thing in view that he has been propagating against India in foreign countries, if he is brought in India for talks that will amount to treason towards the country. Is it a fact that the Chief Minister of Nagaland has clearly stated at the Chief Minister's Conference that Shri Phizo should not be allowed to participate in such talks and that Government should not prolong talks with hostile Nagas.

श्री मु० क० चागला : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है यह केवल अनुमान लगाया गया है कि हम श्री फिजो को यहां बुला रहे हैं। इस बारे में न तो कोई निर्णय किया गया है और न ही हम नागालैंड सरकार की सलाह के बिना कोई निर्णय करेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : Whether the Chief Minister has said so or not ?

श्री मु० क० चागला : जो बातें केन्द्रीय सरकार और मुख्य मन्त्रियों के बीच होती हैं वे गोपनीय होती हैं । परन्तु मैं यह आश्वासन दे सकता हूँ कि हम नागालैंड सरकार की सलाह के विपरीत कोई काम नहीं करेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The second part of my question has not been answered.

श्री मु० क० चागला : उसका भी वही उत्तर है ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILAGE

यू० एन० आई और 'इंडियन एक्सप्रैस' द्वारा लोक सभा की कार्यवाही को गलत रूप से छापना ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चप्पला कान्त भट्टाचार्य ने 7 जुलाई, 1967 को यू० एन आई० और इण्डियन एक्सप्रैस के खिलाफ विशेषाधिकार का यह प्रश्न उठाया था कि 4 जुलाई, 1967 को सभा में दिये गये उनके भाषण को गलत छापा गया है । इस पर दोनों पक्षों के विचार मांगें गये थे और अब मेरे पास दोनों के उत्तर आ गये हैं । यू० एन० आई के जनरल मैनेजर तथा सम्पादक ने अपने दिनांक 7 जुलाई, 1967 के पत्र में बताया है कि 4 जुलाई, 1967 को श्री चप्लाकान्त भट्टाचार्य द्वारा दिये गये भाषण के बारे में यू० एन० आई० रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है । परन्तु 'इंडियन एक्सप्रैस के सम्पादक ने इस बात के लिये खेद प्रकट किया है और क्षमा याचना की है कि 'इंडियन एक्सप्रैस में यह भाषण गलत रूप में छापा गया है ।

अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभा इस बात से सहमत है कि "इंडियन एक्सप्रैस" के सम्पादक से कहा जाये कि वह समाचार-पत्र के अगले अंक में शुद्धि-पत्र और अपना खेद प्रकाशित करे तथा इसके पश्चात् मामला समाप्त समझा जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत के खाद्य निगम के क्रिया कलापों की समीक्षा

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) भारत के खाद्य निगम की स्थापना की तिथि से उसके क्रियाकलापों की समीक्षा की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल. टी. 966/67]

(2) आरत में खाद्य तथा दुर्लभता की स्थिति की समीक्षा (जुलाई, 1967) की एक प्रति ।

[पुस्तकाल्य में रखी गयी देखिये संख्या एल टी 967/67]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATE COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री पें ० वेंक्ट्टा सुब्बया (नन्दयाल) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

(1) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय— (एक) में भारत की फिल्म संस्था, पुन; और (दो फिल्म मैसूर बोर्ड, बम्बई–के बारे में प्राक्कलन समिति के पहले और दूसरे प्रतिवेदनों के विषय में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-साराश सभा-पटल पर रखे गये ।

(2) निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय–ग्राम्य आवास के बारे में प्राक्कलन समिति के तीसरे प्रतिवेदन के विषय में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये ।

(3) शिक्षा मंत्रालय–(एक) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ; और नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट, नई दिल्ली ; (दो) भारतीय संग्रहालय कलकत्ता ; और विक्टोरियां मेमोरियल हाल संग्रहालय, कलकत्ता ; और (तीन) सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद; और पुरातत्वीय संग्रहालय–के बारे में प्राक्कलन समिति के चौथे, पांचवे और छठे प्रतिवेदनों के विषय में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही–सारांश सभा-पटल पर रखे गये ।

बाट और माप मानक (जिला कोहिमा तथा भोकोकचुंग पर विस्तारण) विधेयक

STANDARDS OF WEIGHTS AND MEASURES EXTENTION TO KOHIMA AND MOKOCHUNG DISTRICTS BILL

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : श्री दीनेशसिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाट और माप मानक अधिनियम, 1956 के नागालैण्ड राज्य में जिला कोहिमा तथा मोकोकचुंग पर विस्तारण सम्बन्धी विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है - "कि बाट और माप मानक अधिनियम, 1956 के नागालैंड राज्य में जिला कोहिमा तथा मोकोकचुंग पर विस्तारण सम्बन्धी विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमादित दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री शफी कुरेशी : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मागें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS-Contd.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय-जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान होगा । अब श्री ओंकार लाल बोहरा अपना भाषण जारी करें ।

Shri Onkar Lal Bohara (Chittorgarh) : Sir, our greatest problem is the problem of foodgrains and we have not been able to solve that problems fo far. That is why we are laughed at in foreign countries. I want to make it clear that the main reason for that is In that much attention has not been paid towards providing irrigation and power facilities. this connection I would like to cite one example. There is a Rajasthan Cannal Project in Rajasthan. It is not a small project Five hundred crores of rupees are to be spent on it. Eighty crores rupees have already been spent on it. But it is not within the means of the state Government to carry this project. I would therefor request the Central Government to takeover the responsibilty of this project. When this project is complete thirty lakh acres of land will become fertile. Not only that state but the whole country will become self-sufficient inrespect of food grains. I would like to suggest that small irrigation projects should be given more importance. In the desert areas of Rajasthan tube-wells should be installed. This will result in stepping up foodgrains. Thirdly I would like to suggest that loans should be given to small farmers so that they could set up pumping sets etc.

After water comes electricity. All efforts should be made to provide electricty. All efforts should be made to provide electricity in rural areas. Then more work shops can be set up there. On account of non availability of electricity some have stopped working. If electricity is provided there they can again start functioning.

श्री मु० न० नाघनूर : (बेलगांव) : मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि सिंचाई का विकास करने के लिये सारे देश में एकसी नीति बनाई जानी चाहियें; ताकि राज्यों के बीच असंतुलन को समाप्त किया जा सके । परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि स्वतंत्रता

के बाद से सिंचाई का विकास देश के कुछ कुछ क्षेत्रों में हुआ है। मैसूर में अन्य राज्यों की तुलना में सिंचाई का बहुत कम विकास हुआ है। मैसूर में प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं। वे कृष्णा बेसिन में हैं। परन्तु इनके बावजूद भी अपर कृष्णा परियोजना से लाभ उठाने के लिये जो योजनायें बनाई गई थी वे मैसूर सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमारे, मैसूर सरकार के और दो भूतपूर्व सिंचाई मंत्रियों के प्रयत्नों के बावजूद भी मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के बीच पानी सम्बन्धी विवाद के बारे में अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। भारत सरकार को इस बारे में यथा सम्भव शीघ्र निर्णय करना चाहिये। मैसूर सरकार ने पहले ही 1961 में यह प्रस्ताव रख दिया था कि इस मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय नहीं विवाद अधिनियम के अधीन सौंपा जाये। परन्तु अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है मैसूर को कृष्णा नदी का केवल 600 टी० एम० सी० पानी दिया गया है जबकि आन्ध्र प्रदेश को इससे अधिक दिया गया है, जिससे मैसूर का विकास रुक गया है। मैसूर सरकार को कृष्णा नदी का कम से कम 40 प्रतिशत पानी मिलना चाहिये। मैसूर के साथ अन्याय हुआ है। इस मामले को अन्तर्राज्य नहीं विवाद अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारियों को यह मामला सौंपा जाना चाहिये। यदि तुरन्त कार्यवाही न की गई तो मैसूर राज्य के पास इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं रह जायेगा कि वह अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में जाये और परमादेश रिट ऑफ मेंडामस ले ताकि इस मामले को हल करने के लिये भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी पड़े। इस मामले में इतना विलम्ब करना बहुत अनुचित है। एक बार श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम ने अपने वक्तव्य में कहा था कि नदियों के पानी के वितरण सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिये बोर्ड स्थापित किये जायेंगे, इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

दूसरे गोदावरी नदी के पानी को कृष्णा नदी में मिलाने सम्बन्धी समस्या की जांच करने का भी प्रस्ताव था। नागार्जुनसागर परियोजना के लिये कृष्णा नदी के पानी का पहले ही प्रयोग किया जा रहा है यद्यपि ऐसा किसी सक्षम प्राधिकार के बिना किया जा रहा है। गुलाटी आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार गोदावरी नदी के फालतू पानी को कृष्णा नदी के बेसिन में ले जाया जाना चाहिए क्योंकि लगभग 34 तालुकों में पानी की कमी हैं और वहां पर अकाल की स्थिति है। परन्तु इस सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि इस बारे में तुरन्त कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम सब मैसूर से आने वाले सदस्य अगले समय में भाग नहीं लेंगे। यह हमारी ओर से सरकार को अन्तिम चेतावनी है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभी माननीय सदस्य संक्षिप्त रूप से अपना भाषण दें तो कुछ अन्य सदस्यों को समय दिया जा सकता है।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : सातवीं अनुसूची, सूची 2 प्रविष्टि 17 को देखने से पता चलेगा कि सिंचाई तथा विद्युत दोनों ही राज्य विषय हैं। यदि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करना चाहें तो वह ऐसा कर सकती है परन्तु उसे राष्ट्रीय धन राष्ट्रीय हितों में ही व्यय करना चाहिए। सिंचाई और बिजली के मामले में किसी राज्य की सहायता करने से पूर्व देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा पता लगा है कि वसूली के मामले में भारत के खाद्य निगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। इस बात से लोग सह-

मत होंगे कि फालतू अनाज वाले राज्य केन्द्रीय सरकार को पूरा अनाज नहीं दे रहे हैं, जबकि कमी वाले राज्य अधिक अनाज की मांगे कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार को अपनी नीति इस ढंग से बनानी चाहिए कि केवल कमी वाले राज्यों को ही सहायता दी जा सके। इसमें कोई कठिनाई अथवा प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। इससे 118 करोड़ रुपये की निर्धारित राशि को भी अधिक अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सकेगा।

अन्तर्राज्यीय पानी विवादों को, चाहे वह विवाद कृष्णा-गोदावरी का हो, चाहे नर्मदा नदी का, हल किया जाना चाहिए। परन्तु इनका हल किसी राज्य की पानी इस्तेमाल करने की क्षमता अथवा किसी योजना के आरम्भ हो जाने के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। गैर-कांग्रेसी राज्य भारत सरकार के साधनों का समान वितरण चाहते हैं। इसलिये केन्द्रीय सरकार को अपनी नीति का पुर्नगठन करना चाहिए जिससे कि सभी राज्यों को आवश्यकता के अनुसार सहायता मिल सके न कि क्षमता के अनुसार।

जहां तक गांवों को बिजली देने का प्रश्न है केवल 9 प्रतिशत गांवों में ही बिजली सप्लाई की गई है। इसके वितरण में भी बड़ी असमानता है। मद्रास तथा महाराष्ट्र में लगभग सभी गांवों को बिजली सप्लाई की गई है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश की इस मामले में उपेक्षा की गई है। इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए और उचित ढंग से बिजली का वितरण करना चाहिए।

श्री स० दा० पाटिल (संगली) : मैं सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए ही खड़ा हुआ हूँ। स्वतंत्रता के बीस वर्ष पश्चात भी हम खाद्यान्न में आत्म-निर्भर नहीं हो सके हैं यद्यपि इस बारे में पर्याप्त प्रयत्न किये गये हैं। इस कठिनाई पर काबू पाने के लिये तथा खाद्यान्न में आत्म-निर्भर होने के लिये सभी प्रकार की सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए। इसके बाद उर्वरक-बीज तथा अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी बातों के होने के बावजूद भी यदि सिंचाई की सुविधायें नहीं है तो कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में कृष्णा नहर विस्तार कार्य आरम्भ किया गया था, परन्तु इसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस पर केवल 50 लाख रुपये लागत आयेगी, और इससे 50,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वह इस योजना को शीघ्र पूरा करने की ओर ध्यान दें। इसी प्रकार वारणा परियोजना को भी शीघ्र पूरा करने के लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी के वितरण का विवाद गत 7 वर्षों से चल रहा है। परन्तु इसको अभी तक हल नहीं किया गया है। 1963 में केन्द्रीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 1951 में महाराष्ट्र तथा आंध्र के बीच हुआ करार अवैध है और इसके बाद की गई किसी व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। आशा थी कि इसके बाद सरकार शीघ्र कोई कदम उठायेगी परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। अतः स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। 23 मार्च, 1963 को श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक

गोदावरी नदी के पानी का मामला हल नहीं हो जाता तब तक नागार्जुनसागर के दूसरे चरण को आरम्भ करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र और मैसूर की सलाह के बिना ही इस दूसरे चरण के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री को इस समूचे मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री नारायन रेड्डी और डा० सूर्य प्रकाश पुरी को समय देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ अन्य सदस्यों को भी अवसर दिया जाये। अतः माननीय मंत्री को लगभग 2.45 पर बुलाया जायेगा।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई :

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha then Re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the clock.

{श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए}
{Shri C. K. Bhattacharyya *in the Chair*}

श्री वि० कु० मोडक (हुगली) : वर्तमान चिन्ताजनक खाद्य स्थिति को देखते हुए सिंचाई की समस्या का महत्व बहुत बढ़ गया है। अधिकांश राज्यों में अनाज की कमी है। इस सब के बावजूद सिंचाई मंत्रालय के कार्य में इस समस्या को शीघ्र हल करने के लिए कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। ऐसा होता तो चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाती। इसमें सन्देह नहीं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 820 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है; परन्तु आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 20 प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं किया गया था। इसका अर्थ यह है कि 40 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई नहीं की जा सकी। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी बंगाल को 572 करोड़ रुपये में से केवल 16.7 करोड़ रुपये ही सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिये गये। यह निर्धारित की गई कुल राशि का केवल 3 प्रतिशत है। इस बारे में केरल राज्य को भी बहुत कम भाग मिला है। पश्चिमी बंगाल सूखाग्रस्त क्षेत्र है और यहां पर नये लोग भी आ रहे हैं। इसलिए सिंचाई के विकास के लिए धन देने के मामले में केन्द्रीय सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मुझे पता लगा है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक समन्वित योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है और उसके लिए चौथी योजना में 75 करोड़ रुपये की मांग की है। परन्तु

इसको स्वीकार नहीं किया गया है। थोड़े समय में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए यह एक अच्छी योजना थी। इस इन्कार के कारण आरम्भ की गई अनेक परियोजनाओं के काम को आधे में छोड़ना पड़ेगा। मसवती परियोजना के पूरा हो जाने पर 10 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकतीं थी परन्तु गत दस वर्षों में इसका केवल एक बांध ही बनाया गया है। दूसरे धन के अभाव के कारण नहरें आदि नहीं बनाई जा सकी, फलस्वरूप केवल एक लाख एकड़ भूमि पर ही सिंचाई की जा रही है; जबकि साढ़े तीन लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जानी चाहिए थी, दस प्रतिशत भूमि पर जिस पर धान की खेती होती थी अब पटसन की खेती की जा रही है, जिससे पश्चिमी बंगाल पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। ऐसा भारत सरकार की नीति के अनुसार किया जा रहा है। अतः सरकार को सिंचाई के लिये अधिक धन देना चाहिए जिससे पश्चिमी बंगाल सरकार अनाज की कमी को दूर कर सके।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए सरकार ने कुछ धनराशि दी है। परन्तु गहरे, नलकूपों को सरकार बिजली देने में असफल रही है। तीसरी योजना में पश्चिमी बंगाल में 1543 गहरे नलकूप लगाये गये, परन्तु इनमें 703 बिजली न मिलने के कारण काम नहीं कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय नहीं है।

दामोदर घाटी निगम पर व्यय होने वाली राशि का अधिकांश भाग पश्चिमी बंगाल सरकार दे रही है। परन्तु निगम के अध्यक्ष पद के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा बताये गये एक प्रसिद्ध इन्जीनियर की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इसके कारण बताये कि ऐसा क्यों किया गया है ?

चन्द्रनगर को भारत संघ में मिलाते समय यह वचन दिया गया था कि इस नगर की गंगा नदी के कटाव से सुरक्षा की जायेगी। आशा है कि सरकार अपने वचन को निभायेगी।

श्री गजराज सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : इस बात को सभी ने स्वीकार किया है कि सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सिंचाई अत्यन्त आवश्यक है। विभिन्न राज्यों तथा प्रदेशों में असहयोग के कारण ही शिकायतें आदि उत्पन्न हुई हैं। राज्य और प्रदेश स्वयं को भारत का भाग न समझ कर अपने आप को अलग देश समझ रहे हैं। समूची कठिनाई इसी कारण है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिनमें इसी कठिनाई के कारण अनेक परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका है।

जैसा मैंने कहा खाद्य उत्पादन का अन्ततः सिंचाई से गहरा सम्बन्ध है। हरयाना में कुछ क्षेत्रों में तो बाढ़ आ गई है और वहां पर नाले आदि बनाने की मांग की जा रही है; जबकि कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ा है और वहां लोग भूख से मर रहे हैं। इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि रिवाड़ी तथा कर्नाल आदि के क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं।

भाखड़ा परियोजना के लिये हम लोगों ने ही जोर दिया था और यह अविभाजित पंजाब में वास्तव में हरयाना के लिये ही बनाई गई थी। बहुत प्रयत्नों के बाद अब सरकार ने इस योजना से हरयाना को पानी और बिजली देना स्वीकार किया है। परन्तु अभी भी पंजाब और

हरियाना इस प्रश्न को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब वालों का कहना है कि क्योंकि यह परियोजना पंजाब के क्षेत्र में है इसलिए यह पंजाब की है। कई अन्य बातों में भी हरयाना के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश नहर हरियाना से होकर उत्तर प्रदेश जाती है। इसके लिये हरियाना से दुगने पैसे लिये जाते हैं जबकि उत्तर प्रदेश से केवल आधे दर ही लिये जाते हैं।

गुड़गांव नहर का मामला पिछले 20 वर्षों से खटाई में पड़ा है, यद्यपि इसको प्रसिद्ध इन्जीनियरों द्वारा अनुमोदित किया गया था। साहबी नदी योजना के लिये केवल दो लाख रुपये मंजूर नहीं किये गये जबकि इसके फलस्वरूप रेलवे लाइन पर प्रतिवर्ष पानी भर जाने के कारण मरम्मत इत्यादि में लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। कठिनाई यह है कि इससे अन्य राज्य, अर्थात राजस्थान, पंजाब भी सम्बन्धित है। मेरा निवेदन यह है कि यदि हम संसार में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहते हैं तो हम सब को अपने आपको भारतीय समझना चाहिए और अनिवार्य योजनाओं को तुरन्त हाथ में लेना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे से सहयोग नहीं करते इन कठिनाइयों पर काबू नहीं पाया जा सकता।

Dr. Surya Prakash Puri (Naivada): The Government have neglected the agriculture throughout these years and have laid undue emphasis on the industry. Only six or seven percent of the total resources have been spent on the development of agriculture. A target to irrigate 1250 lakh acres of land was fixed during the Third Five Year Plan but only 550 acres of land have been irrigated. Therefore, it is quite clear that the targets have not been achieved.

Inter-State disputes are pending for a long time but the Central Government have failed to solve them. These disputes have resulted in a great loss to the country. The Central Government should try to solve them during the current year.

The Central Government should take over Gandak Projects as has been requested by the present State Government. Some time back when there was a Congress Government in the State, Centrel it self had requested for taking over that Project. But now it has refused to do so because of the non-Congress Government there. I would request the hon. Minister to include this project in the list of Central Projcets.

It was decided to install 800 tube-wells in drought stricken areas of Naveda as had been stated by the Central Irrigation Minister himself during his tour of the area. I would like to know the time by which the said scheme would be implemented.

About 30,000 persons have applied for pumping sets. Although the permits are ready yet the pumping sets are not being made available for delivery to the applicants. I would request the hon. Minister to look into the matter.

The work on the Mohana Scheme meant to irrigate 1527.50 lakh acres of land is not progressing for want of funds from the Central Government. Other Schemes such as some High level canal, Coal river scheme and Punpun River Scheme should be implemented at an early date. Steps to divert water from the Tillia reservoir should also be taken at an early date.

No reason has been given for not accepting the Upper Sakri Scheme in the report.

I would like to know the action being taken by the Government on the recommendation of the Venkataraman Committee. I would like that the Central Government may evolve a scheme either for Capital Subsidy or loan for rural electrification.

Technical Persons should be appointed as Chairmen of the State Electricity Board's and steps should be taken to reorganise these Boards.

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : में मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 250 परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बावजूद भी हम अधिक क्षेत्र पर खेती नहीं कर सके । देश में लगभग 27 करोड़ एकड़ भूमि पर खेती की जाती है परन्तु केवल 2 करोड़ एकड़ भूमि के लिये ही पानी की सप्लाई सुनिश्चित है ।

यद्यपि देश की विभिन्न योजनाओं पर बहुत सा धन व्यय किया गया तथापि कुल 8 प्रतिशत से अधिक भूमि में सिंचाई नहीं की जा सकी । यह शायद इस कारण हुआ है कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने उर्वरक के प्रयोग पर अनुचित जोर दिया हैं । परन्तु सिंचाई की मूल सुविधाओं के बिना उर्वरक लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता । दूसरे सरकार का यह भी विचार है कि उर्वरक के प्रयोग से चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन को सात गुना बढ़ाया जा सकता है । परन्तु यह सम्भव नहीं हैं । मैं ऐसा अपने अनुभव से कह रहा हूं । वर्तमान परिस्थितियों में उर्वरक के प्रयोग से उत्पादन को अधिक से अधिक तीन गुना बढ़ाया जा सकता है । लोगों को उर्वरक भी आवश्यकता के अनुसार नहीं मिलता है । वह बहुत मंहगा है तथा चोर बाजार में मिलता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सिंचाई की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

जिन परियोजनाओं का काम काफी आगे बढ़ चुका है चाहे वे किसी भी प्रदेश अथवा राज्य में हों उनको पूरा किया जाना चाहिए । राजनीतिज्ञों का प्रदेशवाद तथा सकीर्ण मनोवृत्ति देश के हितों को हानि पहुंचा रही है । अतः हमें राष्ट्रीय हित को देखते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए अन्यथा हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते । नागार्जुनसागर परियोजना के बारे में यदि कोई मतभेद हो तो उसको मध्यस्थ द्वारा हल किया जा सकता है ।

सिंचाई की छोटी योजनाओं को प्राथमिकता तथा अधिक महत्व दिया जाना चाहिए । राज्यों में इसके लिए केवल 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि वास्तव में 112 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । अतः मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को धन दें ।

केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश की अधिक सहायता करनी चाहिए क्योंकि वह राज्य पश्चिमी बंगाल तथा कमी वाले अन्य राज्यों को चावल सप्लाई करता है ।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Most of the area of Rajasthan is covered by deserts and I would say that it is a challenge to the human endeavour. Where as Israel, Egypt and other countries have successfully converted their deserts into green fields we have failed to do so. If these vast areas of Rajasthan are converted into green lands our food problem can be solved. We can become self-sufficient so far as food grains are concerned. For that purpose we need water which is available in our country is abundance. If we can

divert our water resources to this area we can make six crors acres of land worth agriculture. This will not only solve our food problem but will also provide employment to crores of people.

There are various projects in the country which if completed can be helpful in increasing food production. One of the projects is Rajasthan Canal. It was started ten years back but it has not made much progress, and might take twenty years or more.

Necessary steps should be taken to complete this project at an early date. On completion this, canal will irrigate 70 lakh acres of land. So far only one lakh acres have been irrigated. Because of Centre's going back from their assurance of providing help for the project and non establishment of an Authority therefor, Rajasthan Government had to suffer a loss of Rupees thirteen crores per annum. The project should be completed and Authority established.

I would also request the hon. Minister to establish on Indian Desert Eradication Authority for the transportation of Indian deserts into green lands. It is also necessary in view of the national development and defence and also for attaining self-sufficiency in foodgrains.

श्री शिवप्पा (हसन) : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे देश के बहुत से प्रतिनिधियों ने कृषि की दृष्टि से प्रगतिशील बहुत से देशों का दौरा किया है तथापि उन्होंने वहां से कुछ सीखा नहीं है ।

1944 अथवा लगभग उसी समय जापान में खाद्यान्न की कमी थी परन्तु आज उन्होंने कृषि के मामले में पर्याप्त प्रगति कर ली है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है कृषि के मामले में हम काफी आगे नहीं बढ़ सके हैं । इसका एक कारण योजनाओं में कुप्रशासन है । तालुका बोर्डों, जिला बोर्डों तथा अन्य ऐसे ही संगठनों के अधिकारी सिंचाई की छोटी योजनाओं के अन्तर्गत पम्पिग सेट आदि अपने सम्बन्धियों को ही देते हैं । बड़ी योजनाओं के मामले में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधिकारियों तथा ठेकेदारों के बीच कोई सांठ-गांठ है जिसके कारण राष्ट्रीय धन नष्ट हो रहा है । अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि प्रशासन में सुधार करने तथा जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाये जायें ।

नागार्जुनसागर परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार धन दे रही है और उस पर केन्द्रीय सरकार का ही नियंत्रण है । इसलिए केन्द्रीय सरकार को उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटना चाहिए ।

प्रसिद्ध इन्जीनियर श्री विखरेवरैया ने 1924 में गोरूर से एक योजना तैयार की थी । इस योजना पर 20 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान था । यह खेद की बात है कि यद्यपि योजना आयोग तथा जल तथा विद्युत आयोग ने इसके लिए स्वीकृति दे दी थी तथापि केन्द्रीय सरकार ने इसको मंजूर नहीं किया और इसे मद्रास सरकार को सोंप दिया । इस परियोजना के निर्माण से मैसूर की दो लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती थी ।

मद्रास तथा आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि वे अपने पड़ौसी राज्यों को चावल आदि सप्लाई नहीं करेंगे । ऐसे राज्यों को, जो कि अन्य राज्यों की सहायता नहीं करते, परि॰ योजनाओं आदि के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता नहीं दी जानी चाहिए ।

नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में अन्तर्राज्य झगड़े को हल किया जाना चाहिए। इन्द्रवती परियोजना के लिये दिये जाने वाले दस करोड़ रुपये अभी तक नहीं दिये गये हैं। इन दोनों परियोजनाओं को यथासंभव शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं वाद-विवादों में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को उनके रचनात्मक तथा लाभदायक सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं।

अनेक माननीय सदस्यों से हमारी जापान, अमरीका तथा अन्य देशों से तुलना की है। इस बारे में हमें याद रखना चाहिये कि हमारे देश का तापमान बहुत अधिक है तथा वर्षा अपर्याप्त और अनिश्चित है।

मेरे माननीय मित्र डा० पुरी ने मोहाना परियोजना में रीजवायर (जलाशय) बनाने आदि पर जोर दिया है। अन्य कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने सिंचाई के मामले में पर्याप्त कार्य नहीं किया है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि योजना अवधि आरम्भ होने के समय देश में केवल 560 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती थी। इस समय 880 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। पन्द्रह वर्षों में लगभग 320 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की जाने लगी है। इसका अर्थ यह है कि हम पहले 550 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन करते थे परन्तु अब हमारा औसतन उत्पादन 800 लाख टन है। इस प्रकार 250 लाख टन अनाज की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जनसंख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए हमें सिंचाई की अधिक योजनाएं बनानी चाहिए थी। ऐसा करने से हमें 1956 से 1965 तक की अवधि में 400 लाख टन खाद्यान्न का आयात नहीं करना पड़ता। हमने सिंचाई योजनाओं पर अब तक जितना व्यय किया है उससे अधिक हमने अनाज के आयात पर व्यय किया है। अतः यह आवश्यक है कि खाद्यान्न की उस कमी को यथासंभव शीघ्र पूरा किया जाये।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम कितनी भूमि में सिंचाई करें जिससे हम खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हो जायें। मेरा अपना अनुमान यह है कि यदि हम प्रति व्यक्ति 1/5 एकड़ भूमि में सिंचाई करें तो हम खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 51 करोड़ की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यदि हम 1020 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करें तो हम खाद्यान्न में आत्म-निर्भर हो सकते हैं। इस समय लगभग 880 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जाती है। यदि हम 140 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में और सिंचाई करें तो खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष लगभग 120 लाख की वृद्धि हो रही है। अतः हमें प्रति वर्ष 20 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई करनी चाहिए। इसको देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि हम चालू योजनाओं का काम शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें तथा जहां आवश्यक हो नई योजनाओं को शुरु करें।

श्री चरणजीत राय द्वारा उठाये गये प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई की कुल 500 योजनाओं में से 428 योजनाएं मध्यम श्रेणी की हैं और 72 बड़ी योजनाएं

है । मध्यम श्रेणी की योजनाओं के पूरा हो जाने से 90 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकेगी । जबकि बड़ी योजनाओं के पूरा हो जाने से 350 लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा । मध्यम श्रेणी की योजनाओं को बहुत जल्दी पूरा किया जायेगा । इसके साथ हमें बड़ी योजनाओं के काम को हाथ में लेना है । छोटी, मध्यम तथा बड़ी सभी योजनाएं एक दूसरे की पूरक हैं ।

सिंचाई की जिन योजनाओं पर 15 लाख से कम लागत आती है उनको छोटी योजनाएं कहा जाता है । इन पर कृषि मंत्रालय का नियंत्रण होता है । इस समय लगभग 60 लाख कुएं हैं जो सिंचाई के लिए पानी सप्लाई करते हैं । गंगा के मैदान में लगभग 12,000 नलकूप है । एक लाख नलकूप निजी लोगों के हैं । नलकूपों का जीवन पन्द्रह से बीस वर्ष होता है । हमारा प्रयत्न यह है कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध किया जाये । इस समस्या की छानबीन करने के लिए हम एक अखिल भारतीय सिंचाई आयोग स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं । यह आयोग सिंचाई सम्बन्धी आगामी योजनाओं के बारे में भी छानबीन करेगा ।

कई माननीय सदस्यों ने गंडक परियोजना तथा राजस्थान नहर आदि कई परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ मे लिये जाने के लिए कहा है । इस बारे में मैं यह बता देना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं का प्रबन्ध बहुत अच्छे इन्जीनियर कर रहे हैं । इनमें इन्जीनियरी सम्बन्धी कोई किसी भूमि का प्रश्न ही नहीं है । प्रश्न तो केवल राज्यों को वित्तीय सहायता देने का है । इस मामले की जांच की जा रही है । देश इस समय कठिन वित्तीय स्थिति का सामना कर रहा है । इसको ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि कितनी धन राशि इन परियोजनाओं के लिए दी जा सकती है ।

कई माननीय सदस्यों की ओर से राजस्थान नहर परियोजना को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई है । इसमें संदेह नहीं कि यह एक बहुत अच्छी परियोजना है । इससे रेगिस्तान हरे-भरे खेतों में बदल जायेगा । इसके पहले चरण में 250 मील में से 185 मील का काम पूरा हो चुका है । 70 मील में काम करना शेष है । इसमें अभी और 28 करोड़ व्यय किये जाने हैं । इस सम्बन्ध में दो कठिनाइयां हैं । एक तो राज्य द्वारा दी जाने वाली अधिकतम धनराशि का निश्चय नहीं हुआ है । और इधर केन्द्रीय सरकार को आवश्यक धनराशि देने में भी कठिनाइयां हैं । तथापि केन्द्रीय सरकार धन देने को तैयार है परन्तु राज्य सरकार उनके द्वारा दी जाने वाली राशि की उच्चत्तम सीमा में समायोजन करने में असमर्थ है । यह मामला अभी विचाराधीन है और हम कुछ कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : क्या इस बारे में विदेशी विशेषज्ञों विशेषकर इसरायल के विशेषज्ञों से परामर्श करने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि उनको रेगिस्तान का पर्याप्त अनुभव है ?

श्री कु० ल० राव : सिंचाई के मामले में भारतीय इन्जीनियर सर्वोत्तम हैं । यदि उनका यह कहना है कि इसरायल इस बारे में अधिक जानकारी रखता है तो यह बात गलत है ।

श्री कर्णीसिंह ने पानी चढ़ा कर सिंचाई करने (lift irrigation) का उल्लेख किया है । यदि इस योजना को क्रियान्वित किया जा सके तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी । लुंकरनसर

एक ऐसा क्षेत्र है जहां कि पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है । उस क्षेत्र में एक नहर बनाने के लिये अनुमानित व्यय पूछे गये हैं । आशा है इस नहर पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री ईश्वर रेड्डी ने अकाल उन्मूलन बोर्ड स्थापित करने तथा पुलीवेन्डला परियोजना आरम्भ करने की बात कही है । जहां तक बोर्ड स्थापित करने का सम्बन्ध है यह मामला कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आता है । पुलीवेन्डला परियोजना बहुत अच्छी है परन्तु आंध्र प्रदेश सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए । मैं उनकी केवल सहायता कर सकता हूं ।

श्री कटकी ने आसाम में पानी चढ़ा कर सिंचाई आरंभ करने के लिए कहा है । मैं एक वरिष्ठ अधिकारी को वहां इस बारे में छानबीन करने के लिए शीघ्र भेज रहा हूँ । हम वहां पर शीघ्र ही कुछ काम करने के लिए उत्सुक हैं ।

श्री लकप्पा ने अपने भाषण में कहा है कि मैसूर में किसी परियोजना की मंजूरी नहीं दी गई । मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1959 तथा 1963 में क्रमशः घटाप्रभा तथा माला-प्रभा परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी । इसी प्रकार आपर कृष्णा परियोजना के लिये भी चार वर्ष पूर्व मंजूरी दी गई थी ।

मैसूर में 13 लाख एकड़ भूमि ही बाढ़ से प्रभावित होती है यद्यपि अन्य राज्यों में कहीं अधिक क्षेत्रों में बाढ़ आती है । इसके बावजूद वहां पर बाढ़ नियंत्रण बोर्ड तथा तकनीकी समिति स्थापित की गई है । वहां पर मच्चमपल्ली परियोजना ही बहु-प्रयोजन परियोजना है । इस परियोजना पर बहुत अधिक लागत आ रही है । अतः मैं व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर देखूंगा कि लागत को किस प्रकार कम किया जा सकता है ।

श्री महाराजसिंह भारती ने घग्गर नदी पर बांध बनाने का सुझाव दिया है । परन्तु हम काम बांध बनाये बिना ही कर सकते है । इस योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा हैं । 40 लाख एकड़ के समूचे क्षेत्र में शीघ्र ही सिंचाई शुरु की जायेगी ।

अन्य छोटी परियोजनाओं के साथ-साथ इन्द्रावती परियोजना पर भी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । उड़ीसा के मुख्य मंत्री भूमि अर्जित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

कृष्णा-गोदावरी परियोजना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मतभेद 1960 में आरम्भ हुआ था यद्यपि परियोजना 1951 में आरंभ की गई थी । 1963 में भूतपूर्व मंत्री ने इस बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा था । उसी योजना के अनुसार इस पर कार्य किया जा रहा है और पानी का बंटवारा किया जा रहा है । फिर भी इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है ।

नागार्जुनसागर परियोजना के दूसरे चरण की स्वीकृति नहीं दी गई है ।

नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में गुजरात तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच बातचीत हो रही है । आशा है कि आगामी कुछ महीनों में इस बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ।

बाढ़ नियंत्रण योजना के आरम्भ होने से पूर्व देश में बहुत बांध थे। अब इस बारे में काफी काम किया जा चुका है और बाढ़ से प्रभावित लगभग एक तिहाई क्षेत्र को अब बाढ़ मुक्त कर दिया गया है। कोसी परियोजना को देखने से इस बात का विश्वास हो जायेगा। बाढ़ के मामले में आसाम तथा उत्तरी बिहार अभी कठिन स्थिति में है क्योंकि वहां पर अधिक कार्य नहीं किया जा सका। परन्तु अब बने हुए बांधों के रखरखाव का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। इस मामले में राज्य सरकारों को अधिक ध्यान देना चाहिए।

बिजली के मामले में हमने बहुत अच्छी प्रगति की है। योजनाओं के आरम्भ होने से पूर्व केवल 22 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होता था परन्तु अब 115 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 200 किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है।

बिजली की उपलब्धता के मामले में लगभग सात राज्यों में असमानता है क्योंकि देश में जितनी बिजली उपलब्ध होनी चाहिए उतनी बिजली उपलब्ध नहीं है। उन राज्यों को देश के औसतन स्तर पर लाना आवश्यक है। अत: देश के औसतन स्तर को भी बढ़ाना आवश्यक है अन्यथा राज्यों में विद्यमान असन्तुलन को ठीक करना सम्भव नहीं है।

बिजली के क्षेत्र में हम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। इस वर्ष 20 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य था; जबकि हम केवल 13 लाख किलोवाट बिजली ही उत्पन्न कर सके हैं। इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने अपने प्रतिवेदन में लाभदायक सुझाव दिये हैं।

कुछ राज्यों में बिजली की कमी आपसी सम्पर्क के अभाव के कारण है। राजस्थान का किसी महत्वपूर्ण स्थान के साथ कोई सम्पर्क नहीं है जिस कारण इस वर्ष वहां लोगों को बहुत कष्ट सहन करना पड़ा है। वहां पर बिजली के अभाव के कारण उद्योगों में 65 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी। इसके लिये कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि ऐसी स्थिति पुन: उत्पन्न न हो। इस बारे में शीघ्र अन्तर्राज्यीय सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है।

प्राय: बिजली के बन्द हो जाने, वाल्टेज में कमी हो जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। प्रेषण में लगभग 20 प्रतिशत बिजली नष्ट हो जाती है जबकि विकसित देश में यह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बारे में विस्तृत जांच करने तथा आय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की जा रही है।

अब तक लगभग 63,000 गांवों को बिजली दी जा चुकी है। आशा है कि गांधी जी की जन्म शताब्दी तक लगभग एक लाख गांवों को बिजली दे दी जायेगी। 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को बिजली दी जा चुकी है। इस प्रकार लगभग एक तिहाई ग्रामीण जनता को बिजली की सप्लाई की जा चुकी है। केन्द्रीय बिजली परिषद का गठन किया गया है। माननीय सदस्य अपने सुझाव उसको दे सकते हैं।

अनुमान है कि पलाना में लगभग 200 लाख टन लिगनाइट उपलब्ध है। इससे पूर्व कि वहां पर कोई ताप बिजली घर बनाया जाये। हमने खान मंत्रालय को इस बारे में जांच करने के लिये निवेदन किया है।

ऐसा कहा गया है कि ओबरा परियोजना के लिए कर्णपूर से कोयला लाया जा रहा है। मेरे विचार में भाव में अन्तर होने के कारण ऐसा किया जा रहा। इस मामले को हल करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

मद्रास का होगेनक्कल तथा एक अन्य परियोजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इससे मैसूर तथा मद्रास राज्यों को लाभ होगा।

इसमें सन्देह नहीं कि यदि हमें बढ़ते हुए मूल्यों को रोकना है और अपनी अर्थ-व्यवस्था को आगे ले जाना है तो हम ऐसा केवल सिंचाई तथा गांवों को बिजली देकर ही कर सकते हैं। माननीय सदस्यों ने जो लाभदायक सुझाव दिये हैं उसके लिए मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of Ministry of Irrigation and Power were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
63	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	21,88,000
64	बहुप्रयोजनी नदी योजनायें	1,45,06,000
65	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,01,17,000
128	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	16,33,45,000
129	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	11,40,87,000

संचार विभाग

DEPARTMENT OF COMMUNICATION

सभापति महोदय : अब सभा में संचार विभाग की मांग संख्या 93 से 97 तथा 142 और 143 पर विचार तथा मतदान होगा। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें

वे जिस कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहें उसकी क्रम संख्या 15 मिनट तक लिख कर दे दें।

वर्ष 1967-68 के लिये संचार विभाग की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
93	संचार विभाग	8,34,000
94	समुद्रपारीय संचार सेवा . .	1,55,68,000
95	डाक और तार विभाग (कार्य चालान व्यय)	1,17,09,67,000
96	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग . . .	13,61,86,000
97	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय .	21,60,000
142	डाक और तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	38,42,00,000
143	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय .	1,15,57,000

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेकानाल) : डाक व तार विभाग को 256 करोड़ रुपये की राशि मंजूर किये जाने से पहले मैं डाक व तार बोर्ड के कार्य संचालन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आरम्भ में जब डाक व तार बोर्ड बनाया गया था तो यह समझा गया था कि यह बोर्ड रेलवे बोर्ड की भांति स्वायत्तशासी निकाय जैसा काम करेगा किन्तु वह बात गलत साबित हुई है। इसलिये यह जरूरी है कि बोर्ड को इस तरह बनाया जाना चाहिये कि वह अधिक कुशलता के साथ काम कर सके। मेरा यह सुझाव है कि इस बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम करके पांच कर दी जानी चाहिए और उन सभी का ओहदा भी समान होना चाहिये। सचिव को महानिदेशक के रूप में काम नहीं करना चाहिये। इस बोर्ड में वित्त मंत्रालय का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके स्थान पर बैंकिंग और बीमा के सदस्यों को, जिन्हें वित्त का ज्ञान होता है, काम करना चाहिये। इन पांचों सदस्यों में से अध्यक्ष को वरिष्ठतम समझा जाना चाहिए। उस अध्यक्ष का अपना विभाग होना चाहिए। इस बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए श्री लालबहादुर शास्त्री तथा श्री एस० के० पाटिल जैसे लोगों द्वारा आश्वासन दिये जा चुके हैं परन्तु फिर भी अब तक काम नहीं किया गया है। यदि ऐसा किया गया तो इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी।

डाक व तार विभाग एक वाणिज्य संगठन समझा जाता है इसलिए यह आशा की जाती है कि इसकी आय इसके खर्च से अधिक होनी चाहिये। परन्तु ऐसी बात नहीं है। यह विभाग

घाटे पर चल रहा है। जबकि दूर-संचार विभाग को लाभ हो रहा है। 1951 से लेकर आज तक डाक विभाग को 9 बार 12 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से भी अधिक घाटा हुआ है जबकि दूर-संचार विभाग को बहुत लाभ हुआ है। इसलिये यह कहाँ का न्याय है कि डाक सेवाओं का घाटा टेलीफोन प्रयोगकर्ताओं द्वारा किया जाए। अतः डाक व तार विभाग को दूर संचार विभाग से अलग कर दिया जाना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होगा कि डाक व तार विभाग को होने वाले घाटे की वजह से दूर-संचार विभाग का अधिक विस्तार नहीं होने पायेगा। यदि उसे अलग कर दिया जाता है तो उसका विस्तार भी बहुत हो जायेगा और सार्वजनिक टेलीफोन की दरें भी कम हो सकेंगी।

अब मैं दिल्ली के टेलीफोनों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं तार के बारे में कहूंगा। टेलीफोन मालिकों से यह आशा की जाती है कि वे अपने पुराने बिल सम्हाल कर रखें। तारें भी प्रायः साधारण डाक से भेज दी जाती है। 100 रुपये की तार भी छः पैसे के पोस्ट कार्ड की तरह ही भेज दी जाती है।

समय कम होने के कारण मैं दिल्ली से सीधे उड़ीसा पर आ जाता हूं। जहाँ तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है चाहे डाक विभाग की डाक शाखा में तो पोस्ट मास्टर जनरल के दर्जे के पद की व्यवस्था की गई है; परन्तु इंजीनियरिंग शाखा में अभी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। ढेंकानाल और कालाहांडी जिलों को डाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं के देरी से मिलने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि रेल-मोटर सेवा आरम्भ करके कार्यकुशलता बढ़ानी चाहिये। डाक विभाग में होने वाली देरी के कारण ही तलछर कोयला खान क्षेत्र को और उसके इर्द-गिर्द के औद्योगिक क्षेत्रों को भी कठिनाई हो रही है। इसे दूर किया जाना चाहिये।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं कुछ और बात कहना चाहूँगा। तार बाबुओं ने 'नियमानुसार काम करना' आन्दोलन आरम्भ कर दिया। मंत्री महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर एक-सदस्यीय पंच विचार करेगा। उस आश्वासन को अभी कार्य रूप नहीं दिया गया है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उस पर विचार करेंगे। तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के मकानों की हालत बहुत खराब है। राज्य मंत्री ने इस स्थिति में सुधार करने का वचन दिया था, परन्तु उसे पूरा नहीं किया गया है। उड़ीसा के डाक घर बीस वर्षों से भी पहले के बने हुए हैं इसलिये उनमें अब बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चूंकि उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य हैं इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह उसकी समस्याओं पर अवश्य विचार करें।

श्री शशि रंजन (पपरी) : सभापति महोदय, हम सब को मालूम है कि रेलवे के बाद डाक व तार विभाग सबसे बड़ा विभाग है। यह विभाग सारे भारत में फैला हुआ है। इसका महत्व इसलिये भी है क्योंकि यह दूरस्थ क्षेत्रों में गरीब लोगों की भी सेवा करता है। इसमें पांच लाख व्यक्ति काम करते हैं। इस विभाग ने सभी क्षेत्रों में बहुत प्रशंसनीय काम किया है और इसलिये यह बधाई का पात्र है। इस विभाग का प्रयत्न प्रशासन, प्रतिरक्षा, शिक्षा, वाणिज्य और उद्योग तथा परिवहन और विदेशी मुद्रा के अर्जन के क्षेत्रों में स्पष्ट

दिखाई देता है । परन्तु इस विभाग के कर्मचारियों की स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये ।

मैं अपने पूर्व वक्ता से पूर्णतया सहमत हूँ कि इस बोर्ड को और सुदृढ़ किया जाना चाहिये । उसे और शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये । जिन डाकघरों में धनराशि और सार्वजनिक सम्पत्ति रखी जाती है वहाँ रेलवे की तरह सुरक्षा कर्मचारी तैनात किये जाने चाहिये । ऐसा करना नितान्त आवश्यक है । इस विभाग की लेखा शाखा के सम्बन्ध में भी कुछ शिकायतें की गई हैं । मंत्री महोदय को उनपर विचार करना चाहिये ।

अब मैं डाक व तार की दरों में की गई वृद्धि के बारे में कुछ कहूँगा । हम देखते हैं कि हर बार डाक व तार की दरों में वृद्धि होती रहती है । प्रत्येक बार जब वृद्धि की जाती है तो यह कहा जाता है कि सभी पत्र विमानों द्वारा भेजे जायेंगे, परन्तु बाद में हम देखते हैं कि बहुत से पत्र विमानों द्वारा नहीं भेजे जाते हैं । डाक को बांटने में भी बहुत समय लग जाता है । यहां से पटना व मुजफ्फरपुर जैसे स्थानों में डाक पहुंचने में तीन चार दिन लग जाते हैं । दरों में वृद्धि के साथ साथ मंत्री महोदय को अपने अश्वासन को पूरा करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि लोगों को डाक जल्दी मिले ।

समाचार पत्रों की डाक-दरों में वृद्धि की गई है । कई कई समाचारपत्रों का मूल्य तो तीन पैसे होता है परन्तु उस पर डाक-खर्च पांच पैसे आता है । यह बहुत अनुचित बात है । विकासशील देश में जहां हम शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं ऐसा करना ठीक नहीं है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

डाक विभाग पर बोलने के बाद अब मैं दूर-संचार के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । यह बात तो सही है कि दूर-संचार की लाइनों और सेवाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है परन्तु उसकी कार्यक्षमता बहुत गिर गई है । टेलीफोन कॉल करने के लिये प्रतीक्षा से जो कष्ट होता है वह तो सब को विदित ही है । टेलीफोन नम्बर मिलना भी कोई आसान बात नहीं होती । टेलीफोन कनेक्शन के सिलसिले में भी लम्बी लाइन लगती है । यदि बंगलौर में आई० टी० आई० तथा बी० ई० एल० अधिक सामान बनाने लग जाते और टेलीफोन कनेक्शन अधिक मात्रा में लगाये जाते तो इससे एक तो बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता और दूसरे सरकार की आय में भी वृद्धि हो जाती ।

देश के कुछ भागों में संचार व्यवस्था ठप्प हो जाना तो प्रति दिन की बात हो गई है । कहीं न कहीं खराबी हो जाती है और सारी संचार व्यवस्था ठप्प हो जाती है । इसके अलावा तारों की चोरी हो जाती है तथा तोड़-फोड़ और प्राकृतिक विपदा के कारण तारें टूट जाती हैं इतनी लम्बी व्यवस्था को बनाये रखना होता भी कठिन है ।

दूर-संचार को भौतिक व्यवस्था तथा बेतार और बेतार व्यवस्था को अधिक बारम्बारता (फ्रीक्वेंसी) और तथा माइक्रोवेव प्रणाली में बांटा जा सकता है । मैं समझता हूं कि माइक्रो-वेव प्रणाली पर काफी लागत आती है और क्योंकि माइक्रोवेव का सामान यहां नहीं बनाया जाता है इसलिये उसको विदेशों से लाने पर बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है । इसलिये मेरा

यह विचार है कि बारम्बारता तथा अत्यधिक बारम्बारता की प्रणाली को सुगमता से लागू किया जा सकता है क्योंकि इससे सम्बन्धित सामान बंगलौर में बी० ई० एल० में बनता है। अब मैं आपको एक ठोस उदाहरण दूंगा कि अत्यधिक बारम्बारता प्रणाली कैसे काम करती है। पटना और मुजफ्फरपुर को भगवानपुर के एक रिपीटर स्टेशन के साथ जोड़ने के लिये लगाये गये अनुमान को 1964-65 में मंजूर कर लिया गया था। एक वर्ष से अधिक समय से उसके लिये अपेक्षित सामान वहां पर पहुँच चुका है परन्तु मस्तूलों (मास्टस) के न मिलने के कारण यह प्रणाली अभी तक चालू नहीं हो सकी हैं। इसके लिये तो मस्तूलों की जरूरत है जिसके कारण सारे काम को स्थगित करना पड़ा है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को देखें कि यह प्रणाली शीघ्रातिशीघ्र चालू की जाती है।

श्री कंडप्पन (मैंदूर) : इस मंत्रालय के भारसाधक मंत्री बहुत योग्य और परिश्रमी व्यक्ति हैं, परन्तु चूंकि उनके पास बहुत से काम होते हैं इसलिये वह इस विभाग के प्रबन्ध पर अधिक समय खर्च नहीं कर सके हैं। जो कोई समय उन्होंने खर्च किया है वह भी हिन्दी की प्रगति के लिये किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस सेवा के प्रबन्ध में और गिरावट आ गई है।

टेलीफोनों की बकाया रकम वसूल न करने के लिये यह विभाग निन्दा का पात्र है। यह बात बहुत विचित्र सी है कि जो बिल 31 मार्च, 1966 तक जारी किये गये थे उनकी बकाया राशि 1 जुलाई, 1966 को 6.11 करोड़ रुपये तक वसूल नहीं हुई थी। दिल्ली का उदाहरण ही लीजिये। कुछ लोगों ने एक से लेकर सात वर्ष तक की बकाया रकम नहीं दी परन्तु फिर भी उनके टेलीफोन काटे नहीं गये। दूसरी ओर सेलम में एक बार ऐसा भी हो गया था कि बिल का भुगतान किये जाने पर भी टेलीफोन काट लिया गया था। यह बहुत ही अकुशलता की बात है और स्थिति में थोड़े ही समय में सुधार होने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय को यह देखना चाहिये कि बिल जमा करने वाले और बिल की रकम वसूल करने वाले लोगों में सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये।

यह बड़ी विचित्र सी बात है कि जब कभी इस विभाग को टेलीफोन निर्देशिकाएं प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करना होता है तो उन्हें पहले हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है और उसके कुछ समय बाद अन्य भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। उन्हें एक ही साथ सभी भाषाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिये। सभी प्रदेशों में सभी भाषाओं को यथासम्भव स्थान दिया जाना चाहिये और सभी प्रदेशों में डायरेक्टरी प्रादेशिक भाषा में छपनी चाहिये।

तार सभी भाषाओं में देवनागरी लिपि में भेजे जा सकते हैं। लेकिन जहां तक तमिल भाषा का सम्बन्ध हैं इस भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि हम यह मान भी लेते हैं कि तमिल में संदेश भेजने के लिये देवनागरी का प्रयोग किया जा सकता है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम मिलेगी जो इस लिपि को अच्छी तरह जानते हों। दूसरी ओर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो रोमन लिपि न जानता हो। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि तमिल में संदेश भेजने के लिए सरकार को रोमन लिपि का प्रयोग करने की अनुमति दे देनी चाहिये।

चूंकि काम दो भाषाओं में किया जाता है अतः इस विभाग में काफी फजूलखर्ची होती है। सरकार को इस स्थिति में सुधार करना चाहिये। यह एक सरकारी उपक्रम है और इसका ध्येय मुनाफा कमाना होना चाहिये। यदि यह बात है तो इस तरह से खर्च क्यों किया जाता है। यदि सरकार यह तरक प्रस्तुत करती है कि वह इस विभाग को देश की भाषा में चलाना चाहती है तो उसे वास्तव में जनता की भाषा में चलाया जाना चाहिये। यह कहना सही नहीं होगा कि हिन्दी लोगों की भाषा है। हिन्दी के समर्थकों को भी इस बात को मानना पड़ेगा कि भारत की दो-तिहाई जनता हिन्दी भाषा नहीं जानती। इसलिये हम हर स्थान पर दो भाषायें–अंग्रेजी और हिन्दी स्वीकार नहीं कर सकते। अतः यदि सरकार इस विभाग में दो भाषायें रखना चाहती है तो उसे दो भाषायें अंग्रेजी और अपने अपने प्रदेश की अपनी अपनी भाषा होनी चाहिये।

Shri N. N. Patil (Balsar) : I have heard people complaining that Dak is not delivered to them properly, they do not receive their letters and that there is generally a delay in the delivery of their letters etc. But no body realises this thing that the conditions under which the postman has to work are not so satisfactory. The postman is not provided any facilities by Government. He has to go on foot in all weathers. In big cities, where there are multi-storeyed buildings, he has to go upstairs. He is not allowed to go in lifts. His pay too is very meagre. He is not given a good uniform. There is no arrangement for his accommodation in my constituency. I don't know what is the condition at other places. Therefore if we want to make improvements in the delivery of Dak we will have to improve the condition of the postman.

The condition of the buildings of the post offices alsa is not very satisfactory. The accommodation in the building of post office at Balsar is very small. There is no place to stand for the employees to sort out Dak etc. This should be taken note of and steps should be taken to construct a building on the land available for this building.

At a place where the population is more than 5000 there should be a telegraph office. But there are many villages in my constituency where the population is more than seven or eight thousand but there are no telegraphic facilities. Steps should be taken to improve the situation.

Now I will say something about telephones. The demand for telephones is increasing day by day but no improvement has been made in its service. It is a problem to get a trunk call. One has to wait for hours together to book a trunk call. Some steps should be taken to improve the situation.

All the points regarding telephones of district rural areas should be entertained in Telephone Advisory Committee.

Government should issue instructions to the P. M. G's to visit the areas under them and meet Members of Parliament, Members of Legislative Assemblies and Councilors etc. and get information and suggestions to make improvements regarding post and telegraph services.

I hope and trust that the suggestions given by me will be implemented.

संचार विभाग की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
95	7	श्री रामावतार शास्त्री	उच्च अधिकारियों पर अत्यधिक व्यय ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
95	8	,,	सामान्य कर्मचारियों पर अपर्याप्त व्यय ।	,,
95	9	,,	कर्मचारियों की सुविधाओं पर अपर्याप्त ध्यान ।	,,
95	10	,,	आर० एम० एस० कर्मचारियों की दशा सुधारने में असफलता ।	,,
95	11	,,	टेलीफोन के लिये आवेदन पत्र देने वालों को टेलीफोन देने में अनावश्यक विलम्ब ।	,,
95	12	,,	टेलीफोन कर्मचारियों की दशा सुधारने में असफलता ।	,,

95	13	श्री गणेश घोष	विभागीय टिकट विक्रेताओं की वेतन-दर सुधारने में असफलता ।	,,
95	14	,,	तारों, टेलीफोन और हवाई डाक पारसलों की दरों में वृद्धि ।	,,
95	17	श्री विश्वाभरन	डाक विभाग में विभागेतर कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
95	18	श्री स० कुण्डू	उड़ीसा के ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों और उड़ीसा के अन्य तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के बिलों का शीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता ।	,,
95	19	,,	उड़ीसा के बालासोर तथा मयूरभंज जिलों में और अधिक डाकघर तथा तारघर खोलने की आवश्यकता ।	,,
95	20	,,	बिहार के बिशनपुर तथा दिपलबानू डाकघरों को उच्च श्रेणी के बनाने की आवश्यकता ।	,,
95	21	,,	पुरी में ठीक दूर-मुद्रक सेवा सुनिश्चित करने तथा उड़ीसा में तार और पत्र शीघ्र बांटने की आवश्यकता ।	,,

95	22	श्री स० कुण्डू	ठाकुरगंज, बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की आवश्यकता।	100 रुपये
95	23	,,	कटक में एक नया स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा एक वर्ष पूर्व जिन व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये थे उन्हें टेलीफोन कनेक्शन देने की आवश्यकता।	,,
95	24	,,	कालियागंज, बिहार में एक नया तारघर खोलने की आवश्यकता।	,,
95	25	,,	बारीपाड़ा, उड़ीसा में एक पृथक डाक परिमण्डल खोलने की आवश्यकता।	,,
95	26	,,	बिहार में बहादुरगंज, सोंथा तथा बिशनपुर में तारघर खोलने तथा वहां डाकघर के लिये नयी इमारतें बनाने की आवश्यकता।	,,
95	27	,,	किशनगंज, बिहार में डाक-भवन के पुनर्निर्माण की आवश्यकता।	,,
95	28	,,	उड़ीसा के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के विभागेतर कर्मचारियों की पदालि समाप्त करने तथा उन्हें नियमित पदालि में सम्मिलित करने की आवश्यकता।	,,

95	30	श्री रामावतार शास्त्री	डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के तबादले में भेदभाव ।	,,
95	31	,,	उच्च अधिकारियों की सुविधाओं पर अत्यधिक व्यय ।	,,
95	32	,,	डाक–तार विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में कठिनाइयां दूर करने की आवश्यकता ।	,,
95	33	,,	डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
95	34	,,	डाक-तार विभाग के औषधालयों में औषधियों की कमी तथा अन्य सुविधाओं का अभाव ।	,,
95	35	श्री रमानी	मद्रास राज्य में इरुगुर नगर पंचायत पल्लाडम तालुक में वर्तमान ब्रांच पोस्ट आफिस को सब-पोस्ट आफिस में बदलने में असफलता ।	,,
93	55	श्री रामावतार शास्त्री	देश में अपर्याप्त संचार-साधन ।	,,
94	56	,,	पत्रों और तारों का समय पर न बांटा जाना ।	,,

94	57	श्री रामावतार शास्त्री	मनीआर्डरों का गायब होना।	100 रुपये
94	58	,,	डाक कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था।	,,
94	59	,,	डाक और तार कर्मचारियों को निर्वाह-योग्य वेतन दिये जाने की आवश्यकता।	,,
94	60	,,	उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा मध्यवर्ती जिलों में डाक तथा तारघरों का अपर्याप्त संख्या में होना।	,,
93	61	श्री ना० श्रीकान्तन नायर	विभागेतर डाकघरों के कर्मचारियों की असन्तोषजनक सेवा-शर्तें।	,,
95	74	श्री नम्बियार	डाक और तार कर्मचारियों की बीमारी की छुट्टी, जो डाक्टरी प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित होती है, को दफ्तर से छुट्टी मान कर उनके साथ अत्याचार करना।	,,
95	75	,,	तार-बाबुओं (टेलीग्राफिस्टों) की वेतन-दरों में वृद्धि के मामले को पंच निर्णय के हवाले करने की आवश्यकता।	,,

95	76	,,	ए० आई० टी० टी० ई० (तीसरी श्रेणी) संघ को दी गई मान्यता समाप्त करने के लिये 'कारण बताओ' नोटिस की धमकी हटाने की आवश्यकता ।	,,
93	77	श्री क० प्र० सिंह देव	डाक तथा तार बोर्ड का कार्यचालन ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
93	78	,,	इस विभाग के संगठन में सुधार करने में असफलता ।	,,
95	79	,,	उड़ीसा में, बारीपड़ा और ढेंकानाल में, नये डाक-खण्ड बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
95	80	,,	उड़ीसा में टेलीफोन सलाहकार समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता ।	,,
95	81	,,	उड़ीसा सर्किल में मोटर डाक सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,,
95	82	,,	उड़ीसा सर्किल में तारें, पत्र तथा पार्सल आदि भेजने और मिलने में बिलम्ब ।	,,

95	83	श्री क० प्र० सिंह देव	इस विभाग के निरीक्षण-विभाग संगठन द्वारा विशेष निरीक्षण दस्ते के रूप में कार्य किया जाना ।	100 रुपये
95	84	,,	शिकायत-विभाग की असफलता ।	,,
95	85	,,	डाक विभाग को तार और दूर-संचार विभाग से अलग करने की व्यवहार्यता ।	,,
95	86	,,	दूर-संचार शाखा में एक निगम बनाने की शीघ्र आवश्यकता ।	,,
95	87	,,	कार्य की समीक्षा, मूल्यांकन और उत्पादिता सर्वेक्षण शीघ्र करने की आवश्यकता ।	,,
95	88	,,	दूर-संचार अनुभाग के विस्तार में अलाभकारी योजनाओं का हानिकर सिद्ध होना ।	,,
95	89	,,	दिल्ली टेलीफोन विभाग का असन्तोषजनक कार्यचालन ।	,,
95	90	,,	इस विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त करने में असफलता ।	,,

95	91	,,	उड़ीसा में इनलेंड ट्रंक' सेवा आरंभ करने की संभाव्यता ।	,,
95	92	,,	उड़ीसा में और अधिक स्थानीय एक्सचेंज खोलने की शीघ्र आवश्यकता तथा संभाव्यता ।	,,
95	93	,,	उड़ीसा में महत्वपूर्ण त्यौहारों पर वायरलेस संचार-सेवा की आवश्यकता ।	,,
95	94	,,	पश्चिम उड़ीसा में एक आर० एम० एस० डिवीजन की आवश्यकता जिसका मुख्यालय झरसागुडा में हो ।	,,
95	95	,,	उड़ीसा सर्किल में तार विभाग के कार्यचालन में सुधार की आवश्यकता ।	,,
95	96	,,	उड़ीसा में डाक कर्मचारियों की मकान सम्बन्धी समस्यायें दूर करने की आवश्यकता ।	,,
95	97	,,	उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डाक-घर खोलने की आवश्यकता ।	,,
95	98	,,	समयोपरी भत्ते तथा चिकित्सा भत्तों की अदायगी में विलम्ब ।	,,

95	99	श्री क० प्र० सिंह देव	इस विभाग के अंश-कालिक कर्मचारियों जैसे पोस्टल रनर्स सब-पोस्ट मास्टर्स की मजूरी बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
95	100	,,	इस विभाग के सार्तकता संगठन के कार्यचालन में सुधार की आवश्यकता ।	,,
95	101	,,	डाक शुल्क में संशोधन की आवश्यकता ।	,,
95	102	,,	उड़ीसा राज्य में डाक सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
95	103	,	डाक-वितरण निर्धारित समय पर किये जाने की आवश्यकता ।	,,
95	104	,,	ग्रामीण क्षेत्रों में चलते फिरते डाक घरों की आवश्यकता ।	,,
95	105	,,	जिला मुख्यालयों में रात्रि डाक-घर स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
95	106	,,	डाक-तार विभाग में कल्याण-कार्य आरम्भ किये जाने की आवश्यकता ।	,,
95	107	,,	उड़ीसा राज्य में अधिक डाक-तार औषधालय खोलने की आवश्यकता ।	,,

95	108	,,	डाक-तार विभाग के खेलों में क्रिकेट तथा किश्ती चलाना आरंभ करने की आवश्यकता ।	,,
95	109	,,	उड़ीसा में डाक-तार विभाग के कुछ अधिकारियों के मनमाने रवैये और लापरवाही के कारण कर्मचारियों में झगड़े ।	,,
95	110	,,	उड़ीसा सर्किल के ढेंकनाल, कटक सम्बलपुर और कालाहांडी जिलों में डाक-तार विभाग के भवनों में संवर्धन तथा परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	,,
95	111	,,	गुजरात सर्किल में भवनों के किराये के सम्बन्ध में धन का गबन तथा अपव्यय ।	,,
142	112	,,	इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के विकास की धीमी प्रगति ।	,,
93	113	श्री अब्राहम	डाक और तार विभाग के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने की आवश्यकता ।	,,

93	114	श्री अब्राहम	तार, पत्र और 'ट्रंक' टेलीफोन सेवा में तत्परता लाने की आवश्यकता।	100 रुपये
95	115	,,	केरल के उडमबम चोला तालूक में डाक-घरों तथा अन्य संचार सुविधाओं की आवश्यकता।	,,
95	116	,,	एरणाकुलम, शोरानूर, आलावकोट, कन्नानूर, अल्वाय, कोचीन, ए. डी. एस. इतिरूवेल्ला, कोट्टयम तथा कालीकट में रेल-डाक सेवा भवनों के निर्माण तथा मरम्मत की आवश्यकता।	,,
95	117	,,	केरल में डाक कर्मचारियों के लिये क्वार्टर, विश्राम-गृह तथा साईकल-शैड बनाने की आवश्यकता।	,,
95	118	,,	एरणाकुलम और कोचीन में स्वचालित टेलीफोन लगाने की आवश्यकता।	,,

सभापति महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : This is the first time that I am speaking in this House. This Department is known as P. and T. Department i. e. Posts and Telegraphs Deparfment but I would say it a Poor and Tearful Department. First of all I would like to say something about the Minister-in charge of this Department. The Department of Parliamentary Affairs is also under him. He remains very busy with that Department and is left with no time to attend to the Posts and Telegraphs Department. Secondly I would like to say something about the Director General of Posts and Telegraphs. The Director-General of Posts and Telegraphs is the Chairman of P. and T. Board and also the Secretary of the Department of Communications. When he is appointed the Director-General has possesses no knowledge of the Department. Therefore I would like to suggest that the senior most member of the Post and Telegraph Department, whose is the master of the working of the Department, should become the Director-General of Posts and Telegraphs Department. Thirdly I would like to say something about the status of the P. and T. Board. The Post and Telegraph Department Board should be given the same status as has been given to the Railway Board.

So many complaints are made by the people regarding the P. and T. Department. Sometimes it is complained that telegrams don't reach their destinations in time and often telegrams are received by people in mutilated condition. It is also the general complaint of the people that their letters are found missing and sometimes they reach late. These things are there but at the same time I would like to give this Department its due credit. I think that the work done by the employees especially class three and four employees of the P. and T. Department at the time of Chines aggression as well as at the time of Pakistani aggression was unparalelled. But the sad story is that these employees do not get any appreciation. The appreciation goes to the officers who sit in air-conditioneds rooms.

Now I would like to say something department-wise. There are many complaints in savings banks. Firstly there are no facilities of savings banks at many place and at the places where these are available the depositors face a lot of difficulties at the time of withdrawing their amount. In this connection I would like to suggest that a photograph of each dipositor should be kept at the post office and consulted at the time of doubt.

Instructions should be given by the hon. Minister that no body should be allowed to print post cards for his personal use.

I will now come to the working of this Department. Complaints are generally received that the staff is less. The post offices feel that the work has increased manifold, and than they should be given more staff. They send a report to the Inspector of Posts Offices. It takes a lot of time to reach the matter to the P. M. G. and after he has taken a decision the recruitment is made. In this way much time is wasted and the post offices are not in a position to get the staff at the time of need. In this connection I would like to suggest that an approved list should be prepared at the time of recruitment and at the time of requirement additional staff should be provided without much delay.

As far as buildings of this department are concerned their condition is deplorable and it is difficult even to sit in them. These buildings are not repaire for years together. Take for example the case of the building at Yamuna nagar in District Ambala. That is a rented building. This building has not been repaired for the last twenty years. Even the basic amenities such as electricity, urinals, latrins etc. are not there. I would like to know from the hon. Minister how he could work had such amenities been not there in his Department.

The employees of this Department are not given even the stationery to do their work. We talk of increasing the efficiency but how one could work without one's tools.

The employees of R. M. S. are given increment only after passing the examination. Similarly they are not confirmed until they pass a test. This system should be put an end to and they should be confirmed on the basis of seniority.

The practice in this Department was that two-third employees of this Department were promoted on the basis of seniority and fitness. But that practice has now been stopped. This has affected not only the future hopes of the young persons but also injured the interests of the employees of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

As far as 'rule to work' movement is concerned, the Departmant is working against the interests of its employees. The hon. Minister had assured that there will be no further victimisation. He should fulfil that promise now.

The employees should be given dearness allowance to maintain their standard of living.

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस विभाग के लिये तथा उसे जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है उसके लिए बहुत सहानुभूति प्रकट की है। जिन कठिनाइयों का इस विभाग की सेवाओं का प्रयोग करने वाले लोगों को सामना करना पड़ता है वे सब मुझे विदित हैं। परन्तु मैं साथ ही साथ उन सब कठिनाइयों का भी उल्लेख करना चाहूँगा जो इस विभाग को उठानी पड़ रही हैं और जिनके अन्तर्गत उसे काम करना पड़ रहा है।

इस विभाग को काम तो बहुत करने होते हैं परन्तु सबसे पहले मैं टेलीफोन को लेना चाहूँगा जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसका सम्पर्क टेलीफोन संचार से न होता होगा। यह हमारे देश की उन्नति का प्रतीक है। 1951-52 में जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना आरम्भ की थी तो हमारे पास सारे देश में 1.84 लाख टेलीफोन में और कोई प्रतीक्षक सूची नहीं थी। हम प्रत्येक योजना में टेलीफोन बढ़ाते चले गये है और आज हमारे देश में 9.64 लाख टेलीफोन है तथा लगभग 3½ लाख टेलीफोनों की प्रतीक्षक सूची है। हमारा विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में 6½ लाख और लगाने का है जब तक हमारी प्रतीक्षक सूची भी 9 लाख से अधिक हो जायेगी। इस विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 40 लाख टेलीफोनों की आवश्यकता होगी। डा० भाभा की अध्यक्षता में बनाई गई समिति द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार तो 60 लाख टेलीफोनों की आवश्यकता होने की आशा है। किन्तु विस्तार के बावजूद भी हम 15 लाख से अधिक टेलीफोन नहीं लगा पायेंगे। इस अन्तर को पूरा करने के लिए अधिक धन चाहिये। यदि संसद हमें पर्याप्त धन देने का निर्णय कर ले तो हम इस कार्य को पूरा कर सकते है। यदि सामान्य कोष से भी हमें कम से कम उतनी धनराशि मिल जाये जितनी हम कमाते है तो भी हम स्थिति में सुधार कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह संकेत किया है कि ट्रंक डायल करने वाले व्यक्तियों को कठिनाई होती है। प्रायः उन्हें लाइन नहीं मिलती है। मैं मानता हूं कि इस सम्बन्ध में कठिनाइयां अवश्य है हम उन्हें दूर करने का सतत प्रयत्न करते हैं। मैं आपसे यह स्पष्ट कर देना

चाहता हूं कि हमारी भी अपनी कठिनाइयां और सीमाएं हैं। जिस समय किन्हीं दो नगरों के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था की गई थी उस समय ट्रंक कॉलों की औसत बहुत कम थी किन्तु यह औसत कई गुना अधिक हो गई है। फिर भी हम यथा सम्भव इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम टेलीफोन ऑपरेटर के लिये मैट्रिक पास व्यक्तियों को भर्ती करते हैं और उन्हें तीन महिने का विभाग की ओर से ऑपरेटर का प्रशिक्षण देते है जब कि विश्व के उन्नत देशों में जहां की टेलीफोन व्यवस्था से भारत की व्यवस्था की तुलना की गई है, टेलीफोन ऑपरेटर के लिए स्नातक लिये जाते हैं और उन्हें लगभग तीन वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। हम अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि अधिक वेतन देकर अधिक अर्हता प्राप्त कर्मचारी नियुक्त करें और उन्हें इतने लम्बे समय तक प्रशिक्षण दें।

श्री शशिरंजन : यह मैं मानता हूं कि हमारे पास उपकरणों की कमी और टेलीफोन कालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किन्तु यह भी सच है जिन इमारतों में ये उपकरण रखे गये हैं उनमें वातानुकूलन की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप ये उपकरण प्रायः खराब होते रहते हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अधिकांश स्थानों पर वातानुकूलन की व्यवस्था है किन्तु धन की कमी के कारण कुछ स्थानों में यह व्यवस्था नहीं की जा सकी है। यदि हमें इस कार्य के लिये अपेक्षित धन मिल जाये तो मैं सर्व प्रथम यही कार्य करूंगा। हम टेलीफोन कालों की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार और टेलीफोन लाईनों की व्यवस्था कर रहे हैं और मुझे आशा है माननीय सदस्यों को वर्ष 1968 के मध्य तक इस दिशा में हमारे प्रयत्न स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी हम जनता की मांग पूर्णतः पूरी नहीं कर पायेंगे क्योंकि टेलीफोन की मांग के साथ ट्रंक काल की मांग भी बढती जा रही है।

अब मैं दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था के बारे में कुछ कहूँगा। दिल्ली में इस समय लगभग 58,000 टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था है। दिल्ली के विस्तार के साथ साथ यहां टेलीफोनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसीलिये अन्य नगरों की अपेक्षा दिल्ली की प्रतीक्षा सूची अधिक बड़ी है। हमारा विचार चालू वर्ष में 2,300. और लाईनों की व्यवस्था करने का है। आशा है इससे दिल्ली की टेलीफोन सम्बन्धी मांग कुछ सीमा तक पूरी हो सकेगी।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि यदि टेली कम्युनिकेशन व्यवस्था को डाक सेवा व्यवस्था से पृथक कर दिया जाये तो अच्छा रहेगा। मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत नहीं हूँ। हमें उन स्थानों में डाक सेवा की व्यवस्था करनी है जो देश विकसित क्षेत्रों से बहुत दूर स्थित है और जहां पर डाक सेवा की व्यवस्था करना आर्थिक दृष्टि से लाभ कर नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि अधिकतर तार डाक द्वारा भेजे जाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं, अखिल भारतीय आधार पर अप्रैल, 1967 में कुल भेजी गई तारों में से केवल 1.3 प्रतिशत तार डाक द्वारा भेजी गई थी। दिल्ली से भेजी गई कुल 12,680 तारों में से केवल 0.2 प्रतिशत तारें डाक द्वारा भेजी गई थी, हम इस अवधि में कुल जितना कार्य किया उसके अनुपात में यह सख्या बहुत कम है।

कुछ माननीय सदस्यों ने 'नियमानुसार कार्य करो' आन्दोलन की चर्चा की है। उन्होंने उस पंच फैसले का भी उल्लेख किया है जिसके बारे में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो वचन दिया है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमने यह कहा है और हम यह मानते हैं कि ये पंच फैसला संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के अन्तर्गत ही होना चाहिए जो इस समय भारत सरकार में विद्यमान है। मैं समझता हूं कि यह कर्मचारियों के हित की बात है कि वे शीघ्र से शीघ्र अपने मनोनीत व्यक्ति को पंच के रूप में नियुक्त करने का निर्णय करें। ऐसा करना उनके तथा विभाग दोनों के लिए अच्छा होगा क्योंकि इससे यह मामला आसानी से शीघ्र हल हो सकेगा।

हम कर्मचारियों की काम की स्थिति में सुधार के लिए यथा सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते का सम्बन्ध है, इसका निर्धारण इस विभाग द्वारा नहीं अपितु अन्य प्रकिया तथा नियमों के द्वारा किया जाता है जो सभी मंत्रालयों तथा विभागों पर समान रूप से लागू होते हैं।

मैं यह मानता हूं कि कर्मचारियों के लिए मकान की बहुत कमी है। चौथी पंच वर्षीय योजना के चालू वर्ष में हमारा विचार मकानों के लिये भूमि अर्जित करने के हेतु पांच करोड़ रुपये तथा मकान बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये व्यय करने का है। इससे मकानों सम्बन्धी कमी कुछ सीमा तक पूरी हो जायेगी।

"एक्सप्रेस डिलिवरी" का अर्थ लोग अच्छी तरह नहीं समझते हैं। एक्सप्रेस डाक तथा सामान्य डाक साथ साथ जाती है। गन्तव्य स्थान पर पहुंचने पर ही इनमें वितरण के समय में अन्तर किया जाता है। एक्सप्रेस डाक को गन्तव्य स्थान पर पहुंचते ही वितरित किया जाता हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान कहा है कि माइक्रोवेव प्रणाली की तुलना में व्ही. एच. एफ. प्रणाली अधिक अच्छी है सभी पहलुओं की दृष्टि से इस विषय का अध्ययन करने पर यह पता चला है कि व्ही. एच. एफ. की तुलना में माइक्रोवेव प्रणाली अधिक अच्छी है ओर हमारी आवश्यकताओं के लिए अधिक उपयुक्त है। अनुसंधान और निर्माण के मामले में, हमारा अनुसंधान कार्य तथा इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज और अन्य कारखाने समय के अनुरुप चल रहे हैं। अब हम माइक्रोवेव उपकरण का निर्माण भारत में करने लगे हैं।

ट्रंक काल बिलों के बारे में कुछ शिकायतें की गई हैं। इस बारे में हम वही पुरानी व्यवस्था अपनाने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें पूरा ब्यौरा दिया जाता है। हमने हिसाब किताब की विभिन्न प्रणालियां अपनाने का प्रयत्न किया है। हमें पूरी आशा है कि निकट भविष्य में बिलों की पद्धति में पर्याप्त सुधार हो जायेगा।

टेलीफोनों की कमी दूर करने के लिये हमने सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या बढ़ा दी है, इससे लोगों को कठिनाई काफी सीमा तक कम हो जायेगी, अब हमने यह नीति निर्धारित की है कि प्रत्येक नगर में कुल टेलीफोनों का कम से कम दो प्रतिशत सार्वजनिक टेलीफोन होने चाहिये। बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाकर दस प्रतिशत तक करने का विचार है। हमने ट्रंककाल की बुकिंग रद्द करने का समय घटा कर आधा घंटा कर दिया है।

बिल तैयार करने की प्रणाली के बारे में भी शिकायत की गई है। हम इन शिकायतों को दूर करने के लिये प्रयास कर रहे हैं, हम सभी बड़े सेक्शनों में बिल बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग आरंभ कर रहे हैं। इससे वर्तमान कठिनाई पर्याप्त सीमा तक दूर हो जाएगी।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि टिकट संग्रह की दृष्टि से हमें अपने टिकटों की किस्म में सुधार करना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि हम निकट भविष्य में इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर तथा टिकटों की किस्म में सुधार करने के तरीकों पर विचार करने के लिए एक अखिल भारतीय गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद ही इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी।

वियतनाम
VIETNAM

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : श्री गोपालन के नाम से जो आधे घंटे की चर्चा है उसे उठाने के लिये मैंने नियम 55 (पांच) के अन्तर्गत आवेदन दिया है क्योंकि श्री गोपालन अनुपस्थित हैं। क्योंकि श्री कृष्णमूर्ति, जिनका नाम सूची में दूसरा है, यहां पर उपस्थित है, अतः वह पहले कुछ बोलेंगे उनके बाद में कुछ कहूंगा।

श्री कृष्णमूर्ति (कडलूर) : अध्यक्ष महोदय, वैदेशिक कार्य मंत्री ने 22 मई, 1967 को वियतनाम के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देते हुए कहा था कि हम वियतनाम के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तथा अन्य कुछ देशों के साथ सम्बन्ध बनाये हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का अध्यक्ष होने के कारण भारत का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। वियतनाम के मामले को हल करने में अन्य देशों की तुलना में हमारा उत्तरदायित्व बहुत अधिक है। किन्तु यह खेद की बात है कि भारत सरकार अपना उत्तरदायित्व निभाने में बिल्कुल असफल रही है। भारत ने वियतनाम के मामले का शान्तिपूर्ण हल निकालने के लिये कभी उचित पहल नहीं की है।

इस युद्ध में उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम दोनों को बहुत क्षति पहुंची है। आज अमरीका तथा उत्तर वियतनाम दोनों ही यह अनुभव करने लग गये हैं कि युद्ध जारी रखने से कोई लाभ नहीं है। समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार दोनों में से कोई पक्ष शान्तिपूर्ण बातचीत के लिये किसी शर्त पर जोर नहीं दे रहा है। इन परिस्थितियों में सरकार को दोनों पक्षों में शान्तिपूर्ण समझौता कराने के लिये अविलम्ब अधिक कारगर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री उमानाथ : यह खेद की बात है कि भारत सरकार वियतनाम के मामले में अमरीका का पक्ष लेती है। आज सारा वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही वियतनाम में अमरीकी सेना रखे जाने के विरुद्ध है। वे चाहते हैं कि वहां से अमरीकी सैनिक शीघ्र वापिस

---

* आधे घंटे की चर्चा।
* Half An-hour discussion.

चले जायें। लेकिन अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति आइजनहोवर द्वारा 4 अगस्त, 1963 को स्टेट्स गवर्नरों के सम्मेलन में दिये गये वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमरीका वियतनाम में अपने सैनिकों को अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिये रखना चाहता है, न कि दक्षिण वियतनाम की सुरक्षा के लिये। यह दुःख की बात है कि हमारी सरकार ने कभी इस बात के लिये प्रयत्न नहीं किया कि अमरीकी सैनिक दक्षिण वियतनाम से बिना शर्त वापिस चले जायें।

यह कहना उचित नहीं है कि उत्तर वियतनाम ने जेनेवा समझौते का उल्लंघन किया है। यह कहना कठिन है कि वास्तव में किसने इस समझौते का उल्लंघन किया है क्योंकि अमरीका तथा उत्तर वियतनाम दोनों ने ही इस समझौते को इस पर हस्ताक्षर किये जाने के तुरन्त बाद ही मानने से इन्कार कर दिया था। हमारी सरकार को चाहिए कि वह अमरीका तथा दक्षिण वियतनाम सरकार से जेनेवा समझौते का पालन करने के लिये कहे।

जहां तक उत्तर वियतनाम पर अमरीका द्वारा बमबारी का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने अमरीका सरकार से बमबारी बन्द करने के लिये कहा है और इसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने दक्षिण वियतनाम मुक्ति आन्दोलन चलाने वालों से यह मुक्ति आन्दोलन बन्द करने के लिये भी कहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत सरकार कहती है कि जब तक दक्षिण वियतनाम के लोग अपना मुक्ति आन्दोलन नहीं करते तब तक अमरीका द्वारा उत्तर वियतनाम पर बमबारी करना उचित है। इस प्रकार भारत सरकार एक भयानक दृष्टिकोण अपना रही है जो हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन की परम्पराओं के अनुकूल नहीं है।

हमारी सरकार ने उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार बन्द कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि व्यापार इसलिये बन्द कर दिया गया है कि हम जो सामान उत्तर वियतनाम को भेजते हैं वह चीन पहुँच सकता है। यदि वास्तव में यही कारण है तो हांगकांग, नेपाल और पाकिस्तान के साथ भी व्यापार बन्द क्यों नहीं किया जा रहा है? वास्तव में उत्तर वियतनाम के साथ 1965 में उस समय व्यापार बन्द किया गया था जब अमेरिका ने अपने पी० एल० 480 अधिनियम में इस आशय का संशोधन किया था कि वह उन देशों को सहायता नहीं देगा जो उत्तर वियतनाम और क्यूबा के साथ व्यापार करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार अमरीका के आगे झुक गई। ऐसा करना हमारे सम्मान के लिये शोभनीय नहीं है।

भारत विभिन्न देशों के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का साथ देने का दावा करता है और इसमें अपना गौरव समझता है। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ने भारत में 'साउथ वियतनाम ऑन दि रोड टू विक्ट्री' नामक पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। आज हमारी यह स्थिति हो गई है कि हमारा देश दक्षिण वियतनाम के स्वतत्रता संग्राम के सेनानियों का स्वर भारतीय जनता तक नहीं पहुँचने दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि यह आधे घंटे की चर्चा है अतः वे केवल प्रश्न पूछें।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : वियतनाम से फ्रांस के चले जाने के कारण वहां सत्ता हीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और चीन इसका लाभ उठाकर वहां पर अपना

आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न करता रहा ; वास्तव में वियतनाम सम्बन्धी मूल समस्या यही है ।

कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का नैतिक समर्थन करना चाहिए । इस सम्बन्ध मैं ये यह कहना चाहता हूं कि हमें अपने राष्ट्र के हित को ध्यान में रखना है । वियतनाम हमारे लिये सामरिक महत्व का क्षेत्र है इसलिये हमारा राष्ट्रीय हित इसी में है कि इस पर चीन का आधिपत्य न हो ।

वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग प्रभावहीन रहा है । वास्तव में उसने वहां पर कोई कार्य नहीं किया । इसलिये यह अच्छा है कि हम इस आयोग से अलग हो जायें । आज सबसे मुख्य बात यह है कि बिना किसी पूर्व शर्त के शान्ति के लिये वार्ता आरम्भ की जाये । यह प्रसन्नता की बात है आज दोनों ही पक्ष इस प्रस्ताव को मानने के लिये सहमत दिखाई देते हैं ।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, यदि हम इस मामले को हल करने में कोई सहायता नहीं कर सकते हैं तो हमारा हित इसी में है कि हम चुप रहें ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होते हुए भी वियतनाम के सम्बन्ध में वर्तमान अस्थिर, निर्जीव तथा प्रायः असहाय नीति पर ही चलता रहेगा ? यह मैंने इसलिये कहा कि अमरीका अप्रत्यक्ष रूप से ही इस विवाद के लिए उत्तरदायी है । अमरीका अरबों रुपये इस युद्ध में व्यय कर रहा है । क्या सरकार भारत की परम्परा के अनुसार इस विवाद को हल करने के लिये कोई साहसपूर्ण कार्य करने के लिये तैयार है ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Viet Nam is unnecessarily being crushed as a result of conflict between the two nations. Being the supporter of peace and also the Chairman of International Control Commission on Viet Nam. Will India come forward with a resolution such as Geneva Agreement in order to establish peace in Viet Nam ?

Shri Rabi Ray (Puri) : The question of Rohdeshia is more important than that of Viet Nam. We should have a right and careful approach to such questions, Will the Government take any concrete steps to unite South Viet Nam and North Viet Nam again ?

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : एक ओर तो हमने उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार बन्द कर दिया है और दूसरी ओर दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं और उसे अन्य सामान के साथ-साथ सैनिक सामान भी दे रहे हैं; इस प्रकार हम इस युद्ध में अमरीका की सहायता कर रहे हैं । न केवल भारत सरकार ही इस युद्ध का समर्थन कर रही है अपितु कुछ राजनैतिक दल, विशेष रूप से जनसंघ का नाम लिया जा रहा है, वियतनाम युद्ध के लिए अपने स्वयं सेवक भेजने को तैयार हैं ।

श्री बलराज मधोक : यह बिल्कुल झूंठ है।

श्री नम्बियार : मैं स्पष्ट बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग अलग ही विषय पर बोलने लगे हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। आधे घंटे की चर्चा में ये सब बातें नहीं उठाई जा सकती है।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : यह कहना सही नहीं है कि वियतनाम के बारे में हमारी नीति अस्थिर रही है। हमने सदैव न्याय का पक्ष लिया है। वियतनाम के बारे में हमारी नीति सदा निश्चित और उचित रही है। हमने आरम्भ में ही कहा था कि इस समस्या का सैनिक बल प्रयोग से समाधान नहीं हो सकता है। हमारा सदा यह दृष्टिकोण रहा है कि इस समस्या का हल केवल किसी सम्मेलन में विचार विमर्श करके हो सकता है। हमने यह भी कहा था कि जब तक बिना शर्त युद्ध बन्द नहीं किया जाता तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। शान्तिपूर्ण हल ढूंढ़ने के लिये हमने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पूरी सहायता भी की है। हम राजनयिक स्तर पर भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हनोई और सैगोन दोनों स्थानों पर हमारे प्रतिनिधि हैं, जो समझौता करने के लिये यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं यह मानता हूँ कि हमें चीन को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अमरीका की वर्तमान नीति से चीन को रोकना दूर रहा, चीन को इससे सहायता मिल रही है। वियतनाम में जितना अधिक युद्ध होगा उत्तर वियतनाम उतना ही अधिक चीन के पक्ष में होता जायेगा। उत्तर वियतनाम पर चीन का एक हजार वर्ष से प्रभुत्व है किन्तु उत्तर वियतनाम चीन का दास बनना नहीं चाहता है।

श्री नम्बियार : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय को प्रभुता सम्पन्न किसी देश के लिये यह नहीं कहना चाहिए कि वह दास बनने जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मु० क० चागला : मैं इतिहास के तथ्य को प्रस्तुत कर रहा हूं। युद्ध जितने अधिक समय तक जारी रहेगा उत्तर वियतनाम को सहायता के लिए उतना ही अधिक चीन पर निर्भर रहना पड़ेगा। अतः अमरीका से हम यह आग्रह करते हैं कि चीन को रोकने के सामान्य उद्देश्य से उसे यह युद्ध बन्द कर देना चाहिए।

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के कार्य क्षेत्र का सम्बन्ध है, इस आयोग की स्थापना ही युद्ध विराम सन्धि का पर्यवेक्षण करने के सीमित उद्देश्य से की गई थी। यह आयोग जेनेवा समझौते के उपबन्धों का क्रियान्वित नहीं करवा सकता है। इस समय चल रहे भयानक युद्ध को रोकने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को न किसी प्रकार का अधिकार है और न ही यह उसके कार्य क्षेत्र में आता है। इन सबके होते हुए भी इस आयोग ने

बहुत उपयोगी और सराहनीय कार्य किया है। यही कारण है कि उत्तर वियतनाम सरकार भी इस आयोग को बनाये रखने के पक्ष में है।

यह कहना बिल्कुल गलत है कि 1965 में अमरीका के साथ किये गये खाद्य करार के कारण हमने उत्तर वियतनाम से व्यापार बन्द किया। वास्तविकता यह थी कि 1963 में हमें यह सूचना मिली थी कि भारत द्वारा उत्तर वियतनाम को भेजा जाने वाला सामान चीन को भेज दिया जाता था, इसलिये हमने 1963 में ही आदेश दे दिये थे कि उत्तर वियतनाम को किये जाने वाले सभी निर्यातों के लिये पहले अनुमति लेना अनिवार्य है।

दक्षिण वियतनाम को घातक हथियारों, सैनिक साज-सामान तथा पेट्रोलियम की सप्लाई बन्द कर दी गई है। हम कोई भी ऐसा सामान दक्षिण वियतनाम को नहीं भेज रहे हैं जिसका प्रयोग युद्ध में किया जा सकता है। हां, कुछ गैर-सरकारी पार्टियों ने दक्षिण वियतनाम को कुछ असैनिक ट्रकों का निर्यात किया है।

श्री नम्बियार : पीतल की चादरें, टायर आदि...(अन्तर्बाधाएं)

श्री नायनार (पाल घाट) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय जो कुछ कर रहे हैं वह गलत है।

अध्यक्ष महोदय : वह गलत हो सकते हैं, किन्तु जो कुछ उन्होंने कह दिया है, कह दिया।

श्री नायनार : गत 20 मई को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान स्टील ने दक्षिण वियतनाम को 121 टन लौह पिंड भेजे थे।

श्री मु० क० चागला : जहां तक पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाने का सम्बन्ध है, वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है न कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के।

आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार का हमें स्वागत करना चाहिए कि लार्ड ब्रॉकवे के अनुसार स्काटहोम में वियतनाम शान्ति सम्मेलन में वियतनाम के प्रतिनिधि ने केवल तीन मांगें रखी थी। वे मांगें इस प्रकार है--उत्तर वियतनाम पर बिना किसी शर्त के बमबारी बन्द की जाये, बातचीत में मुक्ति मोर्चे के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाये और जेनेवा समझौते के अनुसार एक शान्ति समझौता किया जाये। आशा है इस सम्बन्ध में अमरीका की प्रतिक्रिया अनुकूल रहेगी तथा मांगों के कम किये जाने से बमबारी रोकने तथा बातचीत से समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौथा प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 11 जुलाई, 1967/20 आषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, July 11, 1967/ Asadha 20, 1889 (Saka).